

## **Joint Inspection Report of the Committee**

(Reference Order dated 30<sup>th</sup> June'2020 & 10<sup>th</sup> August'2020 in O.A., 34/2020(CZ)  
J. R. Narayan VS State of M.P.)

**Submitted**

**To**

**Hon`ble National Green Tribunal (NGT) Principal Bench,  
Delhi**

### **Members of the Committee**

1. Shri Milind Kumar Nimje, Scientist“C”, Regional Directorate, CPCB, Bhopal.
2. Dr. Rakesh Singh Parihar, Regional officer- MPPCB, Rewa.
3. Shri Mata Prasad Tiwari, Sub- Engineer MPPCB, Rewa.
4. Shri Ratnesh Dixit, Mining officer, OIC of Collector Mines Rewa.

**Joint Inspection Report of the Committee in reference to the order dated 30<sup>th</sup> June'2020 & 10<sup>th</sup> August'2020 passed by Hon'ble National Green Tribunal (NGT) Principle Bench in the Original Application No. 34/2020(CZ) in the matter of J. R. Narayan Vs State of M.P.**

As per the Hon'ble National Green Tribunal (NGT) Central Bench order dated 30<sup>th</sup> June 2020 in the Original Application No. 34/2020(CZ) in the matter of J. R. Narayan Vs State of M.P." The Collector of Rewa has formed a Joint Inspection Committee comprising of a member of Mining department, officials of M.P. Pollution Control Board Regional office Rewa and Central Pollution Control Board Regional directorate Bhopal dated on 14<sup>th</sup> August'2020 vide Note sheet order no NGT O.A. 34/2020 page no 03. The Purpose of Committee to carryout inspection for the compliance of Hon'ble NGT Order. The Copy of note sheet page no. 03 is enclosed as Annexure – I. Page No. 6

The Joint Inspection Team Members are as under:

1. Shri Milind Nimje, Scientist "C", CPCB, Regional office Bhopal (M.P.)
2. Dr. Rakesh Singh Parihar, Regional officer- MPPCB, Rewa (M.P.)
3. Shri Mata Prasad Tiwari, Sub- Engineer MPPCB, Rewa (M.P.)
4. Shri Ratnesh Dixit, Mining officer, Rewa- OIC of Collector Mines Rewa (M.P.)

The Hon'ble Tribunal, vide its order dated 30.06.2020 had directed as under :-

- 1- *The instant case is against illegal operation of approximately 22 stone crushers without proper, valid licences and permissions in the Abadi area of village- Bajnath, Tehsil-Huzur, Dist. Rewa (MP). The respondent Stone Crusher is operating illegally in close proximity of National Highway, State Highway Water bodies, age old temple and the Abadi area. The alleged numbers of stone crushers is cursing pollution to the agricultural land of the local residents of the area, who are victim of air pollutions during operation of stone crushing units. The stone crushers units are openly operating in cluster, flouting the set norms of MPPCB and rules and guidelines issued by the State Pollution Control Board. There is uncontrolled air emission and dust is clearly visible at alleged site having substantial issue related with environment.*
- 2- *We deem it just and appropriate to direct representative of CPCB, Madhya Prades Pollution Control Board and Collector Mines, Rewa to visit the site and submit a factual and action taken report. In case it is found that illegal operation is being done then the authorities are to proceed further and take necessary legal action.*

**For the Compliance of Hon'ble NGT Order, the Joint Inspection team had visited inspection site on 26<sup>th</sup> & 27<sup>th</sup> August 2020 to verify the facts :-**

The Following points have been observed during the Site visit at Baijnath Village by Inspection committee.

1. The inspection team has reached at the site on dated 26.08.2020 at 01.30 PM. During the inspection suddenly some Stone Crusher owners along with villagers created nuisance, used abusive words & misbehaved with the inspection team and they have not allowed the committee members to conduct inspection and illegally stopped the inspections forcefully.

2. The committee members returned from the site and met SP immediately in his office and requested him in writing to provide police protection to the Committee members and take necessary legal action against the nuisance creators. Based on the request letter of Regional Officer, MPPCB, Rewa, police has filed FIR at Police Station Thana Chorhata, District Rewa. The copy of FIR No. 492 dated on 26.08.2020 & daily newspaper cutting is enclosed as **Annexure no- II. (Page No. 07 -14)**
3. On the basis of request letter, SP Rewa has provided Police protection on 27.8.2020 to Inspection team for the Site visit and the committee members conducted the inspection on 27.8.2020 with police protection.
4. During the inspection, all the Stone Crusher were found non operational.
5. The Inspection team has visited every Stone Crusher which are listed in the petition. The Team has also taken Photographs, GPS co-ordinates nearby site. Also, checked the compliance measures, the distance from Stone Crusher to Abadi area, Roads, Temples & water bodies. The details are enclosed at **table no.1. (Page No. 15-16)**
6. As per the above order total 22 Stone Crushers has been mentioned but petitioner has appealed for 18 nos. of stone crushers instead of 22 nos. Physically Verified 14 nos. of Stone crusher were established and 03 nos. of stone crushers has been shifted to another place and 01 no of Stone Crusher is proposed land establishment. All 14 nos. of Stone crushers are found illegally established which were rejected by MPPCB. Please refer **Annexure no. - III (Page No.17-34)**
7. The stone crushers have established near the residential (Abadi) & sensitive area without obtaining the Consent to establish / Consent to Operate from MP pollution control Board and operating without any air pollution control measures. As per the Regional Officer, MP Pollution Control Board, Rewa has rejected Consent to Establish / Consent to Operate application for all the 14 stone crushers.
8. The MPPCB, Regional Office Rewa has taken action against the establishment of illegal stone crushers located at Village Baijnath, Tehsil, Huzur, district Rewa M.P. and issued closer notice to all illegal established Stone crushers under section 31A of Air (Prevention and Control of Pollution) Act 1981. The copies of closer notices is enclosed as **Annexure - IV, (Page No 35-57)**
9. Photographs taken during the visit and Google view map of stone crusher area at Village Baijnath Th. Huzur Dist. Rewa (M.P.) is enclosed as **Annexure - V, (Page No. 58-67)**

**Prevailing rules and guidelines :-**

1. The Madhya Pradesh Pollution Control Board has formulated siting guideline for stone crushers in the year 2004 considering the prevailing guidelines in various State Pollution control Boards viz. Andhra Pradesh Pollution Control Board, Tamil Nadu Pollution Control Board & Karnataka Pollution Control Board and recommendations

of National Productivity Council (NPC), New Delhi. The copy of the guideline of M.P. Pollution Control Board for controlling pollution from stone crusher is enclosed. The guideline states that the distance between the single stone crusher boundary and the boundary of National/State Highways shall be not less than 100 mtrs for the new installations, and no stone crushing industries are allowed to operate within 500 mtrs from residential area as per the Hon'ble Supreme Court of India in the Civil Appeal No. 10732/1995.

2. A similar case of illegally established stone crushers was dealt by the Hon'ble Principal Bench in the Matter of Original Application No. 739 of 2018 Residents of Gram Panchayat, Varahiya vs. State of M.P.

**Action Taken Report :-**

- I. Regional Officer MPPCB, Rewa has written request letter to Collector Rewa vide letter no. 1621 dated 11.09.2019 & letter no. 2039 dated 05.12.2019 regarding all illegal establishment of stone crushers and recommended to file case under the CRPC 133. Copy of the same is attached as **Annexure –VI (Page No 68-70)**
- II. MPPCB is in the process of filing a criminal prosecution against all the illegally established stone crushers under Section 37 of the The Air (Prevention And Control of Pollution) Act, 1981.
- III. Regional Officer MPPCB, Rewa has already filed case against all illegally established stone crushers and recommended to file case under the CRPC 133 act at SDM Court Tehsil, Huzur, District Rewa on dated 08.08.2020. Copy of the same is attached at **Annexure – VII (Page No.71-96)**
- IV. Regional Officer MPPCB, Rewa has issued letter to General Manager, District Industry Centre Rewa vide letter no 1623 dated 11.09.209 for control of illegal establish stone crushers. Copy of the letter is attached as **Annexure– VIII. (Page No.97)**
- V. Regional Officer MPPCB, Rewa has issued letter to land owner vide letter no. 2041 dated 05.12.2019 for control of Air Pollution and conservation of Environment and also to stop the activity for Land diversion for the industrial or commercial use. Copy of the communication made is attached as **Annexure–IX.(Page No 98)**
- VI. Regional Officer MPPCB, Rewa has been issued letter to SE M.P.K.V.VE. vide letter no 113 dated 22.01.2020 for not providing electricity connection to all illegal established stone crushers. Please refer **Annexure–X.(Page No 99-100)**
- VII. Regional Officer MPPCB, Rewa has been issued letter to SDM, vide letter no 1654 dated 17.09.2019 Th. Huzur District Rewa for stop diversion to agricultural land of nearby residential & other sensitive area. Please refer **Annexure no –XI.(Page No.101)**

- VIII. The proposed unit of M/s Puneet Tiwari stone crusher site is comes near the residential area and till date no establishment has been done. Hence, their case cannot be considered for the Consent to Establish.
- IX. The MPPKVV Company Limited, Rewa has issued notice for power disconnection (PDC) to all illegally established stone crushers and presently all these stone crusher are not in production. The copy of letter is enclosed as **Annexure-XII. (Page No.102-104)**
- X. The mines department has been issued cancelation letter to all illegal Stone crusher for their permission.
- XI. The mines department has been proposed penalty approximate 19.92 lakhs and the case is in trial in District Collector Court. The details are enclosed as **Annexure-XIII. (Page No. 105- 108)**
- XII. The District Collector has decided and instructed to all related departments in meeting of task force committee on dated 17.07.2020 for taking necessary action and file case under CRPC 133 to all illegally established stone crushers. The copy of letter is enclosed as **Annexure-XIV.(Page No.109 -110)**
- XIII. The Pollution Control Board and representative of Collector Mines (Mining Officer. Rewa) has been jointly inspected all illegal established stone crushers and recommended to file case against the all illegally established stone crushers in SDM Court Rewa on dated 08.08.2020. The copy of same is enclosed as **Annexure-VII. (Page No 71-96)**
- XIV. The Pollution Control Board, Rewa has monitored Ambient Air Quality at Baijnath village on dated 01.06.2019 and found that Air Pollution load carrying capacity is exceeding the National Ambient Air Quality Norms. As per the report the results are indicating that the polluted air is harmful to Human health as well as flora & fauna existing nearby vicinity. The monitoring report is enclosed as **Annexure-XV. (Page No. 111 -114)**
- XV. The SDM Court Tahsil Huzur distt. Rewa has passed preliminary closure order on dated 08-09-2020 under case of C.R.P.C. 133 which is filed by MPPCB Rewa against to all illegally established/operating stone crusher units in village Baijnath ,Distt.Rewa for immediate close unit. The name of concerned units are listed above.**(Order enclosed as Anne.XVI) (115-127)**


**Recommendation:**

- Collector, Rewa may be directed for shifting of all stone crushers which are located near the Village - Baijnath to another identified location and operate after obtaining the consent from MPPCB.


- MPPCB may be directed to impose environmental compensation on all the stone crushers for operating illegally without any permission and pollution control measures.
- MPPCB may be directed to impose environmental compensation on all the land owner those are diverted agriculture land to Commercial purpose and done their agreement with all illegally established stone Crusher owner they use industrial purpose towards not complying Environmental Protection Act 1986. The Name and address is mention in table no. 1 (Page no. 15-16)



(M.P. Tiwari)  
Sub Engineer  
MPPCB, Rewa



(Dr. R.S. Parihar)  
Regional Officer  
MPPCB, Rewa



(Ratnesh Dixit)  
Mining Officer  
OTC Collector Mining  
Rewa



(Milind K. Nimje)  
Scientist-C  
MPPCB, Rewa

**Milind Nimje**  
Scientist-C  
Regional Directorate  
Central Pollution Control Board  
Bhopal (M.P.)

प्रचलित NGT  
Roster

शाखा T/S  
क्रमांक 03  
विषय NGT OA 34/2020 C2 J.R. Narayan Vs State of MP & Cse



मध्य प्रदेश  
प्रदूषण  
नियंत्रण बोर्ड

कृपया मान० न्यायालय राष्ट्रीय द्वारेत उभय करण  
द्वारा पारित आदेश डी० 30/06/2020 के बिंदु  
क्रमांक 02 अंतर्गत ग्राम - वैजनाथ तह० इजूर  
जिला रीवा में अर्द्ध स्थापित/संचालित स्थान  
22 कारों की अद्यतन स्थिति का कार्यात्मक निरीक्षण  
प्रतिवेदन 04 सप्टाह के अंदर मान० न्यायालय में  
प्रस्तुत किया जाना है। इस निरीक्षण टीम में निम्ना  
वृत्त निम्नलिखित समाहित है -

- (i) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
- (ii) म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
- (iii) कलेक्टर माइंस रीवा

मान० कलेक्टर महोदय से कलेक्टर माइंस के रूप  
में नामांकित कराये जाने हेतु पत्र पकरण आग  
कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

R.O.

पुनश्च: R.N. 4376 Date 14.07.20

14.07.2020  
(रम पी. तिवारी)  
उपयंत्री

कृपया केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल द्वारा लैड किया  
गया है कि COVID-19 को दृष्टिगत रखते हुए आगंतकों के संपर्क में  
कलेक्टर रीवा से आकर्षण अनुमान एवं उहरने की व्यवस्था की  
जासकाल की रचना से अर्द्ध स्थापित कराये। अतएव प्रकरण मान० कलेक्टर  
महोदय के सौजन्य एवं आकर्षण कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जा  
सकता है।

R.O.

- (i) माननीय के पास "क" अक्षर नाम नामांकित
- (ii) "रूब" पर उचित निदेशीय हेतु  
लापर प्रेषित।

मान० कलेक्टर महोदय

14.07.2020  
R.O. P  
INSPECTION

DHO - Rewa  
(City Office)

with  
representation of  
Collector

6/

Note  
17/7/20

11/7/20


N.C.R.B (एन.सी.आर.बी.)  
I.I.F.-I (एकीकृत जांच फार्म -I)

**FIRST INFORMATION REPORT**

(Under Section 154 Cr.P.C.)

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(धारा 154 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत)



1. District (जिला): गैवा P.S. (थाना): सोरहटा  
FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0492 Year (वर्ष): 2020  
Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय): 26/08/2020 19:26 बजे
2. S.No. (क्र.सं.) Acts (अधिनियम) Sections (धारा(एँ))
- |   |               |     |
|---|---------------|-----|
| 1 | भा दं सं 1860 | 186 |
| 2 | भा दं सं 1860 | 353 |
| 3 | भा दं सं 1860 | 294 |
| 4 | भा दं सं 1860 | 341 |
| 5 | भा दं सं 1860 | 34  |
3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):
- |                                  |                                      |                                    |
|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| 1. Day (दिन):<br>शुक्रवार        | Date From (दिनांक से):<br>26/08/2020 | Date To (दिनांक तक):<br>26/08/2020 |
| Time Period (समय अवधि):<br>गहर 5 | Time From (समय से):<br>13:30 बजे     | Time To (समय तक):<br>14:00 बजे     |
- (b) Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 26/08/2020  
Time (समय): 18:50 बजे
- (c) General Diary Reference (रोजनामचा सदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 029  
Date & Time (दिनांक और समय): 26/08/2020 19:11
4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

3445  
10  
26/8/

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)  
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	पुनीत तिवारी		पिता का नाम : श्री सतोष तिवारी	1. पुनीत स्टोन केशर प्रस्तावित, बैजनाथ, चोरहटा, रीवा, मध्य प्रदेश, भारत
2	सतोष तिवारी			1. बैजनाथ, चोरहटा, रीवा, मध्य प्रदेश, भारत
3	उमेश कुशवाहा			1. प्रो0 सम्राट स्टोन केशर, बैजनाथ, चोरहटा, रीवा, मध्य प्रदेश, भारत

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

फरियादी व्दारा थाना में एक किता लिखित आवेदन पत्र पेश करने पर

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (संपत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति का प्रकार)	Description (विवरण)	Value (In Rs/-) (मूल्य (रु में))
-----------------	------------------------------------	------------------------------------	---------------------	----------------------------------

10. Total value of property (In Rs/-)-सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी. प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.) UIDB Number (यू.डी. प्रकरण सं.)

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

आवेदक डाक्टर आर.एस. परिहार क्षेत्रीय अधिकारी म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड रीवा (म.प्र.) एक खुद की हस्ताक्षरित आवेदन पत्र पुनीत तिवारी, संतोष तिवारी एवं उमेश कुशवाहा के विरुद्ध शासकीय कार्य व NGT न्यायालय के कार्य में बाधा डालने एवं अपशब्दों का प्रयोग करने रास्ता रोक कर अपशब्द कहना दिया जो आवेदन पर से उक्त तीनों के विरुद्ध प्रथम दृष्टया धारा 186, 353, 294, 341, 34 ता.हि. का अपराध पाया गया जो अपराध सट्टर पंजीवद्ध कर विवेचना में लिया गया। नकल मूल आवेदन पत्र जैल है। क्षेत्रीय कार्यालय म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एच.आई.जी. 190 - 191 नेहरू नगर रीवा (म.प्र.) Tel /Fax (07662) 230605 E-mail ropcb rewa@mp.gov.in क्रमांक / क्षे.का./ तक./ प्रनिवो/ 2020 रीवा दिनांक प्रति. मान. पुलिस अधीक्षक महोदय, जिला रीवा (म.प्र.) विषय- मान. एन.जी.टी. प्रकरण क्र. ओ. ए. 34/2020 (सी.जेड) में पारित आदेश के पालन अन्तर्गत स्थल / निरीक्षण में उपस्थित असमाजिक तत्वों एवं इकाई प्रतिनिधियों व्दारा कार्य में व्यवधान / दुर्व्यहार उत्पन्न करने से आवश्यक बल एवं सुरक्षा प्रदाय करने के संबंध में। संदर्भ- आज दिनांक 26.08.2020 को अपराध- ग्राम बैजनाथ स्थित स्टोन केशर इकाईयों का संयुक्त निरीक्षण के दौरान असमाजिक तत्वों व्दारा दुर्व्यहार एवं शासकीय / न्यायालयीन कार्य अवरुद्ध। महोदय, कृपया संदर्भित विषयान्तर्गत लेख है कि मान. न्यायालय व्दारा प्रकरण क्र. ओ.ए. 34/2020 (सी.जेड) में पारित आदेश दिनांक 03.06.2020 एवं दिनांक 10.08.2020 के अनुपालन में ग्राम बैजनाथ तह. हुजूर जिला रीवा का स्थल निरीक्षण संयुक्त जाँच समिति क्रमशः केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल, खनिज अधिकारी रीवा एवं अधोहस्ताक्षरकर्ता की टीम व्दारा संयुक्त निरीक्षण किया जा रहा था। निरीक्षण के दौरान श्री पुनीत तिवारी एवं पिता श्री सतोष तिवारी, श्री उमेश कुशवाहा एवं 07- 08 अन्य

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)  
I.I.F.-I (एकीकृत जांच फॉर्म -I)

लोग स्थल पर उपस्थित होकर अनायास अपशब्दों का प्रयोग करते हुए मान. न्यायालय के द्वारा पारित आदेश के परिपालन में निरीक्षण कार्य में बाधा उत्पन्न किया गया है तथा निरीक्षण टीम में सी.पी.सी.वी. भोपाल के अधिकारियों के लंच में जाले समय वाहन का पीछाकर वाहन के सामने श्री पुनीत तिवारी द्वारा अपनी वाहन खड़ी कर रास्ता अवरूद्ध कर वहाँ भी अभद्रता की गई है। अतएव श्रीमान जी से विनम्र अनुरोध है कि मान. न्यायालय के आदेश के परिपालन सुनिश्चित हेतु आवश्यक सुरक्षा बल तत्काल प्रभाव से उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे सयुक्त स्थल निरीक्षण का कार्य पूर्ण किया जा सके तथा ऐसे असमंजस एवं शान्तिकार्य / न्यायालयीन कार्य अवरूद्ध कर्ताओं के विरूद्ध आवश्यक अनुशासनात्मक कार्यवाही सुनिश्चित हेतु साटर प्रस्तुत है। SD आयाच्य क्षेत्रीय अधिकारी ग.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड रिया (म.प्र.) रिया दिनांक 26/8/20 पृ. क्रमांक / 1161/क्षे.का / तफ./ प्रनिवा/ 2020

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका गट सं. 2 उल्लेख धारा के तहत है।)

or (या)

(1) Registered the case and took up the investigation:

(प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया):

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): JAY SINGH BAGHEL

No.( सं.): 00

Rank (पद): Asst. SI (Assistant Sub-Inspector)

to take up the Investigation

(को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए):

or (के कारण इकार किया था)

(4) Transferred to P.S.(थाना):

District (ज़िला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी।)

R.O.A.C.(आर. ओ .ए .सी.)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)  
I.I.F.-I (एकीकृत जांच फार्म -I)

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S.(थाना से दूरी और दिशा): दक्षिण - पश्चिम 15 किमी

Beat No. (बीट सं.):

(b) Address (पता): पुनीत तिवारी धर्मकारा के पास, वैजनाथ

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर है तो):  
Name of P.S.(थाना का नाम): District(State) (ज़िला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): डाक्टर आर.एन. परिहार

(b) Father's Name (पिता का नाम):

स्व.श्री एस.डी.सिंह परिहार

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1959

(d) Nationality (राष्ट्रियता): भारत

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No.(पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की तिथि):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN)

S.No.(क्र.सं.) Id Type (पहचान पत्र का प्रकार)

Id Number (पहचान संख्या)

1

(h) Address (पता):

S.No. Address Type  
(क्र.सं.); (पता का प्रकार)

Address  
(पता)

1 वर्तमान पता

क्षेत्रीय अधिकारी म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, शिवा, समान, शिवा मध्य प्रदेश, भारत

2 स्थायी पता

क्षेत्रीय अधिकारी म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, शिवा, समान, शिवा, मध्य प्रदेश, भारत

(i) Occupation (व्यवसाय):

(j) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.): 91-9826143565

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (जात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी.)  
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant.  
(शिवायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

  
26/8/20

15. Date and time of dispatch to the court  
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Signature of Officer in charge, Police Station  
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): KEDAR NATH SAKET

Rank (पद): HC (Head Constable)

No. (सं.): 41

26/8/20



क्षेत्रीय कार्यालय  
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
एच.आई.जी.190-191 नेहरू नगर रीवा (म.प्र.)  
Tel / Fax : (07662) 230605 E-mail : ropcb-rewa@mp.gov.in

क्रमांक /  
प्रति.

/ क्षे.का. / तक. / प्रनिदा. / 2020

रीवा, दिनांक .....

मान. पुलिस अधीक्षक महोदय,  
जिला रीवा (म.प्र.)

विषय :- मान0 एन.जी.टी. प्रकरण क्र. ओ.ए. 34/2020 (सी.जेड) में पारित आदेश के पालन अन्तर्गत स्थल निरीक्षण में उपस्थिति असमाजिक तत्वों एवं इकाई प्रतिनिधियों द्वारा कार्य में व्यवधान/ दुर्व्यहार उत्पन्न करने से आवश्यक बल एवं सुरक्षा प्रदान करने के संबंध में।

संदर्भ :- आज दिनांक 26.08.2020 को अपराह्न ग्राम बेजनाथ स्थित स्लोन केशर इकाईयां का संयुक्त निरीक्षण के दौरान असमाजिक तत्वों द्वारा दुर्व्यहार एवं शासकीय/न्यायालयीन कार्य में व्यवधान उत्पन्न करने का अवरोध।

महोदय,

कृपया संदर्भित विषयान्तर्गत लेख है कि मान0 न्यायालय द्वारा प्रकरण क्र. ओ.ए. 34/2020 (सी.जेड) में पारित आदेश दिनांक 03.06.2020 एवं दिनांक 10.08.2020 के अनुपालन में ग्राम बेजनाथ एवं हुजूर जिला रीवा का स्थल निरीक्षण संयुक्त जांच समिति क्रमशः केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बल, बी.पी.डी. उनिज अधिकारी रीवा एवं अधोहस्ताक्षरकर्ता की टीम द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान श्री पुनीत तिवारी एवं पिता श्री रंतोष तिवारी, श्री उमेश कुशवाहा, श्री कृष्ण सिंह, श्री किशोर सिंह, श्री प्रदीप मेहरोत्रा एवं 07-08 अन्य लोग स्थल पर उपस्थित होकर अनायास अपराधों का प्रयोग करते हुए मान0 न्यायालय के द्वारा पारित आदेश के परिपालन में निरीक्षण कार्य में बाधा उत्पन्न किया गया है तथा निरीक्षण टीम में सी.पी.सी.बी. भोपाल के अधिकारियों के लंच में जाते समय वाहन का पीछाकर गैंगन के सदस्यों श्री पुनीत तिवारी द्वारा अपनी वाहन खड़ी कर रास्ता अवरुद्ध कर वहाँ भी अमरुता की गई है।

अतएव श्रीमान जी से निम्न अनुरोध है कि मान0 न्यायालय के आदेश के पालन एवं सुनिश्चित हेतु आवश्यक सुरक्षा बल तत्काल प्रभाव से उपलब्ध कराने का कष्ट करें। विरारा संयुक्त न्याय निरीक्षण का कार्य पूर्ण किया जा सके तथा ऐसे असमाजिक एवं शासकीय/न्यायालयीन कार्य में व्यवधान उत्पन्न करने के विरुद्ध आवश्यक अनुशासनात्मक कार्यवाही सुनिश्चित हेतु सादर प्रस्तुत है।

क्षेत्रीय अधिकारी

म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,रीवा (म.प्र.)

रीवा, दिनांक 26/8/20

प.क्रमांक / प्रतिनिधि, (116) / क्षे.का. / तक. / प्रनिदा. / 2020

1. सदस्य सचिव महोदय म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. क्षेत्रीय निदेशक केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. अपर कलेक्टर महोदय जिला रीवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. एस.डी.एम हुजूर जिला रीवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. जिला उनिज अधिकारी जिला रीवा की ओर सूचनार्थ।
6. नगर पुलिस अधीक्षक जिला रीवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. ग्राम प्रधान श्रीमान श्रीमान जिला रीवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,रीवा (म.प्र.)

## शासकीय कार्य में अड़गेबाजी दर्ज हुआ आपराधिक प्रकरण

सरकारी कर्मचारियों से की अभद्रता

शरकर न्यूज़ रील

क्रेशरों की जांच करने आई टीम के साथ अभद्रता के मामले में चोरहटा थाना पुलिस ने शासकीय कार्य में बाधा का प्रकरण दर्ज किया है। इसमें तीन लोगों को आरोपी बनाया गया है। आरोप है कि इन्होंने क्रेशर संचालकों के इशारे पर जांच टीम को रोक कर जमकर अभद्रता करने का प्रयास किया।

चोरहटा थाना पुलिस ने बताया कि क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अधिकारी आरएस परिहार ने शिकायत दर्ज कराई है। जिसमें बताया गया है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य बैजनाथ क्षेत्र में संचालित क्रेशरों की जांच करने आए थे। वे जांच करने गांव की ओर जा रहे थे। तभी तीन आरोपी संतोष तिवारी, पुनीत तिवारी व उमेश कुशवाहा

ने बैजनाथ गांव के बाहर रास्ता रोक लिया। वे गांव में जाने से मना करने लगे। टीम सदस्य आगे जाने का प्रयास किए तो अभद्रता शुरू कर दी। जिसके बाद जांच टीम वापस खैटी और सीधे धाने पहुंच गई। जहां पूरे मामले को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने शासकीय कार्य में बाधा का प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दिया है। वहीं आरोपी फरार हैं।

### क्रेशर संचालक पर्दे के पीछे

पूरे मामले को लेकर बताया जा रहा है कि बैजनाथ गांव में बड़े पैमाने पर अवैध रूप से क्रेशर का संचालन व खनन होता है। लिहाजा संचालक नहीं चाहते थे कि जांच टीम गांव पहुंचे। लिहाजा उन्होंने ग्रामीणों को उकसा कर जांच दल को रोकने का प्रयास किया है। इस घटना से जांच दल काफी नाराज था।

दैनिक जागरण रीवा 27 अगस्त 2020

केशरों की जांच में संचालकों ने डाली खलल

## दिल्ली की एनजीटी टीम के साथ अभद्रता तीन केशर संचालकों पर एफआईआर

चौरहटा थाना क्षेत्र के वैजनाथ  
का मामला

जागरण, रीवा। दिल्ली से केशरों की जांच करने गई एनजीटी टीम के सदस्यों के साथ केशर संचालकों ने अभद्रता व जान से मारने की धमकी दी है। जिस पर टीम ने थाने पहुंचे तीन लोगों पर शासकीय कार्य में बाधा डालने से संबंधित अन्य धाराओं पर मामला दर्ज कराया है। यह मामला चौरहटा थाना क्षेत्र के वैजनाथ का मामला रहा है। जानकारी के मुताबिक बुधवार को दिल्ली से ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) की टीम शहर के चौरहटा थाना क्षेत्र में संचालित केशरों की जांच पड़ताल करने गई थी। जहां उन्होंने कई केशरों को अवैध रूप से संचालित करने की बात कही। जिस पर केशर संचालक व टीम के बीच वाद-विवाद उत्पन्न हुआ। आरोप है कि इस दौरान केशर संचालकों ने उनके साथ अभद्रता की। उक्त मामले में टीम ने खनिज विभाग की जानकारी दी, इसके बाद चौरहटा थाना पहुंचे केशर संचालक संतोष तिपारी, पुनीत तिवारी, उमेश कुशवाहा के विरुद्ध सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने सहित अन्य धाराओं पर मामला पंजीबद्ध कराया। जिसकी पुलिस अब जांच पड़ताल में जुट गई है। वहीं इस मामले की जांच जारी रखने पर थाने पहुंचे सामाजिक कार्यकर्ता चौके माला ने बताया कि जिले में अवैध रूप से केशर संचालित हो



रहे हैं। जिस पर टीम द्वारा एक शिक्षात्मक पत्र देने की बात कर कार्यवाही करने का अहवाल दिया है। सामाजिक कार्यकर्ता चौके माला ने बताया कि अनुसार जिले में कई केशर अवैध रूप से संचालित किए जा रहे हैं। जिस पर स्थानीय अधिकारियों पूर्ण योगदान है। केशर संचालक अवैध रूप से केशर चलाने के लिए इनकी इस तरह चढ़ावा भी चढ़ा रहे हैं। लिहाजा पूरी कारण इन केशर पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब देखना यह है कि एनजीटी की टीम आगे क्या कदम उठाती है।

**Table: Status Report of Stone Crushers Gram Panchayat Baijnath th. Huzur distt. Rewa**

Date of Inspection 26-27.08.2020

**TABLE-1**

S.No.	Name and Address of Industry	Coordinates Longitude Latitude	Land owner name and address	Status of Consent	Distance form village/Abadi area/Temple	Remark
1	M/s Sahara Stone Crusher Prop. Shri Vijendra Singh Vill. Baijnath post Bholgarh Th. HuzurDistt. Rewa	81.185493 24.504565	Mo Akarm Siddhki Baijnath Rewa	C.T.E./CTO/ Rejected	70 meter approx	During the visit the Unit was non operational
2	M/s New Sahara Stone Crusher Prop. Shri Vijay Kumar Tripathipartner Vill. Baijnath post Bholgarh Th. HuzurDistt. Rewa	81.186977 24.503511	Mo Akarm Siddhki Baijnath Rewa	Application Rejected	225 approx meter	Unit was non operational
3	M/s Kashar Stone Crusher Prop. Shri Amit Singh Yadav Vill. Baijnath Post Bholgarh Th. HuzurDistt. Rewa	81.186721 24.505217	Shri Bhaskar Mishra S/o Shri samaylal Mishra Vill Baijnath	Application Rejected	190 approx meter	Unit was non operational
4	M/s Ram Prem Stone Crusher Prop. Shri AmbujPanday Vill. Baijnath post Bholgarh Th. HuzurDistt. Rewa	81.187963 24.504829	Shri Bhaskar Mishra S/o Shri samaylal Mishra Vill Baijnath	Application Rejected	300 approx meter	Unit was non operational
5	M/s Maasharda Stone Crusher Prop. Shri virendraBhadur Singh Vill. Baijnath post Bholgarh Th. HuzurDistt. Rewa	81.188111 24.504976	Shri Bhaskar Mishra & Mo Akarm Siddhki Vill Baijnath	Rejected	350 approx meter	Unit was non operational Established in Cluster zone area
6	M/s Shukla Stone Crusher Prop. Shri Sidharath Shukla Vill. Baijnath Post Bholgarh Th. HuzurDistt. Rewa	81.187244 24.503914	Shri Gulab Pandey vill. Baijnath	Sifted	320 approx meter	Unit was non operational, under shifting process
7	M/s Singh Tiwari Stone Crusher Prop. Shri Kamal Singh Tiwari vill. Baijnath post Bholgarh Th. HuzurDistt. Rewa	81.187244 24.503386	-----	Sifted	Proposed dismantle and shifting	Unit was non operational, under shifting process
8	M/s Puneet Tiwari Stone Crusher Prop. Shri Puneet Tiwari Vill. Baijnath post Bholgarh Th. HuzurDistt. Rewa	81.186814 24.505454	Shri Bhaskar S/o Shri samaylal Mishra	Not Started	200 approx meter	Unit was not established in the propose area and site not clear for process, inspecting team was observed the proposed land planted in (Rice agricultural crop)
9	M/s Kiran Krupa Stone Crusher Prop. Shri Sangeeta Shanna Vill. Baijnath post Bholgarh Th. HuzurDistt. Rewa	81.185458 24.508007	Shri dal pratap singh Tiwari s/o shri Gulab Singh Tiwari vill Baijnath	Closed / Sifted	Presently shifting and dismantle	Non operational & not established
10	M/s Y.N. Stone Crusher	81.185541	Smt Mukanti Devi W/O	Reject	200 meter	Unit was non operational.

11	Prop. Shri Prabhakar Bajinath post Huzur Distt.: Rewa	Shukla Bholgarh Th.	Vill	24.508779	Late Shri Rajendra Prasad Vill Bajinath		approx and Gov. School approx. 330 meter	under Cluster zone area
12	M/s Vinodan Stone Prop. Shri Shivendra Singh Patel Vill. Bajinath post Bholgarh Th. Huzur Distt.: Rewa	Stone Crusher Bajinath Th.	Crusher	81.186132 24.508567	Shri Rajesh Prasad Vill Bajinath	Reject	220 meter approx and Gov. School approx. 330 meter	Unit was non operational, under Cluster zone area
13	M/s Kabaya Stone Crusher Prop. Shri Vinodpandey Vill. Bholgarh Th. Huzur Distt.: Rewa	Crusher Prop. Shri Vinodpandey Vill. Bholgarh Th.	Crusher post	81.186607 24.508104	Shri Raja Ram Tiwari Vill Bajinath	Reject	250 meter approx Near Old Temple	Unit was non operational,
14	M/s Samaral Stone Crusher Prop. Shri Umesh Kuswaha Vill. Bajinath Post Bholgarh Th. Huzur Distt.: Rewa	Stone Crusher Prop. Shri Umesh Kuswaha Vill. Bajinath Post	Crusher	81.172635 24.508326	Shri Umesh Kuswaha Vill Bajinath	C.T.E. issued	Distance from 57 meter app.	Unit was non operational, near rural road 57 M. app. Operating through D.G. Set
15	M/s Sidharth Shukla Stone Crusher Prop. Shri Sidharth Shukla Vill. Hinouti post Bholgarh Th. Huzur Distt.: Rewa	Stone Crusher Prop. Shri Sidharth Shukla Vill. Hinouti post	Crusher Th.	81.160644 24.501920	Shri Amit Kumar and Pramod Kumar Vill Hinouti	Reject	- Distance from 50 meter app.	Unit was non operational,
16	M/s Ambuj Stone Cursher Prop. Shri Ambuj tripathi Vill. Bholgarh Th. Huzur Distt.: Rewa	Stone Cursher Prop. Shri Ambuj tripathi Vill. Bholgarh Th.	Prop. Shri	81.161053 24.503110	-----	Closed/sifted	- Distance from 150 meter app.	Unit was non operational, not established
17	M/s Pawan Pathak Stone Crusher Prop. Shri Pawan Pathak Vill. Hinouti Post Bholgarh Th. Huzur Distt.: Rewa	Stone Crusher Prop. Shri Pawan Pathak Vill. Hinouti Post	Crusher Th.	81.162955 24.501866	Shri Manesh Panday Vill Hinouti	Reject	Distance from 450 meter app.	Unit was non operational,
18	M/s Rama Asosiate Stone Crusher Prop. Shri Mukes Tripathi Vill. Hinouti Post Bholgarh Th. Huzur Distt.: Rewa	Stone Crusher Prop. Shri Mukes Tripathi Vill. Hinouti Post	Crusher Vill.	81.163558 24.501567	Shri Ram Ruchi Mishra Vill. Hinouti	Reject	Distance from 450 meter app.	Unit was non operational,
19	M/s Shilpi Stone Crusher Prop. Shri Narendra Singh Vill. Khanariya Post Bholgarh Th. Huzur Distt.: Rewa	Stone Crusher Prop. Shri Narendra Singh Vill. Khanariya Post	Prop. Shri	81.190498 24.521974	Shri Narendra Singh Vill. Khanariya	C.T.O. 01.10.2019	Distance from 800 meter app.	Unit was non operational, under lease area of M/s. UTCW, Beia Stock Permission rejected

Note:- There was no near NH/SH Road distance form units app. 2.5 km.



## M.P. Pollution Control Board

BIG - 50101,  
Nehru Nagar Colony, Rewa  
Ph. 07662-230695

123092

REJECTION ORDER

BY: R.P.A.D.

NO. PCB / REW / CCA / 13519 - 31/10/2019

To,  
M/s. New Sahara Stone Crusher,  
Kh. No. 1446 Rakwa 0.240 hact., Vill. -Bajnath Th. -Hujur Distt. Rewa (m.P.),  
City : Bajjnath, Tal : Hujur, SIDC : Not In SIDC  
Dist : Rewa . Phone : 7697690786

SUB: CTE Rejection of application at Plot No Kh. No. 1446 Rakwa 0.240 hact., Vill. -Bajnath Th. -Hujur Distt. Rewa (m.P.), City : Bajjnath, Dist : Rewa

REF: Your CTE application No. 892571, dated 23/10/19 along with CTE application.

Sir,

With reference to your above referred letter, we have to inform you that your application for obtaining CONSENT TO ESTABLISH is rejected by this Board for the following reasons:

**Reasons for Rejection**

- 1) Industry not provided the required information/document.

**Specific Reason :**

The unit is not replied and this unit is already established and under production without prior obtain CTE that is seen by inspection team with RO on dated 22/10/2019

Your Application will be re-considered only after compliance above reasons.

For and on behalf of  
M.P. Pollution Control Board

( DR.R.S.PARIHAR,SSO - Rewa)

Copy to :

- 1)The Regional Office, PCB Board , Rewa
- 2) NOC rejection file.



123092

**REJECTION ORDER**

NO. PCB / REW / CCA / 13343 - 14/08/2019

To,  
M/s. New Sahara Stone Crusher,  
Kh. No. 1446 Rakwa 0.240 hact., Vill. -Bajnath Th. -Hujur Distt. Rewa (m.P.),  
City : Baijnath., Tal : Hujur, SIDC : Not in SIDC  
Dist : Rewa , Phone : 7697690786

SUB : CTE Rejection of application at Plot No Kh. No. 1446 Rakwa 0.240 hact., Vill -Bajnath Th. -Hujur Distt. Rewa (m.P.), City : Baijnath, Dist : Rewa

REF : Your CTE application No : 836417, dated 07/08/19 along with CTE application.

Sir,

With reference to your above referred letter, we have to inform you that your application for CONSENT TO ESTABLISH is rejected by this Board for the following reason:

**Reasons for Rejection**

1. Unit established near residential area and not in any notified area of Land conversion

**Specific Reason :**

Your Application will be re-considered only after compliance above reasons.

For and on  
M.P. Pollution Control

( DR.R.S.PARIHAR,CS

**Copy to :**

- 1)The Regional Office, PCB Board , Rewa
- 2) NOC rejection file.

Printed On : 14/08/2019

Computer generated Order thru XGN, does NOT require Physical Signature



क्षेत्रीय कार्यालय  
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
एच.आई.जी.190-191 नेहरू नगर रीवा (म.प्र.)  
Tel / Fax : (07662) 230605 E-mail : rorewa\_pcb@rediffmail.com

कमंक / 1440 / क्षे.का. / प्रनिको / 2019  
प्रति,

रीवा दिनांक 22.08.19

मै0 न्यू सहारा स्टोन क्रेशर  
ग्राम वैजनाथ तह0 हुजूर  
जिला रीवा (म.प्र.)

विषय :- विना बोर्ड की सम्मति प्राप्त स्थापित इकाई का आवेदन निरस्त करने के संबंध में।  
संदर्भ :- आपका आवेदन दिनांक 07.08.2019

कृपया संदर्भित विषयान्तर्गत लेख है कि आपके द्वारा ग्राम वैजनाथ स्तर पर म. 1446 संख्या 02000  
हो में स्टोन क्रेशर इकाई की स्थापना कर उत्पादन भी प्रारंभ कर लिया गया है जो कि बोर्ड नियमों अधिनियमों का  
खुला उल्लंघन है। आपकी इकाई की स्थापना मान0 एच.जी.टी में प्रदूषित प्रकरण के निर्णय अनुसार स्थापित नहीं  
है, जिस कारण से आपके आवेदन को निरस्त कर सूचित किया जाता है, कि आप तत्काल समाप्त में इकाई का  
उत्पादन बंद कर मान0 न्यायालय एच.जी.टी. के आदेश के अनुरूप इकाई की स्थापना हेतु बोर्ड में आवेदन  
करें, तब तक किसी भी प्रकार से इकाई का संचालन न करें, अन्यथा आपके विरुद्ध वायु अधिनियम 1986 की धारा  
21,22 तथा 37,39 के तहत मान0 न्यायालय में वाद दायर किया जायेगा, जिसकी समाप्त तक बंदेकी आपकी इकाई  
कृपया सूचित हो।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार प्रकरण निरस्त की प्रति।

कृंक / 1441 / क्षे.का. / प्रनिको / 2019  
प्रतिलिपि:-

(डॉ. आर.एस. परिहार)  
क्षेत्रीय अधिकारी  
रीवा दिनांक

22-8-19

- कलेक्टर महोदय, जिला रीवा की ओर सूचनाएं प्रेषित।
- मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रीवा की ओर सूचनाएं प्रेषित कर निर्दिष्ट है कि सभी वडा, पंचायत, सरपंच, सचिव को निर्देशित किया जाय कि ऐसी इकाईयों का बोर्ड से स्पष्ट अनुमोदन/ अनुशासन एवं विना बोर्ड की पर्यावरणीय अभिमत/ अनुमति प्राप्त किए बगैर ग्राम समा का अनुमोदन/ अनुशासन प्रस्ताव जारी न किए जाएं।
- खनिज अधिकारी जिला रीवा की ओर सूचनाएं प्रेषित कर लेख है कि ऐसी इकाईयों को विना बोर्ड की सम्मति प्राप्त किए बगैर मण्डारण, पिटपास जारी न किए जाए, यदि जारी किए गए हैं तो तत्काल निरस्त किया जावे।
- अधीक्षण यंत्री म.प्र.पू.क्षे. विद्युत वितरण कम्पनी, रीवा की ओर लेख है कि ऐसी इकाईयों को बंद कराने के लिए सम्मति प्राप्त किए बगैर विद्युत सुविधा कनेक्शन जारी न किए जाये।
- अनुविभागीय अधिकारी तह0 हुजूर जिला रीवा की ओर सूचनाएं एवं आवश्यक कार्रवाई (अनुशासन) प्रस्ताव हेतु प्रेषित।
- शिबि अधिकारी म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनाएं एवं अद्य कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(डॉ. आर.एस. परिहार)  
क्षेत्रीय अधिकारी  
म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
रीवा (म.प्र.)

STONIE CRISHAR



## M.P. Pollution Control Board

FIG - 190-191,  
Nehru Nagar Colony, Rewa  
Ph. 07662-230605

125572

### REJECTION ORDER

BY. R.P.A.D.

NO. PCB / REW / CCA / 13344 - 14/08/2019

To,  
M/s. Kesar Stone Crusher,  
Kh. no. 1406,1408,1410 Rakwa 0.406 hact., VILLAGE Baijnath Tola Bela Th. Hujur Distt  
- Rewa,  
City : VILLAGE Baijnath Tola Bela., Tal : Hujur, SIDC : Not In SIDC  
Dist : Rewa , Phone : 9131705749

SUB : CTE Rejection of application at Plot No Kh. no. 1406,1408,1410 Rakwa 0.406 hact., VILLAGE Baijnath Tola Bela Th. Hujur Distt - Rewa. City : VILLAGE Baijnath Tola Bela, Dist : Rewa

REF : Your CTE application No : 836519, dated 03/08/19 along with CTE application.

Sir,

With reference to your above referred letter, we have to inform you that your application for obtaining CONSENT TO ESTABLISH is rejected by this Board for the following reasons :

#### **Reasons for Rejection**

- 1 Unit established near residential area and not in any notified area or Land conversion.

#### **Specific Reason :**

Your Application will be re-considered only after compliance above reasons.

For and on behalf of  
M.P. Pollution Control Board

( DR.R.S.PARIHAR,SSO - Rewa)

Copy to :

- 1) The Regional Office, PCB Board , Rewa
- 2) NOC rejection file.

Printed On : 14/08/2019

Computer generated Order thru XGN, does NOT require Physical Signature

**N I C**



## M.P. Pollution Control Board

HRG - 190-191,  
Nehru Nagar Colony, Rewa  
Ph: 07662 210605

127125

### REJECTION ORDER

BY: R.P.A.D.

NO. PCB / REW / CCA / 13460 - 03/10/2019

To,  
M/s. Maa Sharda Stone Works,  
1400, 1404, GRAM BAIJNATH POST BHOLGARH TEH HUZUR, DISTT REWA,  
City : BAIJNATH,, Tal : Hujur, SIDC : Not In SIDC  
Dist : Rewa , Phone : 7007513299

SUB : CTE Rejection of application at Plot No 1400, 1404, GRAM BAIJNATH POST BHOLGARH TEH HUZUR, DISTT REWA, City : BAIJNATH, Dist : Rewa

REF : Your CTE application No : 870354, dated 25/09/19 along with CTE application.

Sir,

With reference to your above referred letter, we have to inform you that your application for obtaining CONSENT TO ESTABLISH is rejected by this Board for the following reasons :

#### **Reasons for Rejection**

1. Industry not provided the required information/document

#### **Specific Reason :**

The unit is not replied & not uploaded necessary details of documents

Your Application will be re-considered only after compliance above reasons.

For and on behalf of  
M.P. Pollution Control Board

( DR.R.S.PARIHAR,SSO - Rewa)

Copy to :

- 1)The Regional Office, PCB Board , Rewa
- 2) NOC rejection file.

Printed On : 03/10/2019

Computer generated Order thru XGN, does NOT require Physical Signature





## M.P. Pollution Control Board

HIG - 190-191,  
Nehru Nagar Colony, Rewa  
Ph: 07662- 230605

125677

REJECTION ORDER

BY. R.P.A.D.

NO. PCB / REW / CCA / 13345 - 14/08/2019

To,  
M/s. M/s Y . N. Stone Crusher,  
Khasara No 1229/1 Rakawa 0.2870 Hact & 1231/2 RAKAWA 0.2140, VIII-BIAJNATH  
Tahsil HUJUR Distt Rewa ( M.P.),  
City : VIII-BIAJNATH Tahsil HUJUR Dis., Tal : Hujur, SIDC : Not In SIDC  
Dist : Rewa , Phone : 9589321332

SUB : CTE Rejection of application at Plot No Khasara No 1229/1 Rakawa 0.2870 Hact & 1231/2 RAKAWA 0.2140, VIII-BIAJNATH Tahsil HUJUR Distt Rewa ( M.P.). City : VIII-BIAJNATH Tahsil HUJUR Dis, Dist Rewa

REF : Your CTE application No : 836644, dated 03/08/19 along with CTE application.

Sir,

With reference to your above referred letter, we have to inform you that your application for obtaining CONSENT TO ESTABLISH is rejected by this Board for the following reasons :

### Reasons for Rejection

- 1 Unit established near residential area and not in any notified area or Land conversion.

### Specific Reason :

Your Application will be re-considered only after compliance above reasons.

For and on behalf of  
M.P. Pollution Control Board

( DR.R.S.PARIHAR,SSO - Rewa)

Copy to :

- 1)The Regional Office, PCB Board , Rewa
- 2) NOC rejection file.

Printed On : 14/08/2019

Computer generated Order then XGN. does NOT require Physical Signature

**N I C**



## M.P. Pollution Control Board

Regional Office,  
Nanda Colony, Rewa  
PIN-493002

125953

### REJECTION ORDER

BY: R.P.A.D

NO. PCB / REW / CCA / 13824 - 09/03/2020

To,  
M/s. Shri Ram Prem Stone Crusher,  
Khasara No 1405,1406, Rakawa 0.267 hact, VILL Baijnath Th- Huzur Distt.Rewa,  
City : VILL Baijnath,, Tal : Hujur, SIDC : Not In SIDC  
Dist : Rewa , Phone : 9179362666

SUB : CTE Rejection of application at Plot No khasara No 1405,1406, Rakawa 0.267 hact, VILL Baijnath Th-  
Huzur Distt.Rewa, City : VILL Baijnath, Dist : Rewa

REF : Your CTE application No 999398, dated 04/03/20 along with CTE application.

Sir,

With reference to your above referred letter, we have to inform you that your application for obtaining  
CONSENT TO ESTABLISH is rejected by this Board for the following reasons:

#### **Reasons for Rejection**

1. Industry not provided the required information/document.
2. Site is not suitable from environment point of view.

#### **Specific Reason :**

The unit is not suitable as per NGT order and board guideline.

Your Application will be re-considered only after compliance above reasons.

For and on behalf of  
M.P. Pollution Control Board


( DR R.S.PARIHAR,SSO - Rewa)

Copy to :

- 1) The Regional Office, PCB Board , Rewa
- 2) NOC rejection file.

Printed On : 09/03/2020

Computer generated Order thru XGN, does NOT require Physical Signature





## M.P. Pollution Control Board

HIG - 190-191,  
Nehru Nagar Colony, Rewa  
Ph: 07662-230608

125545

REJECTION ORDER

BY. R.P.A.D.

NO. PCB / REW / CCA / 13502 - 23/10/2019

To,  
M/s. M/s Kabya Stone Crusher,  
1211/1 GRAM BAIJNATH BANKUIYA HUZUR REWA, 1211/1 GRAM BAIJNATH  
BANKUIYA HUZUR REWA,  
City : BAIJNATH,, Tal : Hujur, SIDC : Not In SIDC  
Dist : Rewa , Phone : 9111111408

SUB : CTE Rejection of application at Plot No 1211/1 GRAM BAIJNATH BANKUIYA HUZUR  
REWA.1211/1 GRAM BAIJNATH BANKUIYA HUZUR REWA, City : BAIJNATH, Dist : Rewa

REF : Your CTE application No : 893082, dated 23/10/19 along with CTE application.

Sir,

With reference to your above referred letter, we have to inform you that your application for obtaining  
CONSENT TO ESTABLISH is rejected by this Board for the following reasons :

### Reasons for Rejection

- 1 Industry not provided the required in formation/document.

### Specific Reason :

This site is not established as per Board Guideline and Order of NGT OA 739/2018 and this is all ready  
established and under production without prior obtain CTE from board

Your Application will be re-considered only after compliance above reasons.

For and on behalf of  
M.P. Pollution Control Board

( DR.R.S.PARIHAR,SSO - Rewa)

Copy to :

- 1)The Regional Office, PCB Board , Rewa
- 2) NOC rejection file.

Printed On : 23/10/2019

Computer generated Order thru XGN, does NOT require Physical Signature



M.P. Pollution Control Board

Nehru Nagar, Rewa  
Ph. 07662-251111

125545

REJECTION ORDER

BY. R.P.A.D.

NO. PCB / REW / CCA / 13314 - 23/07/2019

To,  
M/s. Ms Kabya Stone Crusher,  
1211/1 GRAM BAIJNATH BANKUIYA HUZUR REWA, 1211/1 GRAM BAIJNATH  
BANKUIYA HUZUR REWA,  
City : BAIJNATH,, Tal : Hujur, SIDC : Not In SIDC  
Dist : Rewa , Phone : 9111111408

SUB : CTE Rejection of application at Plot No 1211/1 GRAM BAIJNATH BANKUIYA HUZUR  
REWA.1211/1 GRAM BAIJNATH BANKUIYA HUZUR REWA.City : BAIJNATH.Dist : Rewa

REF : Your CTE application No : 836247, dated 08/07/19 along with CTE application.

Sir,

With reference to your above referred letter, we have to inform you that your application for obtaining  
CONSENT TO ESTABLISH is rejected by this Board for the following reasons :

**Reasons for Rejection**

- 1 You have not submitted adequacy certificate in respect of Environment Management System (EMS).

**Specific Reason :**

Your Application will be re-considered only after compliance above reasons.

For and on behalf of  
M.P. Pollution Control Board

( DR.R.S.PARIHAR,SSO - Rewa)

**Copy to :**

- 1)The Regional Office, PCB Board , Rewa
- 2) NOC rejection file.

Printed On : 23/07/2019

Computer generated Order thru XGN, does NOT require Physical Signature

**N I C**



## M.P. Pollution Control Board

HQ - 190-191,  
Nehru Nagar Colony, Rewa  
Ph: 07662-230605

125545

### REJECTION ORDER

BY. R.P.A.D.

NO. PCB / REW / CCA / 13823 - 09/03/2020

To,  
M/s. M/s Kabya Stone Crusher,  
1211/1 GRAM BAIJNATH BANKUIYA HUZUR REWA, 1211/1 GRAM BAIJNATH  
BANKUIYA HUZUR REWA,  
City : BAIJNATH., Tal : Hujur, SIDC : Not In SIDC  
Dist : Rewa , Phone : 9111111408

SUB : CTE Rejection of application at Plot No 1211/1 GRAM BAIJNATH BANKUIYA HUZUR  
REWA, 1211/1 GRAM BAIJNATH BANKUIYA HUZUR REWA, City : BAIJNATH, Dist : Rewa

REF : Your CTE application No . 999206, dated 04/03/20 along with CTE application.

Sir,

With reference to your above referred letter, we have to inform you that your application for obtaining  
CONSENT TO ESTABLISH is rejected by this Board for the following reasons :

#### Reasons for Rejection

1. Industry not provided the required information/document.
2. Site is not suitable from environment point of view.

#### Specific Reason :

The unit site is not suitable as per NGT order and board guideline

Your Application will be re-considered only after compliance above reasons.

For and on behalf of  
M.P. Pollution Control Board

( DR.R.S.PARIHAR,SSO - Rewa)

Copy to :

- 1)The Regional Office, PCB Board , Rewa
- 2) NOC rejection file

Printed On : 09/03/2020

Computer generated Order thru XGN, does NOT require Physical Signature

**N I C**



## M.P. Pollution Control Board

III/1-190-191,  
Nehru Nagar Colony, Rewa  
Ph: 07662-230605

125374

### REJECTION ORDER

BY: R.P.A.D.

NO. PCB / REW / CCA / 13822 - 09/03/2020

To,  
M/s. M/s Vrindawan Stone Crusher, Rewa,  
Khasra No.1223 Rakwa-0.364 Heact., Village - Baijnath Tehsil Huzur Distt, Rewa,  
City : Village - Baijnath,, Tal : Hujur, SIDC : Not In SIDC  
Dist : Rewa , Phone : 9131633471

SUB : CTE Rejection of application at Plot No Khasra No.1223 Rakwa-0.364 Heact., Village - Baijnath Tehsil  
Huzur Distt, Rewa, City : Village - Baijnath, Dist : Rewa

REF : Your CTE application No : 999397, dated 04/03/20 along with CTE application.

Sir,

With reference to your above referred letter, we have to inform you that your application for obtaining  
CONSENT TO ESTABLISH is rejected by this Board for the following reasons :

#### **Reasons for Rejection**

1. Industry not provided the required information/document
2. Site is not suitable from environment point of view.

#### **Specific Reason :**

The unit is not suitable as per NGT order and board guideline

Your Application will be re-considered only after compliance above reasons.

For and on behalf of  
M.P. Pollution Control Board

( DR.R.S.PARIHAR,SSO - Rewa)

Copy to :

- 1)The Regional Office, PCB Board , Rewa
- 2) NOC rejection file

Printed On : 09/03/2020

Computer generated Order thru XGN, does NOT require Physical Signature

**N I C**



## M.P. Pollution Control

HQ -  
Nehru Nagar Colony,  
Ph: 07662-23

125374

### REJECTION ORDER

BY. R.P.A.D.

NO. PCB / REW / CCA / 13758 - 19/02/2020

To,  
M/s. Ms Vrindawan Stone Crusher, Rewa,  
Khasra No.1223 Rakwa-0.364 Heact., Village - Baijnath Tehsil Huzur Distt, Rewa,  
City : Village - Baijnath., Tal : Hujur, SIDC : Not In SIDC  
Dist : Rewa , Phone : 9131633471

SUB : CTE Rejection of application at Plot No Khasra No.1223 Rakwa-0.364 Heact Village - Baijnath Tehsil Huzur Distt, Rewa, City : Village - Baijnath. Dist : Rewa

REF : Your CTE application No : 969061, dated 16/02/20 along with CTE application

Sir,

With reference to your above referred letter, we have to inform you that your application for obtaining CONSENT TO ESTABLISH is rejected by this Board for the following reasons :

#### Reasons for Rejection

1. Site is not suitable from environment point of view.

#### Specific Reason :

THE UNIT IS NOT ESTABLISH AS PER NGT ORDER ,BOARD GUIDE LINES AND ALSO UNDER PRODUCTION WITHOUT PRIOR OBTAIN CTE FROM THIS OFFICE SO HERE CAN BE REJECTED THIS APPLICATION

Your Application will be re-considered only after compliance above reasons.

For and on behalf of  
M.P. Pollution Control Board

( DR.R.S.PARIHAR,SSO - Rewa)


Copy to :

- 1)The Regional Office, PCB Board , Rewa
- 2) NOC rejection file.

Printed On : 19/02/2020

Computer generated Order thru XGN, does NOT require Physical Signature

**N I C**



## M.P. Pollution Control Board

HQ - 490-191  
Nehru Nagar Colony, Rewa  
Ph. 07632 236175

125374

REJECTION ORDER

BY: R.P.A.D.

NO. PCB / REW / CCA / 13244 - 07/06/2019

To,  
M/s. M/s Vrindawan Stone Crusher, Rewa,  
Khasra No.1223 Rakwa-0.364 Heact., Village - Baijnath Tehsil Huzur Distt, Rewa,  
City : Village - Baijnath,, Tal : Hujur, SIDC : Not In SIDC  
Dist : Rewa , Phone : 9131633471

SUB : CTE Rejection of application at Plot No Khasra No.1223 Rakwa-0.364 Heact., Village - Baijnath Tehsil Huzur Distt, Rewa. City : Village - Baijnath. Dist : Rewa

REF : Your CTE application No : 835720, dated 27/05/19 along with CTE application.

Sir,

With reference to your above referred letter, we have to inform you that your application for obtaining CONSENT TO ESTABLISH is rejected by this Board for the following reasons :

### Reasons for Rejection

- 1) Ambient air quality is found poor.

### Specific Reason :

Your Application will be re-considered only after compliance above reasons

For and on behalf of  
M.P. Pollution Control Board


( DR. R.S. PARIHAR, SSO - Rewa )

Copy to :

- 1) The Regional Office, PCB Board , Rewa
- 2) NOD rejection file

Printed On : 07/06/2019

Computer generated Order thru XGN, does NOT require Physical Signature





## M.P. Pollution Control Board

Office : 196/15,  
Nehru Nagar, Cuttack, Rewa  
Pin-676632, Jharkhand

125374

### REJECTION ORDER

BY: R.P.A.D.

NO. PCB / REW / CCA / 13624 - 12/12/2019

To,  
M/s. Ms Vrindawan Stone Crusher, Rewa,  
Khasra No.1223 Rakwa-0.364 Heact., Village - Bajjnath Tehsil Huzur Distt, Rewa,  
City : Village - Bajjnath,, Tal : Hujur, SIDC : Not In SIDC  
Dist : Rewa , Phone : 9131633471

SCB : CTE Rejection of application at Plot No Khasra No 1223 Rakwa-0.364 Heact., Village - Bajjnath, Huzur Distt, Rewa, City : Village - Bajjnath, Dist : Rewa

REF : Your CTE application No : 892271, dated 30/11/19 along with CTE application.

Sir,

With reference to your above referred letter, we have to inform you that your application for obtaining CONSENT TO ESTABLISH is rejected by this Board for the following reasons :

#### Reasons for Rejection

1. Ambient air quality is found poor
2. Air Pollution Control Measures not Installed / Insufficient / Inadequate
3. APCB not Functional
4. Site is not suitable from environment point of view
5. Housekeeping is found poor.

#### Specific Reason :

Your Application will be re-considered only after compliance above reasons.

For and on behalf of  
M.P. Pollution Control Board

( DR.R.S.PARIHAR,SSO - Rewa)

Copy to :

- 1) The Regional Office, PCB Board, Rewa
- 2) NCC rejection file.

Printed On : 12/12/2019

Computer generated Order thru XGN, does NOT require Physical Signature

**N | C**



## M.P. Pollution Control Board

Office of  
Noble Nishan Talwar, Rewa  
Regional Office

120419

REJECTION ORDER

BY: R.P.A.D.

NO. PCB / REW / CCA / 13192 - 10/04/2019

To,  
M/s. Samrat Stone Crusher,  
Kh. No. 468/1 Rakwa 0.867 hact., Baijnath Post - Bholgarh Th. -Hujur Dist- Rewa (M.P.),  
City : Baijnath,, Tal : Hujur, SIDC : Not In SIDC  
Dist : Rewa , Phone : 9827436259

SUB : CTE Rejection of application at Plot No Kh. No. 468/1 Rakwa 0.867 hact., Baijnath Post - Bholgarh Th. -Hujur Dist- Rewa (M.P.), City : Baijnath, Dist : Rewa

REF : Your CTE application No : 300209, dated 25/03/19 along with CTE application.

Sir,

With reference to your above referred letter, we have to inform you that your application for obtaining CONSENT TO ESTABLISH is rejected by this Board for the following reasons

### Reasons for Rejection

1. You have not provided adequate Air Pollution Control Equipments
2. Housekeeping is found poor.

### Specific Reason :

Your Application will be re-considered only after compliance above reasons.

For and on behalf of  
M.P. Pollution Control Board

( DR.R.S PARIHAR,SSO - Rewa)

Copy to :

- 1)The Regional Office, PCB Board , Rewa
- 2) NOC rejection file.

Printed On : 10/04/2019

Computer generated Order thru NGN, does NOT require Physical Signature





## M.P. Pollution Control Board

HQ - 19010  
Nehru Nagar Colony, Rewa  
Phone 662-24000

129414

REJECTION ORDER

BY: R.P.A.D

NO. PCB / REW / CCA / 13687 - 16/01/2020

To,  
M/s. Siddharth Shukla,  
137/2 HINAUTI 636 BAIJNATH BANKUIYA HUZUR REWA, 137/2 HINAUTI 636  
BAIJNATH BANKUIYA HUZUR REWA,  
City : HINAUTI,, Tal : Hujur, SIDC : Not In SIDC  
Dist : Rewa , Phone : 7898682043

SUB : CTE Rejection of application at Plot No 137/2 HINAUTI 636 BAIJNATH BANKUIYA HUZUR  
REWA,137/2 HINAUTI 636 BAIJNATH BANKUIYA HUZUR REWA, City : HINAUTI, Dist : Rewa

REF : Your CTE application No : 956080, dated 13/01/20 along with CTE application.

Sir,

With reference to your above referred letter, we have to inform you that your application for obtaining  
CONSENT TO ESTABLISH is rejected by this Board for the following reasons .

### Reasons for Rejection

- 1) Industry not provided the required information document.

### Specific Reason :

The unit is not replied and not uploaded required documents So here can be rejected

Your Application will be re-considered only after compliance above reasons.

For and on behalf of  
M.P. Pollution Control Board

( DR.R.S.PARIHAR,SSO - Rewa)

Copy to :

- 1)The Regional Office, PCB Board , Rewa
- 2) NOC rejection file.

Printed On : 16/01/2020

Computer generated Order thru XGN, does NOT require Physical Signature





## M.P. Pollution Control Board

HQ - 19  
Nehru Nagar Colony, B  
Ph: 07602-2100

129414

### REJECTION ORDER

BY: R.P.A.D.

NO. PCB / REW / CCA / 13825 - 09/03/2020

To,  
M/s. Siddharth Shukla,  
137/2 HINAUTI 636 BAIJNATH BANKUIYA HUZUR REWA, 137/2 HINAUTI 636  
BAIJNATH BANKUIYA HUZUR REWA,  
City : HINAUTI., Tal : Hujur, SIDC : Not in SIDC  
Dist : Rewa , Phone : 7898682043

SUB : CTE Rejection of application at Plot No 137/2 HINAUTI 636 BAIJNATH BANKUIYA HUZUR  
REWA, 137/2 HINAUTI 636 BAIJNATH BANKUIYA HUZUR REWA, City : HINAUTI, Dist : Rewa

REF : Your CTE application No : 999620, dated 04/03/20 along with CTE application.

Sir,

With reference to your above referred letter, we have to inform you that your application for obtaining  
CONSENT TO ESTABLISH is rejected by this Board for the following reasons :

#### Reasons for Rejection

- 1) Industry not provided the required information/document.

#### Specific Reason :

The unit site is not suitable as per NGT Order and Board guideline

Your Application will be re-considered only after compliance above reasons

For and on behalf of  
M.P. Pollution Control Board

( DR.R.S.PARIHAR,SSO - Rewa)

Copy to :

- 1) The Regional Office, PCB Board, Rewa
- 2) NOC rejection file.

Printed On : 09/03/2020

Computer generated Order thru XGN, does NOT require Physical Signature





## M.P. Pollution Control Board

HIG - 190-194,  
Nehru Nagar Colony, Rewa  
Ph: 07662-230605

130264

### REJECTION ORDER

BY. R.P.A.D.

NO. PCB / REW / CCA / 13928 - 26/06/2020

To,  
M/s. M/s Pavan Stone Crusher,  
Aaraji No 207 Rakwa 0.818 Hact, Vill Hinauti Th Hujur Distt Rewa,  
City : Rewa., Tal : Hujur, SIDC : Not In SIDC  
Dist : Rewa , Phone : 8839286728

SUB : CTE Rejection of application at Plot No Aaraji No 207 Rakwa 0.818 Hact, Vill Hinauti Th Hujur Distt  
Rewa, City : Rewa, Dist : Rewa

REF : Your CTE application No : 1002443, dated 26/06/20 along with CTE application.

Sir,

With reference to your above referred letter, we have to inform you that your application for obtaining  
CONSENT TO ESTABLISH is rejected by this Board for the following reasons :

#### **Reasons for Rejection**

1. Industry not provided the required information/document.

#### **Specific Reason :**

The unit is not replied and not uploaded required details . This unit is all ready in production without before  
obtaining board A/W consent to establishment So here can be rejected .

Your Application will be re-considered only after compliance above reasons.

For and on behalf of  
M.P. Pollution Control Board

( DR.R.S.PARIHAR,SSO - Rewa)

Copy to :

- 1) The Regional Office, PCB Board , Rewa
- 2) NOC rejection file.

Printed On : 26/06/2020

Computer generated Order thru XGN. does NOT require Physical Signature

**N I C**



क्षेत्रीय कार्यालय

म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

एच.आई.जी.190-191 नेहरू नगर रीवा (म.प्र.)

Tel / Fax : (07662) 230605 E-mail : [rorewa\\_pcb@rediffmail.com](mailto:rorewa_pcb@rediffmail.com)

क्रमांक 210 /क्षे.का./तक./प्रनिबो/2019  
प्रति,

रीवा दिनांक : 10/12/19

में. सहारा स्टोन केशर  
(प्रो० श्री अकरम सिद्दीकी)  
ग्राम - वैजनाथ तहसील - हुजूर जिला - रीवा (म.प्र.)

विषय:-

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 25/26 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21/22 के तहत जारी की गयी संचालन सम्मति लेने के संबंध में एवं सम्मति शर्तों एवं संक्षम एवं प्रभावी प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित करने के संबंध में ।

यह कि आपके द्वारा एक स्टोन केशर उद्योग ग्राम - वैजनाथ , तहसील - हुजूर जिला रीवा (म.प्र.) में पर्यावरणीय नियमों की अवहेलना करते हुए संचालित किया जा रहा है, एवं :

➤ यह कि आपके द्वारा उद्योग संचालन मान्नीय एन.जी.टी. प्रकरण क्रमांक 739/2018 में पारित आदेश के विपरीत संचालित किया जा रहा है।

अतः आपके द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 25/26 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21/22 के प्रावधानों व मान्नीय एन.जी.टी. द्वारा पारित आदेश का उल्लंघन किया जा रहा है।

उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31'क' में उल्लेखित प्रावधानों में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए 15 दिवस की समय सीमा के साथ निम्नानुसार निर्देश दिये जा रहे हैं :-

1. आप तत्काल प्रभाव से संचालन सम्मति प्राप्त किए बगैर स्टोन केशर का संचालन न करें।
2. मान्नीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण प्रकरण क्रमांक 739/2018 प्रचलन में है, जिसके निर्णय अंतर्गत ऐसी संस्थानों के विरुद्ध कार्यवाही के निर्देश भी जारी किये हैं , साथ ही साथ प्र.क्र.62/2015 में दण्डात्मक कार्यवाही भी की जा चुकी है। उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करें।

उक्त के आधार पर आपको निर्देशित किया जाता है कि आप बिना संचालन सम्मति प्राप्त किए एवं बिना संक्षम व प्रभावी प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित किए वगैर स्टोन केशर संचालन का कार्य न करें, अन्यथा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 के उल्लेखित प्रावधानों के अंतर्गत न्यायालयीन एवं आपके विरुद्ध धारा 133 की कार्यवाही हेतु अनुशंसित की आवेगी जिसके आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।

(डॉ.आर.एस. परिहार)

क्षेत्रीय अधिकारी

पृ.क्र./ 2102/क्षेका/प्रनिबो/पूर्व/19  
प्रतिलिपि :-

रीवा ,दिनांक 10/12/19

- 01.मान्नीय कलेक्टर महोदय जिला रीवा की ओर कृपया सूचनार्थ ।
- 02 पुलिस अधीक्षक जिला रीवा की ओर कृपया सूचनार्थ ।
- 03 मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत की ओर कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- 04 प्रभारी खनिज अधिकारी जिला खनिज कार्यालय रीवा की ओर कृपया सूचनार्थ ।
05. सदस्य सचिव म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल की ओर कृपया सूचनार्थ ।
- 06 सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत बैजनाथ की सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- 07 गार्ड नस्ती ।

0/0

(डॉ.आर.एस. परिहार)

क्षेत्रीय अधिकारी

म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड रीवा



रजिस्टर्ड ए.डी.

क्षेत्रीय कार्यालय  
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
एच.आई.जी.190-191 नेहरू नगर रीवा (म.प्र.)  
Tel / Fax : (07662) 230605 E-mail : ropcb-rewa@mp.gov.in

क्रमांक /  
प्रति,

/क्षे.का / तक. / प्रनिबो / 2019

रीवा, दिनांक.....

मे. सहारा स्टोन केसर  
ग्राम- बैजनाथ तहसील - हुजूर,  
जिला रीवा (म.प्र.)

विषय :- वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 'क' के तहत बंद करने के निर्देश बावत।

संदर्भ:- इस कार्यालय का पत्र क्र. 12770 दिनांक 05.06.2018

यह कि आपके द्वारा एक स्टोन क्रेशर ग्राम बैजनाथ तह. हुजूर जिला रीवा (म.प्र.) में पर्यावरणीय नियमों की अवहेलना करते हुए संचालित किया जा रहा है, एवं :-

- यह कि इस कार्यालय के अधिकारियों द्वारा किये गये निरीक्षण दिनांक 01.06.2019 को किए गए निरीक्षण अनुसार आपके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21/22 के तहत मंडल से वैध रूप से संचालन सम्मति एवं नवीनीकरण नहीं प्राप्त की गई है, जो मंडल के नियमों के तहत घोर आपत्ति जनक एवं अपराध की श्रेणी में आता है।
- यह कि आपके द्वारा उद्योग में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु संक्षम एवं प्रभावी प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था नहीं की गई है तथा नियत ऊँचाई की बाउण्ड्रीवाल नहीं बनाई गई है एवं पर्यावरण को क्षति पहुँचाई जा रही है।

अतः आपके द्वारा वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 21/22 के प्रावधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 'क' के प्रावधानुसार प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए निम्नानुसार निर्देश दिए जा रहे हैं।

1. यह कि तत्काल प्रभाव से उद्योग का संचालन बंद करे।
2. संबंधित विभागों द्वारा उद्योग को प्राप्त हो रही जल आपूर्ति, बिजली सप्लाई एवं अन्य सुविधाएँ तत्काल प्रभाव से बंद की जावे।
3. संबंधित विभाग (म.प्र. खनिज संसाधन विभाग) संबंधित उद्योग, खदान के पिट-पास, भण्डारण एवं अन्य जो भी सुविधाएँ खनिज विभाग से दी जाती हैं, वह तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

4. आप नियमानुसार कार्यवाही पूर्ण करने के उपरांत ही पुनः उत्पादन प्रारंभ करेंगे

38

:-

(अ) वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु सक्षम एवं प्रभावी व्यवस्था स्थापित की जावे।


(ब) वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21/22 के तहत बैध सम्मति प्राप्त की जावे। इस हेतु निर्धारित प्रपत्र xgn on line में आवश्यक शुल्क के साथ आवेदन प्रस्तुत की जावे।

यदि उद्योग या संबंधित व्यक्ति द्वारा उपरोक्त निर्देशों की अवहेलना की जाती है तो उद्योग प्रबंधन (उद्योग संचालन हेतु जिम्मेदार व्यक्ति)/संबंधित के विरुद्ध वायु अधिनियम 1981 की धारा 37 के तहत न्यायालयीन कार्यवाही की जिम्मेदारी आप की स्वयं की होगी कृपया सूचित हो।

  
क्षेत्रीय अधिकारी  
म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
रीवा (म.प्र.)  
रीवा, दिनांक 11/6/19

पृ.क्रमांक/1008/क्षे.का/तक./प्रनिबो/2019  
प्रतिलिपि,

1. माननीय कलेक्टर जिला रीवा की ओर कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निवेदित।
2. श्री व्ही.के. जैन अधीक्षण यंत्री म.प्र. पूर्वी क्षेत्र विद्युत वितरण केन्द्र रीवा की ओर निवेदन है कि नियमों के परिप्रेक्ष्य में निवेदन है कि पर्यावरणीय नियमों के परिप्रेक्ष्य में जारी आदेश का पालन करते हुए उद्योग का तत्काल विद्युत आपूर्ति विच्छेद करे, जब तक पर्यावरणीय नियमों का पालन नहीं किया जाता तब तक विद्युत विच्छेद कर इस कार्यालय को सूचित करने का कष्ट करे।
3. एस.डी.एम. हुजूर जिला-रीवा की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु निवेदित है।
4. श्री रत्नेश दीक्षित खनिज अधिकारी खनिज शाखा रीवा की ओर लेख है कि पर्यावरणीय नियमों के परिप्रेक्ष्य में जारी आदेश का पालन करते हुए उद्योग को आपके विभाग से दी गई पिटपास एवं भण्डारण आदि की अनुज्ञा स्थगित करते हुए इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करे।
5. श्री रामनारायण चतुर्वेदी सहायक मानचित्रकार म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड रीवा की ओर सूचनार्थ कर लेख है कि विद्युत विभाग से संपर्क कर स्टोन केसर इकाइयों का विद्युत विच्छेदन एवं खनिज विभाग से संपर्क कर पिटपास निरस्तीकरण की कार्यवाही सुनिश्चित कर 31 क के रजिस्टर में अंकित कर अधोहस्ताक्षरकर्ता को सूचित करें, किसी विषम परिस्थिति में आपकी जबाबदेही मानी जावेगी।

  
क्षेत्रीय अधिकारी  
म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
रीवा (म.प्र.)

रजिस्टर्ड ए.डी.



क्षेत्रीय कार्यालय  
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
एच.आई.जी.190-191 नेहरू नगर रीवा (म.प्र.)  
Tel / Fax : (07662) 230605 E-mail : ropcb-rewa@mp.gov.in

क्रमांक /  
प्रति,

/क्षे.का / तक. / प्रनिबो / 2019

रीवा, दिनांक.....

मे. न्यु सहारा स्टोन क्रेसर  
(प्रो.श्री अकरम सिद्दीकी)  
ग्राम- बैजनाथ तहसील - हुजूर,  
जिला रीवा (म.प्र.)

विषय :- वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 'क' के तहत बंद करने के निर्देश बावत्।

यह कि आपके द्वारा एक स्टोन क्रेसर ग्राम बैजनाथ तह. हुजूर जिला रीवा (म. प्र.) में पर्यावरणीय नियमों की अवहेलना करते हुए संचालित किया जा रहा है, एवं :-

- यह कि इस कार्यालय के अधिकारियों द्वारा किये गये निरीक्षण दिनांक 03.06.2019 को किए गए निरीक्षण अनुसार आपके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21/22 के तहत मंडल से वैध रूप से स्थापना / संचालन सम्मति नहीं प्राप्त की गई है, जो मंडल के नियमों के तहत घोर आपत्ति जनक एवं अपराध की श्रेणी में आता है।
- यह कि आपके द्वारा उद्योग में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु संक्षम एवं प्रभावी प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था नहीं की गई है तथा नियत ऊँचाई की बाउण्ड्रीवाल नहीं बनाई गई है एवं पर्यावरण को क्षति पहुँचाई जा रही है।

अतः आपके द्वारा वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 21/22 के प्रावधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 'क' के प्रावधानानुसार प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए निम्नानुसार निर्देश दिए जा रहे हैं।

1. यह कि तत्काल प्रभाव से उद्योग का संचालन बंद करे।
2. संबंधित विभागों द्वारा उद्योग को प्राप्त हो रही जल आपूर्ति, बिजली सप्लाई एवं अन्य सुविधाएँ तत्काल प्रभाव से बंद की जावे।
3. संबंधित विभाग (म.प्र. खनिज संसाधन विभाग) संबंधित उद्योग, खदान के पिट-पास, भण्डारण एवं अन्य जो भी सुविधाएँ खनिज विभाग से दी जाती हैं, वह तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

4. आप नियमानुसार कार्यवाही पूर्ण करने के उपरांत ही पुनः उत्पादन प्रारंभ करेंगे

:-

(अ) वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु सक्षम एवं प्रभावी व्यवस्था स्थापित की जावे।

(ब) वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21/22 के

तहत वैध सम्मति प्राप्त की जावे। इस हेतु निर्धारित प्रपत्र xgn on line में आवश्यक शुल्क के साथ आवेदन प्रस्तुत की जावे।

यदि उद्योग या संबंधित व्यक्ति द्वारा उपरोक्त निर्देशों की अवहेलना की जाती है तो उद्योग प्रबंधन (उद्योग संचालन हेतु जिम्मेदार व्यक्ति)/संबंधित के विरुद्ध वायु अधिनियम 1981 की धारा 37 के तहत न्यायालयीन कार्यवाही की जिम्मेदारी आप की स्वयं की होगी कृपया सूचित हो।

क्षेत्रीय अधिकारी

म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

रीवा (म.प्र.)

रीवा, दिनांक 11/6/19

Sir

पृ.क्रमांक/ 1822/क्षे.का/तक./प्रनिबो/2019  
प्रतिलिपि,

1. माननीय कलेक्टर जिला रीवा की ओर कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निवेदित।
2. श्री व्ही.के. जैन अधीक्षण यंत्री म.प्र. पूर्वी क्षेत्र विद्युत वितरण केन्द्र रीवा की ओर निवेदन है कि नियमों के परिपेक्ष्य में निवेदन है कि पर्यावरणीय नियमों के परिपेक्ष्य में जारी आदेश का पालन करते हुए उद्योग का तत्काल विद्युत आपूर्ति विच्छेद करे, जब तक पर्यावरणीय नियमों का पालन नहीं किया जाता तब तक विद्युत विच्छेद कर इस कार्यालय को सूचित करने का कष्ट करे।
3. एस.डी.एम. हुजूर जिला-रीवा की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु निवेदित है।
4. श्री रत्नेश दीक्षित खनिज अधिकारी खनिज शाखा रीवा की ओर लेख है कि पर्यावरणीय नियमों के परिपेक्ष्य में जारी आदेश का पालन करते हुए उद्योग को आपके विभाग से दी गई पिटपास एवं भण्डारण आदि की अनुज्ञा स्थगित करते हुए इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करे।
5. श्री रामनारायण चतुर्वेदी सहायक मानचित्रकार म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड रीवा की ओर सूचनार्थ कर लेख है कि विद्युत विभाग से संपर्क कर स्टोन क्रेसर इकाइयों का विद्युत विच्छेदन एवं खनिज विभाग से संपर्क कर पिटपास निरस्तीकरण की कार्यवाही सुनिश्चित कर 31 क के रजिस्टर में अंकित कर अधोहस्ताक्षरकर्ता को सूचित करें, किसी विषम परिस्थिति में आपकी जबाबदेही मानी जावेगी।

क्षेत्रीय अधिकारी

म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

रीवा (म.प्र.)



क्षेत्रीय कार्यालय  
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
एच.आई.जी.190-191 नेहरू नगर रीवा (म.प्र.)  
Tel / Fax : (07662) 230605 E-mail : ropcb-rewa@mp.gov.in

क्रमांक /  
प्रति,

/क्षे.का / तक. / प्रनिबो / 2019

रीवा, दिनांक.....

मे. यादव स्टोन केशर  
(प्रो.श्री अमित सिंह )  
ग्राम- बैजनाथ तहसील - हुजूर ,  
जिला रीवा (म.प्र.)

विषय :- वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 'क' के तहत बंद करने के निर्देश बावत्।

यह कि आपके द्वारा एक स्टोन क्रेशर ग्राम बैजनाथ तह. हुजूर जिला रीवा (म. प्र.) में पर्यावरणीय नियमों की अवहेलना करते हुए संचालित किया जा रहा है, एवं :-

- यह कि इस कार्यालय के अधिकारियों द्वारा किये गये निरीक्षण दिनांक 03.06. 2019 को किए गए निरीक्षण अनुसार आपके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21/22 के तहत मंडल से वैध रूप से स्थापना / संचालन सम्मति नहीं प्राप्त की गई है , जो मंडल के नियमों के तहत घोर आपत्ति जनक एवं अपराध की श्रेणी में आता है।
- यह कि आपके द्वारा उद्योग में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु संक्षम एवं प्रभावी प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था नहीं की गई है तथा नियत ऊँचाई की बाउण्ड्रीवाल नहीं बनाई गई है एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाई जा रही है।

अतः आपके द्वारा वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 21/22 के प्रावधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 'क' के प्रावधानानुसार प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए निम्नानुसार निर्देश दिए जा रहे हैं।

1. यह कि तत्काल प्रभाव से उद्योग का संचालन बंद करे।
2. संबंधित विभागों द्वारा उद्योग को प्राप्त हो रही जल आपूर्ति, बिजली सप्लाई एवं अन्य सुविधाएँ तत्काल प्रभाव से बंद की जावे।
3. संबंधित विभाग (म.प्र. खनिज संसाधन विभाग ) संबंधित उद्योग, खदान के पिट-पास, भण्डारण एवं अन्य जो भी सुविधाएँ खनिज विभाग से दी जाती हैं, वह तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

4. आप नियमानुसार कार्यवाही पूर्ण करने के उपरांत ही पुनः उत्पादन प्रारंभ करेंगे :-

(अ) वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु सक्षम एवं प्रभावी व्यवस्था स्थापित की जावे।

(ब) वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21/22 के

तहत बैध सम्मति प्राप्त की जावे। इस हेतु निर्धारित प्रपत्र xgn on line मे आवश्यक शुल्क के साथ आवेदन प्रस्तुत की जावे।

यदि उद्योग या संबंधित व्यक्ति द्वारा उपरोक्त निर्देशों की अवहेलना की जाती है तो उद्योग प्रबंधन (उद्योग संचालन हेतु जिम्मेदार व्यक्ति)/संबंधित के विरुद्ध वायु अधिनियम 1981 की धारा 37 के तहत न्यायालयीन कार्यवाही की जिम्मेदारी आप की स्वयं की होगी कृपया सूचित हो।

क्षेत्रीय अधिकारी  
म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
रीवा (म.प्र.)  
रीवा, दिनांक 11/6/19

पृ.क्रमांक/ 1015/क्षे.का/तक./प्रनिबो/2019  
प्रतिलिपि,

- माननीय कलेक्टर जिला रीवा की ओर कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निवेदित।
- श्री व्ही.के. जैन अधीक्षण यंत्री म.प्र. पूर्वी क्षेत्र विद्युत वितरण केन्द्र रीवा की ओर निवेदन है कि नियमों के परिप्रेक्ष्य में निवेदन है कि पर्यावरणीय नियमों के परिप्रेक्ष्य में जारी आदेश का पालन करते हुए उद्योग का तत्काल विद्युत आपूर्ति विच्छेद करें, जब तक पर्यावरणीय नियमों का पालन नहीं किया जाता तब तक विद्युत विच्छेद कर इस कार्यालय को सूचित करने का कष्ट करें।
- एस.डी.एम. हुजूर जिला-रीवा की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु निवेदित है।
- श्री रत्नेश दीक्षित खनिज अधिकारी खनिज शाखा रीवा की ओर लेख है कि पर्यावरणीय नियमों के परिप्रेक्ष्य में जारी आदेश का पालन करते हुए उद्योग को आपके विभाग से दी गई पिटपास एवं भण्डारण आदि की अनुज्ञा स्थगित करते हुए इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।
- श्री रामनारायण चतुर्वेदी सहायक मानचित्रकार म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड रीवा की ओर सूचनार्थ कर लेख है कि विद्युत विभाग से संपर्क कर स्टोन केसर इकाइयों का विद्युत विच्छेदन एवं खनिज विभाग से संपर्क कर पिटपास निरस्तीकरण की कार्यवाही सुनिश्चित कर 31 क के रजिस्टर मे अंकित कर अधोहस्ताक्षरकर्ता को सूचित करें, किसी विषम परिस्थिति मे आपकी जबावदेही मानी जावेगी।

क्षेत्रीय अधिकारी  
म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
रीवा (म.प्र.)



रजिस्टर्ड ए.डी.

### क्षेत्रीय कार्यालय

म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

एच.आई.जी.190-191 नेहरू नगर रीवा (म.प्र.)

Tel / Fax : (07662) 230605 E-mail : ropcb-rewa@mp.gov.in

क्रमांक /  
प्रति,

/क्षे.का/तक./प्रनिबो/2019

रीवा, दिनांक.....

मे. श्रीविनोद सिंह स्टोन केशर

(प्रो.श्री विनोद सिंह )

ग्राम- बैजनाथ तहसील - हुजूर

जिला रीवा (म.प्र.)

**विषय :-** वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 'क' के तहत बंद करने के निर्देश बावत्।

यह कि आपके द्वारा एक स्टोन केशर ग्राम बैजनाथ तह. हुजूर जिला रीवा (म. प्र.) में पर्यावरणीय नियमों की अवहेलना करते हुए संचालित किया जा रहा है, एवं :-

- यह कि इस कार्यालय के अधिकारियों द्वारा किये गये निरीक्षण दिनांक 03.06.2019 को किए गए निरीक्षण अनुसार आपके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21/22 के तहत मंडल से वैध रूप से स्थापना / संचालन सम्मति नहीं प्राप्त की गई है, जो मंडल के नियमों के तहत घोर आपत्ति जनक एवं अपराध की श्रेणी में आता है।
- यह कि आपके द्वारा उद्योग में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु संक्षम एवं प्रभावी प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था नहीं की गई है तथा नियत ऊँचाई की बाउण्ड्रीवाल नहीं बनाई गई है एवं पर्यावरण को क्षति पहुँचाई जा रही है।

अतः आपके द्वारा वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 21/22 के प्रावधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 'क' के प्रावधानुसार प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए निम्नानुसार निर्देश दिए जा रहे हैं।

1. यह कि तत्काल प्रभाव से उद्योग का संचालन बंद करे।
2. संबंधित विभागों द्वारा उद्योग को प्राप्त हो रही जल आपूर्ति, बिजली सप्लाई एवं अन्य सुविधाएँ तत्काल प्रभाव से बंद की जावे।
3. संबंधित विभाग (म.प्र. खनिज संसाधन विभाग ) संबंधित उद्योग, खदान के पिट-पास, भण्डारण एवं अन्य जो भी सुविधाएँ खनिज विभाग से दी जाती हैं, वह तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

4. आप नियमानुसार कार्यवाही पूर्ण करने के उपरांत ही पुनः उत्पादन प्रारंभ करेंगे :-

(अ) वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु सक्षम एवं प्रभावी व्यवस्था स्थापित की जावे।

(ब) वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21/22 के

तहत बैध सम्मति प्राप्त की जावे। इस हेतु निर्धारित प्रपत्र xgn on line में आवश्यक शुल्क के साथ आवेदन प्रस्तुत की जावे।

यदि उद्योग या संबंधित व्यक्ति द्वारा उपरोक्त निर्देशों की अवहेलना की जाती है, तो उद्योग प्रबंधन (उद्योग संचालन हेतु जिम्मेदार व्यक्ति)/संबंधित के विरुद्ध वायु अधिनियम 1981 की धारा 37 के तहत न्यायालयीन कार्यवाही की जिम्मेदारी आप की स्वयं की होगी कृपया सूचित हो।

क्षेत्रीय अधिकारी  
म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
रीवा (म.प्र.)

रीवा, दिनांक 11/6/19

पृ.क्रमांक/1625/क्षे.का/तक./प्रनिबो/2019  
प्रतिलिपि,

1. माननीय कलेक्टर जिला रीवा की ओर कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निवेदित।
2. श्री व्ही.के. जैन अधीक्षण यंत्री म.प्र. पूर्वी क्षेत्र विद्युत वितरण केन्द्र रीवा की ओर निवेदन है कि नियमों के परिप्रेक्ष्य में निवेदन है कि पर्यावरणीय नियमों के परिप्रेक्ष्य में जारी आदेश का पालन करते हुए उद्योग का तत्काल विद्युत आपूर्ति विच्छेद करे, जब तक पर्यावरणीय नियमों का पालन नहीं किया जाता तब तक विद्युत विच्छेद कर इस कार्यालय को सूचित करने का कष्ट करे।
3. एस.डी.एम. हुजूर जिला-रीवा की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु निवेदित है।
4. श्री रत्नेश दीक्षित खनिज अधिकारी खनिज शाखा रीवा की ओर लेख है कि पर्यावरणीय नियमों के परिप्रेक्ष्य में जारी आदेश का पालन करते हुए उद्योग को आपके विभाग से दी गई पिटपास एवं भण्डारण आदि की अनुज्ञा स्थगित करते हुए इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करे।
5. श्री रामनारायण चतुर्वेदी सहायक मानचित्रकार म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड रीवा की ओर सूचनार्थ कर लेख है कि विद्युत विभाग से संपर्क कर स्टोन केसर इकाइयों का विद्युत विच्छेदन एवं खनिज विभाग से संपर्क कर पिटपास निरस्तीकरण की कार्यवाही सुनिश्चित कर 31 क के रजिस्टर में अंकित कर अधोहस्ताक्षरकर्ता को सूचित करें, किसी विषम परिस्थिति में आपकी जबाबदेही मानी जावेगी।

क्षेत्रीय अधिकारी  
म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
रीवा (म.प्र.)



क्षेत्रीय कार्यालय

45

म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

एच.आई.जी.190-191 नेहरू नगर रीवा (म.प्र.)

Tel / Fax : (07662) 230605 E-mail : rorewa\_pcb@rediffmail.com

क्रमांक / 1436 / क्षेत्र.का. / प्रनिबो / 2019  
प्रति,

रीवा, दिनांक 22.8.19

में0 वार्ड. एन. स्टोन केशर  
ग्राम वैजनाथ तह0 हुजूर  
जिला रीवा (म.प्र.)

विषय :- बिना बोर्ड की सम्मति प्राप्त स्थापित इकाई का आवेदन निरस्त करने के संबंध में।  
संदर्भ :- आपका आवेदन दिनांक 03.08.2019

कृपया संदर्भित विषयान्तर्गत लेख है कि आपके द्वारा ग्राम वैजनाथ खसरा नं. 1229/1 रकवा 0.2870 हे0 एवं 1231/2 रकवा 0.2140 में स्टोन केशर इकाई की स्थापना कर उत्पादन भी प्रारंभ कर दिया गया है जो कि बोर्ड नियमों अधिनियमों का खुला उल्लंघन है। आपकी इकाई की स्थापना मान0 एन.जी.टी. में प्रयुक्त प्रकरणों के निर्णय अनुसार स्थापित नहीं है, जिस कारण से आपके आवेदन को निरस्त कर सूचित किया गया है। आप तत्काल प्रभाव से इकाई से उत्पादन बंद कर मान0 न्यायालय एन.जी.टी. के आदेश के अनुसार इकाई की स्थापना हेतु बोर्ड में आवेदन प्रस्तुत करें, तब तक किसी भी प्रकार से इकाई का संचालन न करें, अन्यथा आपका विरुद्ध वायु अधिनियम 1981 की धारा 21,22 तथा 37,39 के तहत मान0 न्यायालय में वायु दायर किया जायेगा जिसकी समस्त जवाबदेही आपकी होगी कृपया सूचित हो।  
संलग्न :- उपरोक्तानुसार प्रकरण निरस्त की प्रति।

प.क्र. / 1437 / क्षेत्र.का. / प्रनिबो / 2019  
प्रतिलिपि :-

(डॉ. आर.एस. परिहार)  
क्षेत्रीय अधिकारी  
रीवा, दिनांक 22.8.19

1. कलेक्टर महादेव, जिला रीवा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रीवा की ओर सूचनार्थ प्रेषित कर निवेदन है कि सभी ग्राम पंचायत, सरपंच, सचिव को निर्देशित किया जाय कि ऐसी इकाईयों का बोर्ड से स्थल अनुमोदन/ अनुशासन एवं बिना बोर्ड की पर्यावरणीय अभिमत/ अनुमति प्राप्त किए बगैर ग्राम सभा का अनुमोदन/ अनुशासन प्रमाण जारी न किए जाएं।
3. खनिज अधिकारी जिला रीवा की ओर सूचनार्थ प्रेषित कर लेख है कि ऐसी इकाईयों को बिना बोर्ड की सम्मति प्राप्त किए बगैर भण्डारण, पिटपास जारी न किए जाए, यदि जारी किए गए है तो तत्काल निरस्त किया जावे।
4. अधीक्षण यंत्री म.प्र.पू.क्षे. विद्युत वितरण कम्पनी रीवा की ओर लेख है कि ऐसी इकाईयों को बिना बोर्ड की सम्मति प्राप्त किए बगैर विद्युत सुविधा कनेक्शन जारी न किए जावे।
5. अनुविभागीय अधिकारी तह0 हुजूर जिला रीवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही (डायवसिन व अन्य) हेतु प्रेषित।
6. विधि अधिकारी म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं अग्र कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(डॉ. आर.एस. परिहार)  
क्षेत्रीय अधिकारी  
म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
रीवा (म.प्र.)



रजिस्टर्ड ए.डी.

क्षेत्रीय कार्यालय  
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
एच.आई.जी.190-191 नेहरू नगर रीवा (म.प्र.)  
Tel / Fax : (07662) 230605 E-mail : ropcb-rewa@mp.gov.in

क्रमांक /  
प्रति,

/क्षे.का / तक. / प्रनिबो / 2019

रीवा, दिनांक.....

मे. वाइ .एन स्टोन केशर  
(प्रो.श्री प्रभात शुक्ला)  
ग्राम- बैजनाथ तहसील - हुजूर,  
जिला रीवा (म.प्र.)

विषय :- वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 'क' के तहत बंद करने के निर्देश बावत्।

यह कि आपके द्वारा एक स्टोन केशर ग्राम बैजनाथ तह. हुजूर जिला रीवा (म. प्र.) में पर्यावरणीय नियमों की अवहेलना करते हुए संचालित किया जा रहा है, एवं :-

- यह कि इस कार्यालय के अधिकारियों द्वारा किये गये निरीक्षण दिनांक 03.06. 2019 को किए गए निरीक्षण अनुसार आपके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21/22 के तहत मंडल से वैध रूप से स्थापना / संचालन सम्मति नहीं प्राप्त की गई है, जो मंडल के नियमों के तहत घोर आपत्ति जनक एवं अपराध की श्रेणी में आता है।
- यह कि आपके द्वारा उद्योग में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु संक्षम एवं प्रभावी प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था नहीं की गई है तथा नियत ऊँचाई की बाउण्ड्रीवाल नहीं बनाई गई है एवं पर्यावरण को क्षति पहुँचाई जा रही है।

अतः आपके द्वारा वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 21/22 के प्रावधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 'क' के प्रावधानानुसार प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए निम्नानुसार निर्देश दिए जा रहे हैं।

1. यह कि तत्काल प्रभाव से उद्योग का संचालन बंद करे।
2. संबंधित विभागों द्वारा उद्योग को प्राप्त हो रही जल आपूर्ति, बिजली सप्लाई एवं अन्य सुविधाएँ तत्काल प्रभाव से बंद की जावे।
3. संबंधित विभाग (म.प्र. खनिज संसाधन विभाग) संबंधित उद्योग, खदान के पिट-पास, भण्डारण एवं अन्य जो भी सुविधाएँ खनिज विभाग से दी जाती हैं, वह तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

4. आप नियमानुसार कार्यवाही पूर्ण करने के उपरांत ही पुनः उत्पादन प्रारंभ करेंगे :-

(अ) वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु सक्षम एवं प्रभावी व्यवस्था स्थापित की जावे।

(ब) वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21/22 के तहत वैध सम्मति प्राप्त की जावे। इस हेतु निर्धारित प्रपत्र xgn on line में आवश्यक शुल्क के साथ आवेदन प्रस्तुत की जावे।

यदि उद्योग या संबंधित व्यक्ति द्वारा उपरोक्त निर्देशों की अवहेलना की जाती है, तो उद्योग प्रबंधन (उद्योग संचालन हेतु जिम्मेदार व्यक्ति)/संबंधित के विरुद्ध वायु अधिनियम 1981 की धारा 37 के तहत न्यायालयीन कार्यवाही की जिम्मेदारी आप की स्वयं की होगी कृपया सूचित हो।

क्षेत्रीय अधिकारी  
म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
रीवा (म.प्र.)  
रीवा, दिनांक 11/6/13

पृ.क्रमांक/1013/क्षे.का/तक./प्रनिबो/2019  
प्रतिलिपि,

- माननीय कलेक्टर जिला रीवा की ओर कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निवेदित।
- श्री व्ही.के. जैन अधीक्षण यंत्री म.प्र. पूर्वी क्षेत्र विद्युत वितरण केन्द्र रीवा की ओर निवेदन है कि नियमों के परिपेक्ष्य में निवेदन है कि पर्यावरणीय नियमों के परिपेक्ष्य में जारी आदेश का पालन करते हुए उद्योग का तत्काल विद्युत आपूर्ति विच्छेद करे, जब तक पर्यावरणीय नियमों का पालन नहीं किया जाता तब तक विद्युत विच्छेद कर इस कार्यालय को सूचित करने का कष्ट करे।
- एस.डी.एम. हुजूर जिला-रीवा की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु निवेदित है।
- श्री रत्नेश दीक्षित खनिज अधिकारी खनिज शाखा रीवा की ओर लेख है कि पर्यावरणीय नियमों के परिपेक्ष्य में जारी आदेश का पालन करते हुए उद्योग को आपके विभाग से दी गई पिटपास एवं भण्डारण आदि की अनुज्ञा स्थगित करते हुए इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करे।
- श्री रामनारायण चतुर्वेदी सहायक मानचित्रकार म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड रीवा की ओर सूचनार्थ कर लेख है कि विद्युत विभाग से संपर्क कर स्टोन केसर इकाइयों का विद्युत विच्छेदन एवं खनिज विभाग से संपर्क कर पिटपास निरस्तीकरण की कार्यवाही सुनिश्चित कर 31 क के रजिस्टर में अंकित कर अधोहस्ताक्षरकर्ता को सूचित करें, किसी विषम परिस्थिति में आपकी जबाबदेही मानी जावेगी।

क्षेत्रीय अधिकारी  
म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
रीवा (म.प्र.)



क्षेत्रीय कार्यालय  
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
एच.आई.जी.190-191 नेहरू नगर रीवा (म.प्र.)  
Tel / Fax : (07662) 230605 E-mail : ropcb-rewa@mp.gov.in

क्रमांक /  
प्रति,

/क्षे.का / तक. / प्रनिबो / 2019

रीवा, दिनांक.....

मे. श्रीरामप्रेम स्टोन केशर  
ग्राम- बैजनाथ तहसील - हुजूर,  
जिला रीवा (म.प्र.)

विषय :- वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 'क' के तहत बंद करने के निर्देश बावत्।

यह कि आपके द्वारा एक स्टोन केशर ग्राम बैजनाथ तह. हुजूर जिला रीवा (म. प्र.) में पर्यावरणीय नियमों की अवहेलना करते हुए संचालित किया जा रहा है, एवं :-

- यह कि इस कार्यालय के अधिकारियों द्वारा किये गये निरीक्षण दिनांक 03.06. 2019 को किए गए निरीक्षण अनुसार आपके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21/22 के तहत मंडल से वैध रूप से स्थापना / संचालन सम्मति नहीं प्राप्त की गई है, जो मंडल के नियमों के तहत घोर आपत्ति जनक एवं अपराध की श्रेणी में आता है।
- यह कि आपके द्वारा उद्योग में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु संक्षम एवं प्रभावी प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था नहीं की गई है तथा नियत ऊँचाई की बाउण्ड्रीवाल नहीं बनाई गई है एवं पर्यावरण को क्षति पहुँचाई जा रही है।

अतः आपके द्वारा वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 21/22 के प्रावधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 'क' के प्रावधानुसार प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए निम्नानुसार निर्देश दिए जा रहे हैं।

1. यह कि तत्काल प्रभाव से उद्योग का संचालन बंद करे।
2. संबंधित विभागों द्वारा उद्योग को प्राप्त हो रही जल आपूर्ति, बिजली सप्लाई एवं अन्य सुविधाएँ तत्काल प्रभाव से बंद की जावे।
3. संबंधित विभाग (म.प्र. खनिज संसाधन विभाग) संबंधित उद्योग, खदान के पिट-पास, भण्डारण एवं अन्य जो भी सुविधाएँ खनिज विभाग से दी जाती हैं, वह तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए।
4. आप नियमानुसार कार्यवाही पूर्ण करने के उपरांत ही पुनः उत्पादन प्रारंभ करेंगे :-

(अ) वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु सक्षम एवं प्रभावी व्यवस्था स्थापित की जावे।

(ब) वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21/22 के

तहत बैध सम्मति प्राप्त की जावे। इस हेतु निर्धारित प्रपत्र xgn on line मे आवश्यक शुल्क के साथ आवेदन प्रस्तुत की जावे।

यदि उद्योग या संबंधित व्यक्ति द्वारा उपरोक्त निर्देशो की अवहेलना की जाती है तो उद्योग प्रबंधन (उद्योग संचालन हेतु जिम्मेदार व्यक्ति)/संबंधित के विरुद्ध वायु अधिनियम 1981 की धारा 37 के तहत न्यायालयीन कार्यवाही की जिम्मेदारी आप की स्वयं की होगी कृपया सूचित हो।

क्षेत्रीय अधिकारी  
म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
रीवा (म.प्र.)  
रीवा, दिनांक 11/6/19

पृ.क्रमांक/ 1025/क्षे.का/तक./प्रनिबो/2019  
प्रतिलिपि,

1. माननीय कलेक्टर जिला रीवा की ओर कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निवेदित।
2. श्री व्ही.के. जैन अधीक्षण यंत्री म.प्र. पूर्वी क्षेत्र विद्युत वितरण केन्द्र रीवा की ओर निवेदन है कि नियमों के परिप्रेक्ष्य में निवेदन है कि पर्यावरणीय नियमों के परिप्रेक्ष्य में जारी आदेश का पालन करते हुए उद्योग का तत्काल विद्युत आपूर्ति विच्छेद करे, जब तक पर्यावरणीय नियमों का पालन नहीं किया जाता तब तक विद्युत विच्छेद कर इस कार्यालय को सूचित करने का कष्ट करे।
3. एस.डी.एम. हुजूर जिला-रीवा की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु निवेदित है।
4. श्री रत्नेश दीक्षित खनिज अधिकारी खनिज शाखा रीवा की ओर लेख है कि पर्यावरणीय नियमों के परिप्रेक्ष्य में जारी आदेश का पालन करते हुए उद्योग को आपके विभाग से दी गई पिटपास एवं भण्डारण आदि की अनुज्ञा स्थगित करते हुए इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करे।
5. श्री रामनारायण चतुर्वेदी सहायक मानचित्रकार म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड रीवा की ओर सूचनार्थ कर लेख है कि विद्युत विभाग से संपर्क कर स्टोन केसर इकाइयों का विद्युत विच्छेदन एवं खनिज विभाग से संपर्क कर पिटपास निरस्तीकरण की कार्यवाही सुनिश्चित कर 31 क के रजिस्टर में अंकित कर अधोहस्ताक्षरकर्ता को सूचित करें, किसी विषम परिस्थिति में आपकी जबाबदेही मानी जावेगी।

क्षेत्रीय अधिकारी  
म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
रीवा (म.प्र.)

रजिस्टर्ड ए.डी.



क्षेत्रीय कार्यालय  
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
एच.आई.जी.190-191 नेहरू नगर रीवा (म.प्र.)  
Tel / Fax : (07662) 230605 E-mail : ropcb-rewa@mp.gov.in

क्रमांक /  
प्रति,

/क्षे.का / तक. / प्रनिबो / 2019

रीवा, दिनांक.....

मे. पाण्डेय स्टोन केशर  
(प्रो.श्री विनोद कुमार) (देवीजी रोड)  
ग्राम- बैजनाथ तहसील - हुजूर,  
जिला रीवा (म.प्र.)

विषय :- वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 'क' के तहत बंद करने के निर्देश बावत्।

यह कि आपके द्वारा एक स्टोन केशर ग्राम बैजनाथ तह. हुजूर जिला रीवा (म. प्र.) में पर्यावरणीय नियमों की अवहेलना करते हुए संचालित किया जा रहा है, एवं :-

- यह कि इस कार्यालय के अधिकारियों द्वारा किये गये निरीक्षण दिनांक 03.06. 2019 को किए गए निरीक्षण अनुसार आपके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21/22 के तहत मंडल से वैध रूप से स्थापना / संचालन सम्मति नहीं प्राप्त की गई है, जो मंडल के नियमों के तहत घोर आपत्ति जनक एवं अपराध की श्रेणी में आता है।
- यह कि आपके द्वारा उद्योग में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु संक्षम एवं प्रभावी प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था नहीं की गई है तथा नियत ऊँचाई की बाउण्ड्रीवाल नहीं बनाई गई है एवं पर्यावरण को क्षति पहुँचाई जा रही है।

अतः आपके द्वारा वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 21/22 के प्रावधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 'क' के प्रावधानानुसार प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए निम्नानुसार निर्देश दिए जा रहे हैं।

1. यह कि तत्काल प्रभाव से उद्योग का संचालन बंद करे।
2. संबंधित विभागों द्वारा उद्योग को प्राप्त हो रही जल आपूर्ति, बिजली सप्लाई एवं अन्य सुविधाएँ तत्काल प्रभाव से बंद की जावे।
3. संबंधित विभाग (म.प्र. खनिज संसाधन विभाग) संबंधित उद्योग, खदान के पिट-पास, भण्डारण एवं अन्य जो भी सुविधाएँ खनिज विभाग से दी जाती हैं, वह तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

4. आप नियमानुसार कार्यवाही पूर्ण करने के उपरांत ही पुनः उत्पादन प्रारंभ करेंगे :-

(अ) वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु सक्षम एवं प्रभावी व्यवस्था स्थापित की जावे।

(ब) वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21/22 के तहत बैध सम्मति प्राप्त की जावे। इस हेतु निर्धारित प्रपत्र xgn on line में आवश्यक शुल्क के साथ आवेदन प्रस्तुत की जावे।

यदि उद्योग या संबंधित व्यक्ति द्वारा उपरोक्त निर्देशों की अवहेलना की जाती है तो उद्योग प्रबंधन (उद्योग संचालन हेतु जिम्मेदार व्यक्ति)/संबंधित के विरुद्ध वायु अधिनियम 1981 की धारा 37 के तहत न्यायालयीन कार्यवाही की जिम्मेदारी आप की स्वयं की होगी कृपया सूचित हो।

क्षेत्रीय अधिकारी  
म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
रीवा (म.प्र.)

रीवा, दिनांक 11/6/19

पृ.क्रमांक/ 1029/क्षे.का/तक./प्रनिबो/2019  
प्रतिलिपि.

1. माननीय कलेक्टर जिला रीवा की ओर कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निवेदित।
2. श्री व्ही.के. जैन अधीक्षण यंत्री म.प्र. पूर्वी क्षेत्र विद्युत वितरण केन्द्र रीवा की ओर निवेदन है कि नियमों के परिप्रेक्ष्य में निवेदन है कि पर्यावरणीय नियमों के परिप्रेक्ष्य में जारी आदेश का पालन करते हुए उद्योग का तत्काल विद्युत आपूर्ति विच्छेद करे, जब तक पर्यावरणीय नियमों का पालन नहीं किया जाता तब तक विद्युत विच्छेद कर इस कार्यालय को सूचित करने का कष्ट करे।
3. एस.डी.एम. हुजूर जिला-रीवा की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु निवेदित है।
4. श्री रत्नेश दीक्षित खनिज अधिकारी खनिज शाखा रीवा की ओर लेख है कि पर्यावरणीय नियमों के परिप्रेक्ष्य में जारी आदेश का पालन करते हुए उद्योग को आपके विभाग से दी गई पिटपास एवं भण्डारण आदि की अनुज्ञा स्थगित करते हुए इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करे।
5. श्री रामनारायण चतुर्वेदी सहायक मानचित्रकार म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड रीवा की ओर सूचनार्थ कर लेख है कि विद्युत विभाग से संपर्क कर स्टोन केसर इकाइयों का विद्युत विच्छेदन एवं खनिज विभाग से संपर्क कर पिटपास निरस्तीकरण की कार्यवाही सुनिश्चित कर 31 क के रजिस्टर में अंकित कर अधोहस्ताक्षरकर्ता को सूचित करें किसी विषम परिस्थिति में आपकी जबाबदेही मानी जावेगी।

क्षेत्रीय अधिकारी  
म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
रीवा (म.प्र.)



रजिस्टर्ड ए.डी.

क्षेत्रीय कार्यालय  
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
एच.आई.जी.190-191 नेहरू नगर रीवा (म.प्र.)  
Tel / Fax : (07662) 230605 E-mail : ropcb-rewa@mp.gov.in

क्रमांक /  
प्रति,

/क्षे.का / तक. / प्रनिबो / 2019

रीवा, दिनांक.....

मे. शिवेन्द्र स्टोन केशर  
(प्रो.श्री शिवेन्द्र सिंह)  
ग्राम- बैजनाथ तहसील - हुजूर,  
जिला रीवा (म.प्र.)

विषय :- वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 'क' के तहत बंद करने के निर्देश बावत।

यह कि आपके द्वारा एक स्टोन केशर ग्राम बैजनाथ तह. हुजूर जिला रीवा (म. प्र.) में पर्यावरणीय नियमों की अवहेलना करते हुए संचालित किया जा रहा है, एवं :-

- यह कि इस कार्यालय के अधिकारियों द्वारा किये गये निरीक्षण दिनांक 03.06.2019 को किए गए निरीक्षण अनुसार आपके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21/22 के तहत मंडल से वैध रूप से स्थापना / संचालन सम्मति नहीं प्राप्त की गई है, जो मंडल के नियमों के तहत घोर आपत्ति जनक एवं अपराध की श्रेणी में आता है।
- यह कि आपके द्वारा उद्योग में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु संक्षम एवं प्रभावी प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था नहीं की गई है तथा नियत ऊँचाई की बाउण्ड्रीवाल नहीं बनाई गई है एवं पर्यावरण को क्षति पहुँचाई जा रही है।

अतः आपके द्वारा वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 21/22 के प्रावधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 'क' के प्रावधानानुसार प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए निम्नानुसार निर्देश दिए जा रहे हैं।

1. यह कि तत्काल प्रभाव से उद्योग का संचालन बंद करे।
2. संबंधित विभागों द्वारा उद्योग को प्राप्त हो रही जल आपूर्ति, बिजली सप्लाई एवं अन्य सुविधाएँ तत्काल प्रभाव से बंद की जाए।
3. संबंधित विभाग (म.प्र. खनिज संसाधन विभाग) संबंधित उद्योग, खदान के पिट-पास, भण्डारण एवं अन्य जो भी सुविधाएँ खनिज विभाग से दी जाती हैं, वह तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

4. आप नियमानुसार कार्यवाही पूर्ण करने के उपरांत ही पुनः उत्पादन प्रारंभ करेंगे :-

(अ) वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु सक्षम एवं प्रभावी व्यवस्था स्थापित की जावे।

(ब) वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21/22 के तहत बैध सम्मति प्राप्त की जावे। इस हेतु निर्धारित प्रपत्र xgn on line में आवश्यक शुल्क के साथ आवेदन प्रस्तुत की जावे।

यदि उद्योग या संबंधित व्यक्ति द्वारा उपरोक्त निर्देशों की अवहेलना की जाती है, तो उद्योग प्रबंधन (उद्योग संचालन हेतु जिम्मेदार व्यक्ति)/संबंधित के विरुद्ध वायु अधिनियम 1981 की धारा 37 के तहत न्यायालयीन कार्यवाही की जिम्मेदारी आप की स्वयं की होगी कृपया सूचित हो।

क्षेत्रीय अधिकारी  
म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
रीवा (म.प्र.)  
रीवा, दिनांक 11/6/19

पृ.क्रमांक/1021 /क्षे.का/तक./प्रनिबो/2019  
प्रतिलिपि,

- माननीय कलेक्टर जिला रीवा की ओर कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निवेदित।
- श्री व्ही.के. जैन अधीक्षण यंत्री म.प्र. पूर्वी क्षेत्र विद्युत वितरण केन्द्र रीवा की ओर निवेदन है कि नियमों के परिप्रेक्ष्य में निवेदन है कि पर्यावरणीय नियमों के परिप्रेक्ष्य में जारी आदेश का पालन करते हुए उद्योग का तत्काल विद्युत आपूर्ति विच्छेद करे, जब तक पर्यावरणीय नियमों का पालन नहीं किया जाता तब तक विद्युत विच्छेद कर इस कार्यालय को सूचित करने का कष्ट करे।
- एस.डी.एम. हुजूर जिला-रीवा की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु निवेदित है।
- श्री रत्नेश दीक्षित खनिज अधिकारी खनिज शाखा रीवा की ओर लेख है कि पर्यावरणीय नियमों के परिप्रेक्ष्य में जारी आदेश का पालन करते हुए उद्योग को आपके विभाग से दी गई पिटपास एवं भण्डारण आदि की अनुज्ञा स्थगित करते हुए इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करे।
- श्री रामनारायण चतुर्वेदी सहायक मानचित्रकार म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड रीवा की ओर सूचनार्थ कर लेख है कि विद्युत विभाग से संपर्क कर स्टोन केसर इकाइयों का विद्युत विच्छेदन एवं खनिज विभाग से संपर्क कर पिटपास निरस्तीकरण की कार्यवाही सुनिश्चित कर 31 क के रजिस्टर में अंकित कर अधोहस्ताक्षरकर्ता को सूचित करें, किसी विषम परिस्थिति में आपकी जबाबदेही मानी जावेगी।

क्षेत्रीय अधिकारी  
म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
रीवा (म.प्र.)

रजिस्टर्ड ए.डी.



क्षेत्रीय कार्यालय  
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
एच.आई.जी.190-191 नेहरू नगर रीवा (म.प्र.)  
Tel / Fax : (07662) 230605 E-mail : ropcb-rewa@mp.gov.in

क्रमांक /  
प्रति,

/क्षे.का / तक. / प्रनिबो / 2019

रीवा, दिनांक.....

मे. सम्राट स्टोन केसर  
ग्राम- बैजनाथ तहसील - हुजूर,  
जिला रीवा (म.प्र.)

विषय :- वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 'क' के तहत बंद करने के निर्देश बावत।

संदर्भ:- इस कार्यालय का पत्र क्र. 800209 दिनांक 04.03.2019

यह कि आपके द्वारा एक स्टोन क्रेशर ग्राम बैजनाथ तह. हुजूर जिला रीवा (म. प्र.) में पर्यावरणीय नियमों की अवहेलना करते हुए संचालित किया जा रहा है, एवं :-

- यह कि इस कार्यालय के अधिकारियों द्वारा किये गये निरीक्षण दिनांक 01.06.2019 को किए गए निरीक्षण अनुसार आपके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21/22 के तहत मंडल से वैध रूप से संचालन सम्मति एवं नवीनीकरण नहीं प्राप्त की गई है . जो मंडल के नियमों के तहत घोर आपत्ति जनक एवं अपराध की श्रेणी में आता है।
- यह कि आपके द्वारा उद्योग में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु संक्षम एवं प्रभावी प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था नहीं की गई है तथा नियत ऊँचाई की बाउण्ड्रीवाल नहीं बनाई गई है एवं पर्यावरण को क्षति पहुँचाई जा रही है।

अतः आपके द्वारा वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 21/22 के प्रावधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 'क' के प्रावधानुसार प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए निम्नानुसार निर्देश दिए जा रहे हैं।

1. यह कि तत्काल प्रभाव से उद्योग का संचालन बंद करे।
2. संबंधित विभागों द्वारा उद्योग को प्राप्त हो रही जल आपूर्ति, बिजली सप्लाई एवं अन्य सुविधाएँ तत्काल प्रभाव से बंद की जावे।
3. संबंधित विभाग (म.प्र. खनिज संसाधन विभाग ) संबंधित उद्योग, खदान के पिट-पास, भण्डारण एवं अन्य जो भी सुविधाएँ खनिज विभाग से दी जाती हैं, वह तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

4. आप नियमानुसार कार्यवाही पूर्ण करने के उपरांत ही पुनः उत्पादन प्रारंभ करेंगे :-

(अ) वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु सक्षम एवं प्रभावी व्यवस्था स्थापित की जावे।

(ब) वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21/22 के तहत बैध सम्मति प्राप्त की जावे। इस हेतु निर्धारित प्रपत्र xgn on line में आवश्यक शुल्क के साथ आवेदन प्रस्तुत की जावे।

यदि उद्योग या संबंधित व्यक्ति द्वारा उपरोक्त निर्देशों की अवहेलना की जाती है तो उद्योग प्रबंधन (उद्योग संचालन हेतु जिम्मेदार व्यक्ति)/संबंधित के विरुद्ध वायु अधिनियम 1981 की धारा 37 के तहत न्यायालयीन कार्यवाही की जिम्मेदारी आप की स्वयं की होगी कृपया सूचित हो।

क्षेत्रीय अधिकारी  
म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
रीवा (म.प्र.)  
रीवा, दिनांक 12/6/19

पृ.क्रमांक/107/क्षे.का/तक./प्रनिबो/2019  
प्रतिलिपि,

1. माननीय कलेक्टर जिला रीवा की ओर कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निवेदित।
2. श्री व्ही.के. जैन अधीक्षण यंत्री म.प्र. पूर्वी क्षेत्र विद्युत वितरण केन्द्र रीवा की ओर निवेदन है कि नियमों के परिप्रेक्ष्य में निवेदन है कि पर्यावरणीय नियमों के परिप्रेक्ष्य में जारी आदेश का पालन करते हुए उद्योग का तत्काल विद्युत आपूर्ति विच्छेद करे, जब तक पर्यावरणीय नियमों का पालन नहीं किया जाता तब तक विद्युत विच्छेद कर इस कार्यालय को सूचित करने का कष्ट करे।
3. एस.डी.एम. हुजूर जिला-रीवा की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु निवेदित है।
4. श्री रत्नेश दीक्षित खनिज अधिकारी खनिज शाखा रीवा की ओर लेख है कि पर्यावरणीय नियमों के परिप्रेक्ष्य में जारी आदेश का पालन करते हुए उद्योग को आपके विभाग से दी गई पिटपास एवं भण्डारण आदि की अनुज्ञा स्थापित करते हुए इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करे।
5. श्री रामनारायण चतुर्वेदी सहायक मानचित्रकार म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड रीवा की ओर सूचनार्थ कर लेख है कि विद्युत विभाग से संपर्क कर स्टोन केसर इकाइयों का विद्युत विच्छेदन एवं खनिज विभाग से संपर्क कर पिटपास निरस्तीकरण की कार्यवाही सुनिश्चित कर 31 क के रजिस्टर में अंकित कर अधोहस्ताक्षरकर्ता को सूचित करें, किसी विषम परिस्थिति में आपकी जबाबदेही मानी जावेगी।

क्षेत्रीय अधिकारी  
म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
रीवा (म.प्र.)



क्षेत्रीय कार्यालय

56

म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

एच.आई.जी.190-191 नेहरू नगर रीवा (म.प्र.)

Tel / Fax : (07662) 230605 E-mail : rorewa\_pcb@rediffmail.com

कमांक / 1438 / क्षे.का. / प्रनियो / 2019  
प्रति.

रीवा दिनांक 22.8.19

में0 राम्राट रतोन केशर  
ग्राम वैजनाथ तह0 हुजूर  
जिला रीवा (म.प्र.)

विषय :- बिना बोर्ड की सम्मति प्राप्त स्थापित इकाई का आवेदन निरस्त करने के संबंध मे।  
संदर्भ :- आपका आवेदन दिनांक 25.03.2019

कृपया संदर्भित विषयान्तर्गत लेख है कि आपके द्वारा ग्राम वैजनाथ खसरा नं. 468/1/1 रकबा 0.867 हे0 में स्तोन केशर इकाई की स्थापना कर उत्पादन भी प्रारंभ कर लिया गया है जो कि बोर्ड नियमों अधिनियम का खुला उल्लंघन है। आपकी इकाई की स्थापना मान0 एन.जी.टी. में प्रचलित प्रकरणों के विषय अनुसार स्थापित नहीं है। जिस कारण से आपके आवेदन को निरस्त कर सूचित किया जाता है कि भाग संख्या प्रमाण 25 इकाई में उत्पादन बढ़ कर मान0 न्यायालय एन.जी.टी. के आदेश के अनुरूप इकाई की स्थापना हेतु क्षेत्र में आवश्यक प्रमाण 21,22 तथा 37,39 के तहत मान0 न्यायालय में बाद दायर किया जायेगा, जिसकी समस्त जवाबदेही आपकी होगी कृपया सूचित हो।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार प्रकरण निरस्त की प्रति।

पु.क्र. / 1439 / क्षे.का. / प्रनियो / 2019  
प्रतिलिपि:-

(डॉ. आर.एस. परिहार)  
क्षेत्रीय अधिकारी  
रीवा दिनांक 22.8.19

1. कलेक्टर महादेय, जिला रीवा की ओर कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रीवा की ओर सूचनार्थ प्रेषित कर निवेदन है कि रीवा पंचायत, सरपंच, सचिव को निर्देशित किया जाय कि ऐसी इकाईयो का बोर्ड से स्थल अनुमोदन / अनुमति एवं बिना बोर्ड की पर्यावरणीय अभिमत / अनुमति प्राप्त किए बगैर ग्राम सभा का अनुमोदन / अनापत्ति प्रमाण जारी न किए जाएँ।
3. खनिज अधिकारी जिला रीवा की ओर सूचनार्थ प्रेषित कर लेख है कि ऐसी इकाईया को बिना बोर्ड की सम्मति प्राप्त किए बगैर भण्डारण, पिटपास जारी न किए जाए, यदि जारी किए गए है तो संपन्न निरस्त किया जावे।
4. अधीक्षण यंत्री म.प्र.पू.क्षे. विद्युत वितरण कम्पनी रीवा की ओर लेख है कि ऐसी इकाईयो को बिना बोर्ड की सम्मति प्राप्त किए बगैर विद्युत सुविधा कनेक्शन जारी न किए जावे।
5. अनुविभागीय अधिकारी तह0 हुजूर जिला रीवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही (आवरोकन व अन्य) हेतु प्रेषित।
6. विधि अधिकारी म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं अग्र कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(डॉ. आर.एस. परिहार)  
क्षेत्रीय अधिकारी  
म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
रीवा (म.प्र.)



क्षेत्रीय कार्यालय,  
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
एच.आई.जी.190-191 नेहरू नगर रीवा (म.प्र.)

Tel / Fax : (07662) 230605 E-mail : ropcb-rewa@mp.gov.in

क्रमांक / 274 / क्षे.का. / प्रनिबो / 2020  
प्रति,

रीवा, दिनांक 20/02/2020

में0 शिल्पी स्टोन क्रेशर  
(प्रो. श्री नरेन्द्र सिंह)  
खसरा नं. 175/2 रकवा 0.594 हे0  
ग्राम खम्हरिया तह. हुजूर जिला-रीवा (म.प्र.)

विषय :- स्थापना / संचालन सम्मति निलंबित हेतु।

संदर्भ :-  
1. इस कार्यालय का सम्मति पत्र क्र. 70029 दिनांक 01.10.2019  
2. कलेक्टर रीवा का पत्र क्र. 49 दिनांक 23.01.2020

कृपया संदर्भित विषयान्तर्गत लेख है कि आपके आन-लाइन आवेदन में जिला मुख्यालय खसरा नं. 175/2 रकवा 0.594 हे0 का उल्लेख कर आवेदन प्रस्तुत किया है, उक्त के आधार पर बाईं द्वारा स्थापना/संचालन अनुमति प्रदान की गई है, परन्तु संदर्भित पत्र में संलग्नक दस्तावेजों अनुसार वह खसरा रकवा में0 अल्ट्राटेक सीमेन्ट लिमि. बेला जिला रीवा की माइनिंग लीज अन्तर्गत है। नियमानुसार आवंटित लीज क्षेत्र में अन्य इकाइयों को स्थापना/संचालन सम्मति जारी नहीं की जा सकती है।

अतएव भूमि स्वामित्व/आवंटन की विरांगति के आधार पर आपको प्रदत्त स्थापना/संचालन सम्मति तत्काल प्रभाव से निलंबित कर निर्देशित किया जाता है कि भूमि लीज आवंटन/स्वामित्व के संबंध में आवश्यक दस्तावेजों की प्रति राजस्व विभाग एवं खनिज विभाग से सत्यापन कराकर वस्तु रिश्ति से इस कार्यालय को 07 दिवस के अंदर प्रस्तुत करें, अन्यथा प्रदत्त सम्मति स्वमेव स्थायी रूप से प्रभावी माने जावेगी। कृपया सूचित हो।

पृ.क्रमांक / 275 / क्षे.का. / तक. / प्रनिबो / 2020  
प्रतिलिपि,

(डॉ. आर.एस. परिहार)  
क्षेत्रीय अधिकारी  
रीवा, दिनांक

20/2/2020

1. कलेक्टर महोदय, जिला-रीवा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. सदस्य सचिव महोदय म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रभारी खनिज अधिकारी जिला रीवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. अंधीक्षण यंत्री म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी रीवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. प्रबंधक में, अल्ट्राटेक सीमेन्ट प्लांट बेला जिला रीवा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
6. गार्ड नस्ती।

(डॉ. आर.एस. परिहार)  
क्षेत्रीय अधिकारी  
म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
रीवा (म.प्र.)

Photograph  
NGT Case No. 34/2020

1. M/s Sahara Stone Crusher of Shri Vijendra Singh Vill. Baijnath post Bholgarh Th. Huzur distt. Rewa



2. M/s New Sahara Stone Crusher of Shri Vijay Kumar Tripathi partner Vill. Baijnath post Bholgarh Th. Huzur distt. Rewa



3. M/s Kashar Stone Crusher of Shri Amit Singh Yadav Vill. Baijnath Post Bholgarh Th. Huzur distt. Rewa



4. M/s Ram Prem Stone Crusher of Shri Ambuj Panday Vill. Baijnath post Bholgarh Th. Huzur distt. Rewa



5. M/s Maa Sharda Stone Crusher of Shri virendra Bhadur Singh Vill. Baijnath post Bholgarh Th. Huzur distt. Rewa



6. M/s Shukla Stone Crusher of Shri Sidharath Shukla Vill. Baijnath Post Bholgarh Th. Huzur distt. Rewa



7. M/s Singh Tiwari Stone Crusher of Shri Kamal Singh Tiwari vill. Baijnath post Bholgarh Th. Huzur distt. Rewa



8. M/s Puneet Tiwari Stone Crusher of Shri Puneet Tiwari Vill. Baijnath post Bholgarh Th. Huzur distt. Rewa



9. M/s Kiran Krupa Stone Crusher of Shrimati Sangeeta Sharma Vill. Baijnath post Bholgarh Th. Huzur distt. Rewa



10. M/s Y.N. Stone Crusher of Shri Prabhat Shukla Vill. Baijnath post Bholgarh Th. Huzur distt. Rewa



11. M/s Vrindawan Stone Crusher of Shri Shivendra Singh Patel Vill. Baijnath post Bholgarh Th. Huzur distt. Rewa



12. M/s kabaya Stone Crusher of Shri Vinod pandey Vill. Baijnath post Bholgarh Th. Huzur distt. Rewa



64

**13. M/s Samarat Stone Crusher of Shri Umesh Kuswaha Vill. Baijnath post Bholgarh Th. Huzur distt. Rewa**



Latitude: 24.508491  
 Longitude: 81.172801  
 Elevation: 321.19 m  
 Accuracy: 18.7 m  
 Time: 08-27-2020 11:21  
 Note: M/s Samarat  
 Stone Crushers near residence of Shri Umesh Kuswaha Vill. Baijnath post Bholgarh Th. Huzur distt. Rewa  
 crusher Remove with Police Force site area


Powered by NowCam



Latitude: 24.508426  
 Longitude: 81.172825  
 Elevation: 320.19 m  
 Accuracy: 8.6 m  
 Time: 08-27-2020 11:20  
 Note: M/s Samarat  
 Stone Crushers near residence of Shri Umesh Kuswaha Vill. Baijnath post Bholgarh Th. Huzur distt. Rewa  
 crusher Remove with Police Force site area

Powered by NowCam

**14. M/s Sidharth Shukla Stone Crusher of Shri Sidharth Shukla Vill. Hinouti post Bholgarh Th. Huzur distt. Rewa**



Latitude: 24.518072  
 Longitude: 81.16726  
 Elevation: 352.77 m  
 Accuracy: 3.2 m  
 Time: 08-26-2020 13:25  
 Note: Shidharth Shukla Stone Crushers near residence of Shri Sidharth Shukla Vill. Hinouti post Bholgarh Th. Huzur distt. Rewa  
 crusher Remove with Police Force site area


Powered by NowCam



Latitude: 24.522754  
 Longitude: 81.160900  
 Elevation: 329.19 m  
 Accuracy: 4.5 m  
 Time: 08-27-2020 11:54  
 Note: M/s Sidharth Shukla  
 Stone Crushers Hinouti near residence of Shri Sidharth Shukla Vill. Hinouti post Bholgarh Th. Huzur distt. Rewa  
 crusher Remove with Police Force site area

Powered by NowCam

15. M/s Ambuj Stone Cursher of Shri Ambuj Tripathi Vill. Hinouti post Bholgarh Th. Huzur distt. Rewa



16. M/s Pawan Pathak Stone Crusher of Shri Pawan Pathak Vill. Hinouti post Bholgarh Th. Huzur distt. Rewa




17. M/s Rama Asosiate Stone Crusher of Shri Mukes Tripathi Vill. Hinouti post Bholgarh Th. Huzur distt. Rewa



18. M/s Shilpi Stone Crusher of Shri Narendra Singh Vill. Khamariya post Bholgarh Th. Huzur distt. Rewa





Google view map of stone crusher area at Baijnath th. Huzur distt. Rewa



क्षेत्रीय कार्यालय  
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

एच.आई.जी.190-191 नेहरू नगर रीवा (म.प्र.)

Tel / Fax : (07662) 230605 E-mail : rorewa\_pcb@rediffmail.com

क्रमांक /  
प्रति,

1621  
~~1619~~ / क्षे.का. / प्रनिबो / 2019

रीवा दिनांक .....

कलेक्टर महोदय  
जिला - रीवा (म.प्र.)

विषय :- ग्राम बैजनाथ में अवैध रूप से स्थापित/संचालित हो रहे स्टोन क्रेशरो के विषय  
धारा 133 के तहत वैधानिक कार्यवाही किए जाने बाबत।

- संदर्भ :-
1. मान0 एन.जी.टी. द्वारा एन.जी.टी. ओ.ए. नं. 739/2018 में पारित आदेश
  2. आपका पत्र क्र. 4267 दिनांक 14.06.2019
  3. आपका पत्र क्र. 5293 दिनांक 04.09.2019
  4. इस कार्यालय का पत्र क्र. 1386 दिनांक 06.08.2019
  5. इस कार्यालय का पत्र क्र. 1416 दिनांक 14.08.2019

महोदय,

कृपया संदर्भित विषयान्तर्गत लेख है कि जिले के ग्राम बैजनाथ बनकुइया एम सुमेदा में निम्नानुसार स्टोन क्रेशर अवैध, बिना सम्मति प्राप्त किए स्थापित एवं संचालित हो है :-

क्र0	स्टोन क्रेशर इकाई का नाम एवं पता	क्रेशर की अद्यतन स्थिति
1	मे0 राजेश सिंह स्टोन क्रेशर ग्राम सुमेदा प्रो0 श्री राजेश सिंह स्थायी पता- ग्राम खारा पो0 भलवार जिला रीवा	आदिवासी आवादी क्षेत्र के अंतर्गत निर्माणाधीन
2	मे0 महेश पटेल स्टोन क्रेशर ग्राम मरहा (बनकुइया)	उत्पादनरत
3	मौ शारदा स्टोन वर्क्स बैजनाथ	निर्माणाधीन
4	क्रेशर इन्डस्ट्रीज बैजनाथ प्रो0 श्री अमित यादव	निर्माणाधीन
5	न्यू सहारा स्टोन क्रेशर बैजनाथ	उत्पादनरत
6	मे0 पान्डेय स्टोन क्रेशर बैजनाथ प्रो0 श्री अम्बुज पाण्डेय	निर्माणाधीन
7	श्री राजेश पाण्डेय पिता गुलाब पाण्डेय ग्राम बैजनाथ तहसील हुजूर जिला रीवा	निर्माणाधीन
8	श्री विनोद पाण्डेय स्टोन क्रेशर देवी रोड ग्राम बैजनाथ तहसील हुजूर जिला रीवा	निर्माणाधीन

9	श्री शीवेन्द सिंह स्टोन क्रेशर बैजनाथ देवी रोड ग्राम बैजनाथ तहसील हुजूर जिला रीवा	निर्माणाधीन
10	मै. वाई एन स्टोन क्रेशर बैजनाथ प्रो० श्री प्रभात शुक्ला ग्राम बैजनाथ तहसील हुजूर जिला रीवा	उत्पादनरत
11	मै० श्याम स्टोन क्रेशर प्रो० श्री अजय तिवारी ग्राम मरहा तहसील हुजूर जिला रीवा	उत्पादनरत

कृपया उपरोक्त स्टोन क्रेशर इकाईयों अवैध रूप से मान० राष्ट्रीय हा अधिकरण द्वारा पारित आदेश के तहत स्थापित नहीं है जिन्हे बोर्ड द्वारा जल/वायु अधिनि- अन्तर्गत सम्मति प्रदान नहीं किया जा सकता है, ऐसी इकाईयों द्वारा अवैध खनिज उत्खन परिवहन एवं उत्पादन किए जाने से आम जन मानस एवं पर्यावरण में प्रतिकूल प्रभाव हो र है।

अतएव ऐसी सभी इकाईयों के विरुद्ध 133 की कार्यवाही किया जाना अनुशासि के साथ अनुरोध है कि जे.पी. बेलकम तिराहा एवं सुमेदा बनकुइया में अवैध उत्खनन, भण्डार परिवहन रोकने हेतु स्थाई तौर पर 03 जगहों में स्थायी नाका लगाकर निरंतर सशस्त्र बलो त साथ सघन चेकिंग कराई जाय, जिससे ऐसे कार्यो मे गतिरोध व पूर्णतः नियंत्रण हो सके।

oc (डॉ. आर.एस. परिहार)  
क्षेत्रीय अधिकारी  
म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
रीवा (म.प्र.)

पृ.क्रमांक/ 1622/क्षे.का/तक./प्रनिबो/2019  
प्रतिलिपि,

रीवा, दिनांक 11/09/

1. आयुक्त महोदय, रीवा संभाग जिला-रीवा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. पुलिस अधीक्षक महोदय जिला रीवा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. खनिज अधिकारी जिला रीवा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. अधीक्षण यंत्री म.प्र.पू.क्षे. विद्युत वितरण कम्पनी रीवा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. सदस्य सचिव महोदय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
6. महाप्रबंधक जिला उद्योग एवं व्यापार केन्द्र रीवा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

oc (डॉ. आर.एस. परिहार)  
क्षेत्रीय अधिकारी  
म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
रीवा (म.प्र.)



## क्षेत्रीय कार्यालय

म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

एच.आई.जी.190-191 नेहरू नगर रीवा (म.प्र.)

Tel / Fax : (07662) 230605 E-mail : rorewa\_pcb@rediffmail.com

क्रमांक /  
प्रति,

1623 / क्षे.का. / प्रनिबो / 2019

रीवा, दिनांक .....

महाप्रबंधक

जिला उद्योग एवं व्यापार केन्द्र रीवा (म.प्र.)

विषय :-

जिले में बोर्ड की बगैर जल/वायु सम्मति प्राप्त किए बगैर स्थापित हो रहे स्टोन क्रेशरों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही किए जाने के संबंध में।

संदर्भ :-

1. मान० कलेक्टर महोदय जिला रीवा का पत्र क्र. 4267 दिनांक 14.06.2019
2. क्षेत्र का समय-समय पर किए गए निरीक्षण
3. दिनांक 03.09.2019 को सम्पन्न टास्क फोर्स की बैठक में दिए गए निर्देश।

कृपया संदर्भित विषयान्तर्गत लेख है कि निरीक्षण के दौरान एवं मान० कलेक्टर महोदय रीवा के पत्र के आधार पर पाया गया कि जिले में विभिन्न जगहों में बोर्ड की जल/वायु सम्मति प्राप्त किए बगैर जल एवं वायु प्रदूषणकारी इकाईयों अवैध रूप से विस्थापित होकर पर्यावरण एवं आम जन मानस में प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है। उक्त इकाईयों द्वारा उद्योग आधार का पंजीयन के आधार पर अन्य विभागों में आवेदन कर व्यापारिक गतिविधियों प्रारंभ कर ली जाती है ऐसी इकाईयों के द्वारा शासन को राजस्व एवं पर्यावरणीय प्रभावों में नुकसान पहुँचाया जा रहा है जिस पर गतिरोध लगाया जाना अत्यंत आवश्यक है।

अतः आपसे अनुरोध है कि ऐसी इकाईयों के अवैध रूप से स्थापित/संचालन करने में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कर की गई कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत कराने का कष्ट करें जिससे पर्यावरणीय एवं आम जन मानस में विपरीत असर न हो।

पृ.क्रमांक /  
प्रतिलिपि,

1624 / क्षे.का. / तक. / प्रनिबो / 2019

(डॉ. आर.एस. परिहार)

क्षेत्रीय अधिकारी

रीवा, दिनांक .....

1. कलेक्टर महोदय जिला रीवा की ओर कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रीवा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. सदस्य सचिव महोदय म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर कृपया सूचना प्रेषित।

(डॉ. आर.एस. परिहार)

क्षेत्रीय अधिकारी

म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

रीवा (म.प्र.)



क्षेत्रीय कार्यालय  
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
एच.आई.जी.190-191 नेहरू नगर रीवा (म.प्र.)

Tel / Fax : (07662) 230605 E-mail : rorewa\_pcb@rediffmail.com

क्रमांक / 2039 / क्षे.का./तक./ प्रनिबो/2019  
प्रति,

रीवा, दिनांक 05/12/19

कलेक्टर महोदय  
जिला - रीवा (म.प्र.)

विषय :- ग्राम बैजनाथ में अवैध रूप से स्थापित/संचालित हो रहे स्टोन क्रेशरो के विरुद्ध धारा 133 के तहत वैधानिक कार्यवाही किए जाने बावत्।

संदर्भ :- 1. इस कार्यालय का पत्र क्र. 1621 दिनांक 11.09.2019  
2. आपके द्वारा प्रेषित पत्र क्र. 2038 दिनांक 27.11.2019 इस कार्यालय में प्राप्त दिनांक 30.11.2019

महोदय,

कृपया संदर्भित विषयान्तर्गत लेख है कि जिले के ग्राम बैजनाथ में स्टोन क्रेशर बिना सम्मति प्राप्त अवैध रूप से स्थापित एवं संचालित हो रहे हैं। उक्त क्रेशर प्रबंधको द्वारा निरंतर अवैध क्रेशरो के स्थापित हेतु अनापत्ति जारी करने का दवाब बनाया जा रहा है। उक्त क्रेशर इकाईयों बोर्ड द्वारा स्टोन क्रेशर स्थापना हेतु मान0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन.जी.टी.) द्वारा पारित आदेशो एन.जी.टी. 64/2016 एवं 739/2018 के विपरीत स्थापित कर संचालित है।

कृपया पूर्व में इस कार्यालय द्वारा उक्त सभी इकाईयों के विरुद्ध 133 की कार्यवाही हेतु अनुसंशा सहित श्रीमान जी की ओर प्रेषित किया जा चुका है। जिस पर नियमानुसार कार्यवाही आपेक्षित है, जिससे नियमों एवं अधिनियमों का उल्लंघन एवं शान्ति व्यवस्था प्रभावित न हो सके।

AC R क्षेत्रीय अधिकारी  
म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
रीवा (म.प्र.)

पृ.क्रमांक / 2040 / क्षे.का./तक./ प्रनिबो/2019  
प्रतिलिपि,

रीवा, दिनांक ...05/12/19

1. आयुक्त महोदय, रीवा संभाग जिला-रीवा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. पुलिस अधीक्षक महोदय जिला रीवा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जिला रीवा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. सदस्य सचिव महोदय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. खनिज अधिकारी जिला रीवा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
6. अधीक्षण यंत्री म.प्र.पू.क्षे. विद्युत वितरण कम्पनी रीवा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
7. महाप्रबंधक जिला उद्योग एवं व्यापार केन्द्र रीवा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
8. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील हुजूर जिला रीवा की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

AC R क्षेत्रीय अधिकारी  
म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
रीवा (म.प्र.)



क्षेत्रीय कार्यालय

Ann. VII (71)

म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

एच. आई.जी.190-191 नेहरू नगर रीवा

(Tel & Fax 07662-230605, e-mail-ropcb-rewa@mp.gov.in)

71

कमांक/ 1028/ क्षे.का./तक./ प्रनिबो/2020  
प्रति,

रीवा, दिनांक. 8/8/2020


अनुविभागीय दण्डाधिकारी (राजस्व)  
अनुभाग हुजूर  
जिला रीवा (म.प्र.)

विषय- माननीय एन.जी.टी. ओए नं० 34/2020 (सी.जेड.) में पारित आदेश के अंतर्गत अवैध इकाईयों पर नियंत्रण हेतु सी.आर.पी.सी. की धारा 133 अंतर्गत कार्यवाही बावत्।

संदर्भ- इस कार्यालय का पत्र कमांक 1002 दिनांक 04.08.2020.

कृपया संदर्भित विषयांतर्गत लेख है कि ग्राम पंचायत बैजनाथ क्षेत्रांतर्गत ग्राम बैजनाथ हिनौती में अवैध रूप से संचालित स्टोन केशर इकाईयों द्वारा प्रदूषण नियंत्रण एवं पर्यावरणीय नियमों की अवहेलना किया जा रहा है। तत् संबंध में स्टोन केशर संचालकों को पर्यावरणीय दृष्टिकोण से स्थल उपयुक्त न होने के कारण निरीक्षण के दौरान एवं नोटिस के द्वारा निर्देशित किया गया है, उक्त स्थान से विस्थापन की कार्यवाही कर के नियमानुसार साम्ति प्राप्त कर संचालन करें, किन्तु आज दिनांक संचालन बंद नहीं किया गया है। स्थानीय निवासियों द्वारा निरंतर प्रदूषण से जनसामान्य का होने वाली दुष्प्रभाव की शिकायते आती रहती है।

अतः अनुरोध है, अनावेदक मे. सहारा स्टोन केशर ग्राम बैजनाथ  
तह. हुजूर जिला रीवा (म.प्र.) के विरुद्ध सी.आर.पी.सी. की धारा 133 के तहत कार्यवाही की जाये, चूंकि उक्त अनावेदक के द्वारा अवैध रूप से संचालित स्टोन केशर से आम जनता के दैनिक जीवन यापन में बाधा उत्पन्न हो रही है, अतः न्यायालय निवेदन है कि त्वरित रूप से अंतरिम तौर पर अनावेदक को उसके द्वारा केशर को अंतरिम रूप से बंद किये जाने का आदेश प्रसारित करने की दया की जाये, ताकि आम जनता को राहत मिल सके।  
संलग्न- उपरोक्तानुसार। (इकाई-बार)

  
क्षेत्रीय अधिकारी  
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
रीवा (म.प्र.)

- निरीक्षण प्रतिवेदन :-

निरीक्षण दिनांक :- 21.07.2020

निरीक्षण कर्ता :- संयुक्त दल म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं खनिज विभाग रीवा

इकाई का नाम एवं पता :- में0 सहारा स्टोन क्रेशर ग्राम बैजनाथ तह. हुजूर जिला रीवा

भूमि स्वामी का नाम खसरा क्र. एवं रकबा :- मो0 अकरम सिद्धिकी ,खसरा नं. 1439 रकबा 0.146 हे0

उत्पाद एवं उत्पादन क्षमता :- स्टोन गिट्टी,

लेटीटियूड एवं लागीटियूड :- 24.3034N, 81.112E

भूमि व्यपवर्तन :- श्रीमती रूबीना सिद्धिकी पत्नी श्री अकरम सिद्धिकी के नाम पर है पत्र क्र. 1402/172/59/अ-2 2015-16 दिनांक 05.08.2016

भण्डारण की स्थिति :- खनिज नियमों के अन्तर्गत 270000.00 रू0 का अर्थदण्ड अवैध भण्डारण पर खनिज विभाग द्वारा प्रस्तावित है।

विद्युत सुविधा की स्थिति :- दिनांक 29.01.2020 को विद्युत विच्छेद किया गया तत्पश्चात मान0 कलेक्टर महोदय के पत्र क्र. 2020 दिनांक 18.02.2020 के तहत सिर्फ प्रकाश व्यवस्था हेतु दिनांक 13.03.2020 को विद्युत कनेक्सन जोड़ा गया।

उद्योग की स्थिति :- संचालन की स्थिति में है निरीक्षण के दौरान बंद पाया गया।


जल स्रोत :- बोरवेल

वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की जानकारी :- रोड पश्चिम दिशा में बाउन्ड्रीवाल का निर्माण लगभग 40 फिट लम्बाई व 08 फिट ऊँचाई कराया गया है छन्ने को कव्हर किया है।

वृक्षारोपण :- 08 से 10 पेड़

अभिमत :- माननीय एन.जी.टी. के प्रकरण क्र0 739/2018 के पारित आदेश के परिपालन में स्थल निरीक्षण के दौरान पाया गया कि पर्यावरणीय दृष्टिकोण से स्थल उपयुक्त नहीं है। इस कारण आवेदन निरस्त किया गया है। यह इकाई संडक से 35 मी0 व आबादी क्षेत्र से 50 मी0 पर बोर्ड की संचालन सम्मति प्राप्त किए बिना संचालित है। निरंतर वायु प्रदूषण की शिकायत प्राप्त होती है तथा क्षेत्र का वातावरण प्रभावित हो रहा है, जिससे CRPC की धारा 133 की कार्यवाही किया जाना अनुशंसित है।

  
उपयंत्री  
म.प्र. प्र. नि. बोर्ड

  
क्षेत्रीय अधिकारी  
म.प्र. प्र. नि. बोर्ड  
रीवा

  
खनिज अधिकारी  
(कलेक्टर के कार्यालय पर)  
(निरीक्षण के उपरान्त)



क्षेत्रीय कार्यालय  
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
एच. आई.जी.190-191 नेहरू नगर रीवा  
(Tel & Fax 07662-230605, e-mail-ropcb-rewa@mp.gov.in)

क्रमांक / 1029 / क्षे.का. / तक. / प्रनिबो / 2020  
प्रति,

रीवा, दिनांक 8/8/2020

अनुविभागीय दण्डाधिकारी (राजस्व)  
अनुभाग हुजूर  
जिला रीवा (म.प्र.)

विषय- माननीय एन.जी.टी. ओए नं० 34/2020 (सी.जेड.) में पारित आदेश के अंतर्गत अवैध इकाईयों पर नियंत्रण हेतु सी.आर.पी.सी. की धारा 133 अंतर्गत कार्यवाही बावत्।

संदर्भ- इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 1002 दिनांक 04.08.2020.

कृपया संदर्भित विषयांतर्गत लेख है कि ग्राम पंचायत बैजनाथ क्षेत्रांतर्गत ग्राम बैजनाथ हिनौती में अवैध रूप से संचालित स्टोन केशर इकाईयों द्वारा प्रदूषण नियंत्रण एवं पर्यावरणीय नियमों की अवहेलना किया जा रहा है। तत् संबंध में स्टोन केशर संचालकों को पर्यावरणीय दृष्टिकोण से स्थल उपयुक्त न होने के कारण निरीक्षण के दौरान एवं नोटिस के द्वारा निर्देशित किया गया है, उक्त स्थान से विस्थापन की कार्यवाही कर के नियमानुसार सम्मति प्राप्त कर संचालन करें, किन्तु आज दिनांक संचालन बंद नहीं किया गया है। स्थानीय निवासियों द्वारा निरंतर प्रदूषण से जनसामान्य का होने वाली दुष्प्रभाव की शिकायतें आती रहती है।

अतः अनुरोध है, अनावेदक श्री. लक्ष्मी सहारा (स्टोन केशर)  
ग्राम-बैजनाथ, तह. हुजूर जिला-रीवा के विरुद्ध सी.आर.पी.सी. की धारा 133 के तहत कार्यवाही की जाये, चूंकि उक्त अनावेदक के द्वारा अवैध रूप से संचालित स्टोन केशर से आम जनता के दैनिक जीवन यापन में बाधा उत्पन्न हो रही है, अतः न्यायालय निवेदन है कि त्वरित रूप से अंतरिम तौर पर अनावेदक को उसके द्वारा केशर को अंतरिम रूप से बंद किये जाने का आदेश प्रसारित करने की दया की जाये, ताकि आम जनता को राहत मिल सके।  
संलग्न- उपरोक्तानुसार। (इकाई-बार)

  
क्षेत्रीय अधिकारी  
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
रीवा (म.प्र.)

निरीक्षण दिनांक :- 21.07.2020

निरीक्षण कर्ता :- संयुक्त दल

इकाई का नाम एवं पता :- मै० न्यू सहारा स्टोन क्रेशर ग्राम बैजनाथ तह. हुजूर जिला रीवा  
भूमि स्वामी का नाम खसरा क्र. एवं रकबा :- मो० अकरम सिद्धिकी खसरा नं. 1446 रकबा  
0.240 हे०

उत्पाद :- स्टोन गिट्टी

लेटीटियूड एवं लांगीटियूड :- 24.3013 N , 81.1113 E 307 मीटर

भूमि व्यवर्तन :- परिवर्तित

भण्डारण की स्थिति :- खनिज नियमों के अन्तर्गत 180000.00 ₹० का अर्थदण्ड अवैध  
भण्डारण पर खनिज विभाग द्वारा प्रस्तावित है।

विद्युत सुविधा की स्थिति :- दिनांक 29.01.2020 को विद्युत विच्छेद किया गया तत्पश्चात्  
मान० कलेक्टर महोदय के पत्र क्र. 2020 दिनांक 18.02.2020 के तहत सिर्फ प्रकाश व्यवस्था  
हेतु दिनांक 13.03.2020 को विद्युत कनेक्शन जोड़ा गया।

उद्योग की स्थिति :- संचालन की स्थिति में है निरीक्षण के दौरान बंद पाया गया।


जल स्रोत :- बोरवेल

वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की जानकारी :- छान्ना कव्हर किया गया है बाउन्ड्री लगभग 50  
मी. लम्बाई एवं 08 फिट ऊँचाई की पश्चिम दिशा में बनाई गई है। शेष अन्य दिशाओं में  
बाउन्ड्रीवाल निर्मित नहीं है।

वृक्षारोपण :- लगभग 10-12 नग पुराने वृक्ष लगे हुए हैं।

अभिमत :- माननीय एन.जी.टी. के प्रकरण क्र० 739/2018 के पारित आदेश के परिपालन में  
स्थल निरीक्षण के दौरान पाया गया कि पर्यावरणीय दृष्टिकोण से स्थल उपयुक्त नहीं है। इस  
कारण आवेदन निरस्त किया गया है। यह इकाई आबादी की सीमा क्षेत्र से 500 मीटर के  
अंदर है। निरंतर वायु प्रदूषण की शिकायत प्राप्त होती है तथा क्षेत्र का वातावरण प्रभावित हो  
रहा है, जिससे CRPC की धारा 133 की कार्यवाही किया जाना अनुशंसित है।

  
उपयंत्री

  
क्षेत्रीय अधिकारी

  
खनिज अधिकारी  
(कल महो के कार्यालय पर  
निरीक्षण से उपर (गत))



क्षेत्रीय कार्यालय  
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
एच. आई.जी.190-191 नेहरू नगर रीवा  
(Tel & Fax 07662-230605, e-mail-ropcb-rewa@mp.gov.in)

क्रमांक / 1030 / क्षे.का. / तक. / प्रनिबो / 2020  
प्रति,

रीवा, दिनांक 8/8/20


अनुविभागीय दण्डाधिकारी (राजस्व)  
अनुभाग हुजूर  
जिला रीवा (म.प्र.)

- विषय- माननीय एन.जी.टी. ओए नं० 34/2020 (सी.जेड.) में पारित आदेश के अंतर्गत अवैध इकाईयों पर नियंत्रण हेतु सी.आर.पी.सी. की धारा 133 अंतर्गत कार्यवाही बावत्।
- संदर्भ- इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 1002 दिनांक 04.08.2020.

कृपया संदर्भित विषयांतर्गत लेख है कि ग्राम पंचायत बैजनाथ क्षेत्रांतर्गत ग्राम बैजनाथ हिनौती में अवैध रूप से संचालित स्टोन केशर इकाईयों द्वारा प्रदूषण नियंत्रण एवं पर्यावरणीय नियमों की अवहेलना किया जा रहा है। तत् संबंध में स्टोन केशर संचालकों को पर्यावरणीय दृष्टिकोण से स्थल उपयुक्त न होने के कारण निरीक्षण के दौरान एवं नोटिस के द्वारा निर्देशित किया गया है, उक्त स्थान से विस्थापन की कार्यवाही कर के नियमानुसार सम्मति प्राप्त कर संचालन करें, किन्तु आज दिनांक संचालन बंद नहीं किया गया है। स्थानीय निवासियों द्वारा निरंतर प्रदूषण से जनसामान्य का होने वाली दुष्प्रभाव की शिकायत आती रहती है।

अतः अनुरोध है, अनावेदक मो० केशर स्टोन केशर, ग्राम - बैजनाथ  
तहसील - हुजूर, जिला - रीवा के विरुद्ध सी.आर.पी.सी. की धारा 133 के तहत कार्यवाही की जाये, चूंकि उक्त अनावेदक के द्वारा अवैध रूप से संचालित स्टोन केशर से आम जनता के दैनिक जीवन यापन में बाधा उत्पन्न हो रही है, अतः न्यायालय निवेदन है कि त्वरित रूप से अंतरिम तौर पर अनावेदक को उसके द्वारा केशर को अंतरिम रूप से बंद किये जाने का आदेश प्रसारित करने की दया की जाये, ताकि आम जनता को राहत मिल सके।

संलग्न- उपरोक्तानुसार। (इकाई-बार)

  
क्षेत्रीय अधिकारी  
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
रीवा (म.प्र.)

निरीक्षण दिनांक :- 21.07.2020

निरीक्षण कर्ता :- संयुक्त दल

इकाई का नाम एवं पता :- में0 कसर स्टोन क्रेशर ग्राम बैजनाथ तह. हुजूर जिला सीवा

भूमि स्वामी का नाम खसरा क्र. एवं रकबा :- श्री भास्कर मिश्रा खसरा नं. 1406,1408,1410  
रकबा 0.406 हे0

उत्पाद एवं उत्पादन क्षमता :- स्टोन गिट्टी

लेटीटियूड एवं लांगीटियूड :- 24.3018 N , 81.1112 E 307 मीटर

भूमि व्यपवर्तन :- परिवर्तित व्यावसायिक प्रकरण क्र. 0290/अ-2/19-20 दिनांक 14.06.2019

भण्डारण की स्थिति :- खनिज नियमों के अन्तर्गत 240000.00 रु0. का अर्थदण्ड अवैध  
भण्डारण पर खनिज विभाग द्वारा प्रस्तावित है।

विद्युत सुविधा की स्थिति :- दिनांक 29.01.2020 को विद्युत विच्छेद किया गया तत्पश्चात  
मान0 कलेक्टर महोदय के पत्र क्र. 2020 दिनांक 18.02.2020 के तहत सिर्फ प्रकाश व्यवस्था  
हेतु दिनांक 13.03.2020 को विद्युत कनेक्शन जोड़ा गया।

उद्योग की स्थिति :- संचालन की स्थिति में है निरीक्षण के दौरान बंद पाया गया।

जल स्रोत :- बोरवेल

वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की जानकारी :- छप्पे को कच्कर किया गया है बाउन्ड्रीवाल का  
निर्माण नहीं किया गया है। निरीक्षण के समय उद्योग बंद पाया गया।

अभिमत :- माननीय एन.जी.टी. के प्रकरण क्र0 739/2018 के पारित आदेश के परिपालन में  
स्थल निरीक्षण के दौरान पाया गया कि पर्यावरणीय दृष्टिकोण एवं बोर्ड की गाइड लाइन 2004  
अनुसार स्थल उपयुक्त नहीं है। इस कारण आवेदन 09.03.2020 को निरस्त किया गया है।  
किराये की भूमि पर स्थापित है। निरंतर वायु प्रदूषण की शिकायत प्राप्त होती है तथा क्षेत्र का  
वातावरण प्रभावित हो रहा है, जिससे CRPC की धारा 133 की कार्यवाही किया जाना  
अनुशंसित है।

  
उपयंत्री

  
क्षेत्रीय अधिकारी

  
खनिज अधिकारी  
(कृपया मते के आदेशाद्वारा  
निरीक्षण से उपरि-पत्र)



**क्षेत्रीय कार्यालय**  
**म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड**  
एच. आई.जी.190-191 नेहरू नगर रीवा  
(Tel & Fax 07662-230605, e-mail-ropcb-rewa@mp.gov.in)

क्रमांक / 1031/ क्षे.का./तक./ प्रनिबो/2020  
प्रति,

रीवा, दिनांक...8/8/20


अनुविभागीय दण्डाधिकारी (राजस्व)  
अनुभाग हुजूर  
जिला रीवा (म.प्र.)

**विषय-** माननीय एन.जी.टी. ओए नं० 34/2020 (सी.जेड.) में पारित आदेश के अंतर्गत अवैध इकाईयों पर नियंत्रण हेतु सी.आर.पी.सी. की धारा 133 अंतर्गत कार्यवाही बावत्।

**संदर्भ-** इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 1002 दिनांक 04.08.2020.

कृपया संदर्भित विषयांतर्गत लेख है कि ग्राम पंचायत बैजनाथ क्षेत्रांतर्गत ग्राम बैजनाथ हिनौती में अवैध रूप से संचालित स्टोन केशर इकाईयों द्वारा प्रदूषण नियंत्रण एवं पर्यावरणीय नियमों की अवहेलना किया जा रहा है। तत् संबंध में स्टोन केशर संचालकों को पर्यावरणीय दृष्टिकोण से स्थल उपयुक्त न होने के कारण निरीक्षण के दौरान एवं नोटिस के द्वारा निर्देशित किया गया है, उक्त स्थान से विस्थापन की कार्यवाही कर के नियमानुसार सम्मति प्राप्त कर संचालन करें, किन्तु आज दिनांक संचालन बंद नहीं किया गया है। स्थानीय निवासियों द्वारा निरंतर प्रदूषण से जनसामान्य का होने वाली दुष्प्रभाव की शिकायतें आती रहती हैं।

अतः अनुरोध है, अनावेदक श्री० माँ शारदा स्टोन केशर ग्राम-बैजनाथ  
तहसील-हुजूर, जिला-रीवा के विरुद्ध सी.आर.पी.सी. की धारा 133 के तहत कार्यवाही की जाये, चूंकि उक्त अनावेदक के द्वारा अवैध रूप से संचालित स्टोन केशर से आम जनता के दैनिक जीवन यापन में बाधा उत्पन्न हो रही है, अतः न्यायालय निवेदन है कि त्वरित रूप से अंतरिम तौर पर अनावेदक को उसके द्वारा केशर को अंतरिम रूप से बंद किये जाने का आदेश प्रसारित करने की दया की जाये, ताकि आम जनता को राहत मिल सके।  
संलग्न- उपरोक्तानुसार। (इकाई-बार)

  
क्षेत्रीय अधिकारी  
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
रीवा (म.प्र.)

निरीक्षण दिनांक :- 21.07.2020

निरीक्षण कर्ता :- संयुक्त दल

इकाई का नाम एवं पता :- मै<sup>माँ</sup>शारदा स्टोन क्रेशर ग्राम बैजनाथ तह. हुजूर जिला रीवा

भूमि स्वामी का नाम खसरा क्र. एवं रकवा :- श्री भास्कर मिश्रा खसरा नं. 1400 रकवा 0.2630 के अंश भाग 0.424 हे0 खसरा नं. 1404 रकवा 0.2660 हे0 भू स्वामी अकरम सिद्धिकी

उत्पाद एवं उत्पादन क्षमता :- स्टोन गिट्टी

लेटीटियूड एवं लांगीटियूड :- 24.3017 N , 81.1118 E

भूमि व्यपवर्तन :- परिवर्तित व्यावसायिक प्रकरण क्र. 1313010100009032000817 दिनांक 29.08.2019

भण्डारण की स्थिति :- खनिज नियमों के अन्तर्गत 165000.00 रू0 का अर्थदण्ड अवैध भण्डारण पर खनिज विभाग द्वारा प्रस्तावित है।

विद्युत सुविधा की स्थिति :- दिनांक 29.01.2020 को विद्युत विच्छेद किया गया तत्पश्चात मान0 कलेक्टर महोदय के पत्र क्र. 2020 दिनांक 18.02.2020 के तहत सिर्फ प्रकाश व्यवस्था हेतु दिनांक 13.03.2020 को विद्युत कनेक्सन जोड़ा गया।

उद्योग की स्थिति :- संचालन की स्थिति में है निरीक्षण के दौरान विद्युत प्रवाह से चालू हालत में पाया गया।

जल स्रोत :- बोरवेल


वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की जानकारी :- छन्ने को कव्हर किया गया है बाउन्ड्रीवाल का निर्माण नहीं किया गया है।

वृक्षारोपण :- निरंक

अभिमत :- माननीय एन.जी.टी. के प्रकरण क्र0 739/2018 के पारित आदेश के परिपालन में स्थल निरीक्षण के दौरान पाया गया कि पर्यावरणीय दृष्टिकोण से स्थल उपयुक्त नहीं है। इस कारण आवेदन दिनांक 03.10.2019 को निरस्त किया गया है। निरंतर वायु प्रदूषण की शिकायत प्राप्त होती है तथा क्षेत्र का वातावरण प्रभावित हो रहा है, जिससे CRPC की धारा 133 की कार्यवाही किया जाना अनुशंसित है।

  
उपयंत्री

  
क्षेत्रीय अधिकारी

  
खनिज अधिकारी  
(कले. महो. द्वारा आदेशानुसार  
निरीक्षण के उपर-एक)

**क्षेत्रीय कार्यालय****म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड**

एच. आई.जी.190-191 नेहरू नगर रीवा

(Tel &amp; Fax 07662-230605, e-mail-ropcb-rewa@mp.gov.in)

कमांक/ 1032/ क्षे.का./तक./ प्रनिबो/2020  
प्रति.

रीवा, दिनांक 8/8/20

अनुविभागीय दण्डाधिकारी (राजस्व)  
अनुभाग हुजूर  
जिला रीवा (म.प्र.)

विषय- माननीय एन.जी.टी. ओए नं० 34/2020 (सी.जेड.) में पारित आदेश के अंतर्गत अवैध इकाईयों पर नियंत्रण हेतु सी.आर.पी.सी. की धारा 133 अंतर्गत कार्यवाही बावत्।

संदर्भ- इस कार्यालय का पत्र कमांक 1002 दिनांक 04.08.2020.

कृपया संदर्भित विषयांतर्गत लेख है कि ग्राम पंचायत बैजनाथ क्षेत्रांतर्गत ग्राम बैजनाथ हिनौती में अवैध रूप से संचालित स्टोन केशर इकाईयों द्वारा प्रदूषण नियंत्रण एवं पर्यावरणीय नियमों की अवहेलना किया जा रहा है। तत् संबंध में स्टोन केशर संचालकों को पर्यावरणीय दृष्टिकोण से स्थल उपयुक्त न होने के कारण निरीक्षण के दौरान एवं नोटिस के द्वारा निर्देशित किया गया है, उक्त स्थान से विस्थापन की कार्यवाही कर के नियमानुसार सम्मति प्राप्त कर संचालन करें, किन्तु आज दिनांक संचालन बंद नहीं किया गया है। स्थानीय निवासियों द्वारा निरंतर प्रदूषण से जनसामान्य का होने वाली दुष्प्रभाव की शिकायतें आती रहती हैं।

अतः अनुरोध है, अनावेदक श्री. वार्डे एन. टेटा केशर ग्राम-बैजनाथ  
तहसील-हुजूर जिला-रीवा के विरुद्ध सी.आर.पी.सी. की धारा 133 के तहत कार्यवाही की जाये, चूंकि उक्त अनावेदक के द्वारा अवैध रूप से संचालित स्टोन केशर से आम जनता के दैनिक जीवन यापन में बाधा उत्पन्न हो रही है, अतः न्यायालय निवेदन है कि त्वरित रूप से अंतरिम तौर पर अनावेदक को उसके द्वारा केशर को अंतरिम रूप से बंद किये जाने का आदेश प्रसारित करने की दया की जाये, ताकि आम जनता को राहत मिल सके।

संलग्न- उपरोक्तानुसार। (इकाई-बार)

  
क्षेत्रीय अधिकारी  
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
रीवा (म.प्र.)

- निरीक्षण प्रतिवेदन :-

निरीक्षण दिनांक :- 22.07.2020

निरीक्षण कर्ता :- संयुक्त दल

इकाई का नाम एवं पता :- में0 वाई.एन. स्टोन क्रेशर ग्राम बैजनाथ तह. हुजूर जिला रीवा  
भूमि स्वामी का नाम खसरा क्र. एवं रकबा :- श्रीमती मुकांती देवी पति स्व.श्री राजेन्द्र प्रसाद  
खसरा नं. 1229/1 रकबा 0.2870 हे0 एवं 1231/2 रकबा 0.2120 हे0

उत्पाद एवं उत्पादन क्षमता :- स्टोन गिट्टी

लेटीटियूड एवं लांगीटियूड :- 24.3017 N , 81.1048 E

भूमि व्यवर्तन :- परिवर्तित व्यावसायिक प्रकरण क्र. 0521/अ-2/18-19 दिनांक 19.03.2019

भण्डारण की स्थिति :- खनिज नियमों के अन्तर्गत 210000.00 रु0 का अर्थदण्ड अवैध  
भण्डारण पर खनिज विभाग द्वारा प्रस्तावित है।

विद्युत सुविधा की स्थिति :- दिनांक 29.01.2020 को विद्युत विच्छेद किया गया तत्पश्चात्  
मान0 कलेक्टर महोदय के पत्र क्र. 2020 दिनांक 18.02.2020 के तहत सिर्फ प्रकाश व्यवस्था  
हेतु दिनांक 13.03.2020 को विद्युत कनेक्सन जोड़ा गया।

उद्योग की स्थिति :- निरीक्षण के दौरान प्लांट चालू हालत में पाया गया ट्रको में गिट्टी लोड  
हो रही थी।

जल स्रोत :- बोरवेल

वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की जानकारी :- छत्ने को कहर किया गया है उत्तर, पश्चिम  
एवं पूर्व दिशा में बाउन्ड्रीवाल का निर्माण किया गया है।

वृक्षारोपण :- निरंक

अभिमत :- माननीय एन.जी.टी. के प्रकरण क्र0 739/2018 के पारित आदेश के परिपालन में  
स्थल निरीक्षण के दौरान पाया गया कि पर्यावरणीय दृष्टिकोण से स्थल उपयुक्त नहीं है। इस  
कारण आवेदन दिनांक 31.10.2019 को निरस्त किया गया है। यह इकाई किराये की भूमि पर  
संचालित है। निरंतर वायु प्रदूषण की शिकायत प्राप्त होती है तथा क्षेत्र का वातावरण प्रभावित  
हो रहा है, जिससे CRPC की धारा 133 की कार्यवाही किया जाना अनुशंसित है।

  
उपयंत्री

  
क्षेत्रीय अधिकारी

  
खनिज अधिकारी  
(कृपया अपने कार्यालय में  
निरीक्षण हेतु आयात करें)



क्षेत्रीय कार्यालय  
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
एच. आई.जी.190-191 नेहरू नगर रीवा  
(Tel & Fax 07662-230605, e-mail-ropcb-rewa@mp.gov.in)

क्रमांक / 1037/क्षे.का./तक./ प्रनिबो/2020  
प्रति.


रीवा, दिनांक 8/8/20

अनुविभागीय दण्डाधिकारी (राजस्व)  
अनुभाग हुजूर  
जिला रीवा (म.प्र.)

विषय— माननीय एन.जी.टी. ओए नं० 34/2020 (सी.जेड.) में पारित आदेश के अंतर्गत अवैध इकाईयों पर नियंत्रण हेतु सी.आर.पी.सी. की धारा 133 अंतर्गत कार्यवाही बावत्।  
संदर्भ— इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 1002 दिनांक 04.08.2020.

कृपया संदर्भित विषयांतर्गत लेख है कि ग्राम पंचायत बैजनाथ क्षेत्रांतर्गत ग्राम बैजनाथ हिनौती में अवैध रूप से संचालित स्टोन केशर इकाईयों द्वारा प्रदूषण नियंत्रण एवं पर्यावरणीय नियमों की अवहेलना किया जा रहा है। तत् संबंध में स्टोन केशर संचालकों को पर्यावरणीय दृष्टिकोण से स्थल उपयुक्त न होने के कारण निरीक्षण के दौरान एवं नोटिस के द्वारा निर्देशित किया गया है, उक्त स्थान से विस्थापन की कार्यवाही कर के नियमानुसार सम्मति प्राप्त कर संचालन करें, किन्तु आज दिनांक संचालन बंद नहीं किया गया है। स्थानीय निवासियों द्वारा निरंतर प्रदूषण से जनसामान्य का होने वाली दुष्प्रभाव की शिकायत आती रहती है।

अतः अनुरोध है, अनावेदक मे० राम प्रेम स्टोन केशर गा० बैजनाथ  
तह० हुजूर जिला रीवा के विरुद्ध सी.आर.पी.सी. की धारा 133 के तहत कार्यवाही की जाये, चूंकि उक्त अनावेदक के द्वारा अवैध रूप से संचालित स्टोन केशर से आम जनता के दैनिक जीवन यापन में बाधा उत्पन्न हो रही है, अतः न्यायालय निवेदन है कि त्वरित रूप से अंतरिम तौर पर अनावेदक को उसके द्वारा केशर को अंतरिम रूप से बंद किये जाने का आदेश प्रसारित करने की दया की जाये, ताकि आम जनता को राहत मिल सके।  
संलग्न— उपरोक्तानुसार। (इकाई-बार)

  
क्षेत्रीय अधिकारी  
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
रीवा (म.प्र.)

निरीक्षण दिनांक :- 21.07.2020

निरीक्षण कर्ता :- संयुक्त दल

इकाई का नाम एवं पता :- में० राम प्रेम स्टोन क्रेशर ग्राम बैजनाथ तह. हुजूर जिला रीवा

भूमि स्वामी का नाम खसरा क्र. एवं रकबा :- श्री भास्कर मिश्रा खसरा नं. 1405 रकबा 0.267 हे०

उत्पाद एवं उत्पादन क्षमता :- स्टोन गिट्टी

लेटीटियूड एवं लांगीटियूड :- 24.3018 N ,81.1215 E , 320 मीटर

भूमि व्यपवर्तन :- परिवर्तित व्यावसायिक प्रकरण क्र. 0213/अ-2/19-20 दिनांक 11.06.2019

भण्डारण की स्थिति :- खनिज नियमों के अन्तर्गत 240000.00 रु० का अर्थदण्ड अवैध भण्डारण पर खनिज विभाग द्वारा प्रस्तावित है।

विद्युत सुविधा की स्थिति :- दिनांक 29.01.2020 को विद्युत विच्छेद किया गया तत्पश्चात मान० कलेक्टर महोदय के पत्र क्र. 2020 दिनांक 18.02.2020 के तहत सिर्फ प्रकाश व्यवस्था हेतु दिनांक 13.03.2020 को विद्युत कनेक्सन जोड़ा गया।

उद्योग की स्थिति :- संचालन की स्थिति में है निरीक्षण के दौरान बंद पाया गया।

जल स्रोत :- बोरवेल

वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की जानकारी :- छत्ने को कवर किया गया है बाउन्ड्रीवाल का निर्माण नहीं किया गया है।

वृक्षारोपण :- निरंक

अभिमत :- माननीय एन.जी.टी. के प्रकरण क्र० 739/2018 के पारित आदेश के परिपालन में स्थल निरीक्षण के दौरान पाया गया कि पर्यावरणीय दृष्टिकोण से स्थल उपयुक्त नहीं है। इस कारण आवेदन दिनांक 14.08.2019 को निरस्त किया गया है। किराये की भूमि पर स्थापित है। निरंतर वायु प्रदूषण की शिकायत प्राप्त होती है तथा क्षेत्र का वातावरण प्रभावित हो रहा है, जिससे CRPC की धारा 133 की कार्यवाही किया जाना अनुशंसित है।

  
उपयंत्री

  
क्षेत्रीय अधिकारी

  
खनिज अधिकारी  
(कलेक्टर, बैजनाथ तहसीला, रीवा)

**क्षेत्रीय कार्यालय****म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड**

एच. आई.जी. 190-191 नेहरू नगर रीवा

(Tel &amp; Fax 07662-230605, e-mail-ropcb-rewa@mp.gov.in)

कमांक/ 1034/ क्षे.का./तक./ प्रनिबो/2020  
प्रति,

रीवा, दिनांक... 8/8/20

अनुविभागीय दण्डाधिकारी (राजस्व)  
अनुभाग हुजूर  
जिला रीवा (म.प्र.)

विषय- माननीय एन.जी.टी. ओए नं० 34/2020 (सी.जेड.) में पारित आदेश के अंतर्गत अवैध इकाईयों पर नियंत्रण हेतु सी.आर.पी.सी. की धारा 133 अंतर्गत कार्यवाही बावत्।

संदर्भ- इस कार्यालय का पत्र कमांक 1002 दिनांक 04.08.2020.

कृपया संदर्भित विषयांतर्गत लेख है कि ग्राम पंचायत बैजनाथ क्षेत्रांतर्गत ग्राम बैजनाथ हिनौती में अवैध रूप से संचालित स्टोन केशर इकाईयों द्वारा प्रदूषण नियंत्रण एवं पर्यावरणीय नियमों की अवहेलना किया जा रहा है। तत् संबंध में स्टोन केशर संचालकों को पर्यावरणीय दृष्टिकोण से स्थल उपयुक्त न होने के कारण निरीक्षण के दौरान एवं नोटिस के द्वारा निर्देशित किया गया है, उक्त स्थान से विस्थापन की कार्यवाही कर के नियमानुसार सम्मति प्राप्त कर संचालन करें, किन्तु आज दिनांक संचालन बंद नहीं किया गया है। स्थानीय निवासियों द्वारा निरंतर प्रदूषण से जनसामान्य का होने वाली दुष्प्रभाव की शिकायतें आती रहती है।

अतः अनुरोध है, अनावेदक मै. कात्या स्टोन केशर ग्राम - बैजनाथ  
तह. - हुजूर जिला - रीवा के विरुद्ध सी.आर.पी.सी. की धारा 133 के तहत कार्यवाही की जाये, चूंकि उक्त अनावेदक के द्वारा अवैध रूप से संचालित स्टोन केशर से आम जनता के दैनिक जीवन यापन में बाधा उत्पन्न हो रही है, अतः न्यायालय निवेदन है कि त्वरित रूप से अंतरिम तौर पर अनावेदक को उसके द्वारा केशर को अंतरिम रूप से बंद किये जाने का आदेश प्रसारित करने की दया की जाये, ताकि आम जनता को राहत मिल सके।

संलग्न- उपरोक्तानुसार। (इकाई-बार)

  
क्षेत्रीय अधिकारी  
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
रीवा (म.प्र.)

निरीक्षण दिनांक :- 22.07.2020

निरीक्षण कर्ता :- संयुक्त दल

इकाई का नाम एवं पता :- में0 काव्या स्टोन केशर ग्राम बैजनाथ तह. हुजूर जिला रीवा

भूमि स्वामी का नाम खसरा क्र. एवं रकबा :- श्री राजाराम पिता श्री काशी प्रसाद खसरा नं. 1211/1 रकबा 0.732 हे0

उत्पाद एवं उत्पादन क्षमता :- स्टोन गिट्टी

लेटीटियूड एवं लांगीटियूड :- 24.3030 N , 81.1122 E

भूमि व्यपवर्तन :- परिवर्तित व्यावसायिक प्रकरण क्र. 0806/अ-2/18-19 दिनांक 16.04.2019

भण्डारण की स्थिति :- खनिज नियमों के अन्तर्गत 120000.00 रु0 का अर्धदण्ड अवैध भण्डारण पर खनिज विभाग द्वारा प्रस्तावित है।

विद्युत सुविधा की स्थिति :- दिनांक 29.01.2020 को विद्युत विच्छेद किया गया तत्पश्चात् मान0 कलेक्टर महोदय के पत्र क्र. 2020 दिनांक 18.02.2020 के तहत सिर्फ प्रकाश व्यवस्था हेतु दिनांक 13.03.2020 को विद्युत कनेक्शन जोड़ा गया।

उद्योग की स्थिति :- निरीक्षण के दौरान स्टोन केशर इकाई बंद पायी गयी

जल स्रोत :- बोरवेल


वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की जानकारी :- प्लांट के उत्तर एवं पूर्व दिशा में बाउन्ड्री बनायी गयी है।

वृक्षारोपण :- निरंक

अभिमत :- माननीय एन.जी.टी. के प्रकरण क्र0 739/2018 के पारित आदेश के परिपालन में स्थल निरीक्षण के दौरान पाया गया कि पर्यावरणीय दृष्टिकोण से स्थल उपयुक्त नहीं है। इस कारण आवेदन दिनांक 23.10.2019 को निरस्त किया गया है। निरंतर वायु प्रदूषण की शिकायत प्राप्त होती है तथा क्षेत्र का वातावरण प्रभावित हो रहा है, जिससे CRPC की धारा 133 की कार्यवाही किया जाना अनुशंसित है।

  
उपसत्री

  
क्षेत्रीय अधिकारी

  
खनिज अधिकारी  
(कलेक्टर के कार्यालय में)  
(निरीक्षण दिनांक 22/07/2020)



**क्षेत्रीय कार्यालय**  
**म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड**  
 एच. आई.जी.190-191 नेहरू नगर रीवा  
 (Tel & Fax 07662-230605, e-mail-ropcb-rewa@mp.gov.in)

क्रमांक/1035/क्षे.का./तक./प्रनिबो/2020  
 प्रति,

रीवा, दिनांक...8/8/20

अनुविभागीय दण्डाधिकारी (राजस्व)  
 अनुभाग हुजूर  
 जिला रीवा (म.प्र.)

- विषय-** माननीय एन.जी.टी. ओए नं० 34/2020 (सी.जेड.) में पारित आदेश के अंतर्गत अवैध इकाईयों पर नियंत्रण हेतु सी.आर.पी.सी. की धारा 133 अंतर्गत कार्यवाही बावत्।
- संदर्भ-** इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 1002 दिनांक 04.08.2020.

कृपया संदर्भित विषयांतर्गत लेख है कि ग्राम पंचायत बैजनाथ क्षेत्रांतर्गत ग्राम बैजनाथ हिनौती में अवैध रूप से संचालित स्टोन केशर इकाईयों द्वारा प्रदूषण नियंत्रण एवं पर्यावरणीय नियमों की अवहेलना किया जा रहा है। तत् संबंध में स्टोन केशर संचालकों को पर्यावरणीय दृष्टिकोण से स्थल उपयुक्त न होने के कारण निरीक्षण के दौरान एवं नोटिस के द्वारा निर्देशित किया गया है, उक्त स्थान से विस्थापन की कार्यवाही कर के नियमानुसार सम्मति प्राप्त कर संचालन करें, किन्तु आज दिनांक संचालन बंद नहीं किया गया है। स्थानीय निवासियों द्वारा निरंतर प्रदूषण से जनसामान्य का होने वाली दुष्प्रभाव की शिकायते आती रहती है।

अतः अनुरोध है, अनावेदक श्री० वृन्दावन स्टोन केशर, ग्राम बैजनाथ  
तहसील- हुजूर, जिला- रीवा के विरुद्ध सी.आर.पी.सी. की धारा 133 के तहत कार्यवाही की जाये, चूंकि उक्त अनावेदक के द्वारा अवैध रूप से संचालित स्टोन केशर से आम जनता के दैनिक जीवन यापन में बाधा उत्पन्न हो रही है, अतः न्यायालय निवेदन है कि त्वरित रूप से अंतरिम तौर पर अनावेदक को उसके द्वारा केशर को अंतरिम रूप से बंद किये जाने का आदेश प्रसारित करने की दया की जाये, ताकि आम जनता को राहत मिल सके।

संलग्न- उपरोक्तानुसार। (इकाई-बार)

क्षेत्रीय अधिकारी  
 म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
 रीवा (म.प्र.)

- निरीक्षण प्रतिवेदन :-

निरीक्षण दिनांक :- 22.07.2020

निरीक्षण कर्ता :- संयुक्त दल

इकाई का नाम एवं पता :- में0 वृन्दावन स्टोन क्रेशर ग्राम बैजनाथ तह. हजूर जिला शीवा

भूमि स्वामी का नाम खसरा क्र. एवं रकबा :- श्री राजेश.प्रसाद पिता श्री वाल्मीक खसरा नं. 1223 रकबा 0.364 हे0

उत्पाद एवं उत्पादन क्षमता :- स्टोन गिट्टी

लेटीटियूड एवं लांगीटियूड :- 24.3014N , 81.1041E

भूमि ब्यपवर्तन :- परिवर्तित ब्यावसायिक प्रकरण क्र. 0059/अ-2/19-20 दिनांक 14.04.2019

भण्डारण की स्थिति :- खनिज नियमों के अन्तर्गत 240000.00 रू0 का अर्थदण्ड अवैध भण्डारण पर खनिज विभाग द्वारा प्रस्तावित है।

विद्युत सुविधा की स्थिति :- दिनांक 29.01.2020 को विद्युत विच्छेद किया गया तत्पश्चात मान0 कलेक्टर महोदय के पत्र क्र. 2020 दिनांक 18.02.2020 के तहत सिर्फ प्रकाश व्यवस्था हेतु दिनांक 13.03.2020 को विद्युत कनेक्सन जोड़ा गया।

उद्योग की स्थिति :- निरीक्षण के दौरान उद्योग चालू हालत में पाया गया। निरीक्षण दल के समक्ष ही प्लांट को बंद किया गया एवं ट्रको मे गिट्टी लोड की जा रही थी

जल स्रोत :- बोरवेल

वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की जानकारी :- छन्ने को कव्हर किया गया है पूर्व एवं उत्तर दिशा में बाउन्ड्रीवाल का निर्माण किया गया है।

वृक्षारोपण :- निरंक

अभिमत :- माननीय एन.जी.टी. के प्रकरण क्र0 739/2018 के पारित आदेश के परिपालन में स्थल निरीक्षण के दौरान पाया गया कि पर्यावरणीय दृष्टिकोण से स्थल उपयुक्त नहीं है। इस कारण आवेदन दिनांक 09.03.2020 को निरस्त किया गया है। निरंतर वायु प्रदूषण की शिकायत प्राप्त होती है तथा क्षेत्र का वातावरण प्रभावित हो रहा है, जिससे CRPC की धारा 133 की कार्यवाही किया जाना अनुशंसित है।

  
उपयंत्री  
म. प्र. नि. को.  
शीवा

  
क्षेत्रीय अधिकारी

  
खनिज अधिकारी  
(कलेक्टर के नज़र में)  
- निरीक्षण के उपरान्त



**क्षेत्रीय कार्यालय**  
**म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड**  
**एच. आई.जी. 190-191 नेहरू नगर रीवा**  
(Tel & Fax 07662-230605, e-mail-ropcb-rewa@mp.gov.in)

कमांक / 1036 / क्षे.का. / तक. / प्रनिबो / 2020  
प्रति,


रीवा, दिनांक 8/8/20

अनुविभागीय दण्डाधिकारी (राजस्व)  
अनुभाग हुजूर  
जिला रीवा (म.प्र.)

**विषय-** माननीय एन.जी.टी. ओए नं० 34/2020 (सी.जेड.) में पारित आदेश के अंतर्गत अवैध इकाईयों पर नियंत्रण हेतु सी.आर.पी.सी. की धारा 133 अंतर्गत कार्यवाही बावत्।  
**संदर्भ-** इस कार्यालय का पत्र कमांक 1002 दिनांक 04.08.2020.

कृपया संदर्भित विषयांतर्गत लेख है कि ग्राम पंचायत बैजनाथ क्षेत्रांतर्गत ग्राम बैजनाथ हिनाती में अवैध रूप से संचालित स्टोन केशर इकाईयों द्वारा प्रदूषण नियंत्रण एवं पर्यावरणीय नियमों की अवहेलना किया जा रहा है। तत् संबंध में स्टोन केशर संचालकों को पर्यावरणीय दृष्टिकोण से स्थल उपयुक्त न होने के कारण निरीक्षण के दौरान एवं नोटिस के द्वारा निर्देशित किया गया है, उक्त स्थान से विस्थापन की कार्यवाही कर के नियमानुसार सम्मति प्राप्त कर संचालन करें, किन्तु आज दिनांक संचालन बंद नहीं किया गया है। स्थानीय निवासियों द्वारा निरंतर प्रदूषण से जनसामान्य क्रा होने वाली दुष्प्रभाव की शिकायतें आती रहती है।

अतः अनुरोध है, अनावेदक श्री. वसुदेव श्योन केशर ग्राम-बैजनाथ  
तहसील-हुजूर, जिला-रीवा के विरुद्ध सी.आर.पी.सी. की धारा 133 के तहत कार्यवाही की जाये, चूंकि उक्त अनावेदक के द्वारा अवैध रूप से संचालित स्टोन केशर से आम जनता के दैनिक जीवन यापन में बाधा उत्पन्न हो रही है, अतः न्यायालय निवेदन है कि त्वरित रूप से अंतरिम तौर पर अनावेदक को उसके द्वारा केशर को अंतरिम रूप से बंद किये जाने का आदेश प्रसारित करने की दया की जाये, ताकि आम जनता को राहत मिल सके।  
संलग्न- उपरोक्तानुसार। (इकाई-बार)

  
क्षेत्रीय अधिकारी  
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
रीवा (म.प्र.)

-: निरीक्षण प्रतिवेदन :-

निरीक्षण दिनांक :- 22.07.2020

निरीक्षण कर्ता :- संयुक्त दल

इकाई का नाम एवं पता :- में0 सम्राट स्टोन क्रेशर ग्राम बैजनाथ तह. हुजूर जिला शीवा  
भूमि स्वामी का नाम खसरा क्र. एवं रकवा :- श्री हीरालाल पिता श्री राम प्रताप खसरा नं.  
46811 रकवा 0.867 हे0

उत्पाद एवं उत्पादन क्षमता :- स्टोन क्रेशर

लेटीटियूड एवं लांगीटियूड :- 24.3018 N , 81.1029 E

भूमि व्यपवर्तन :- परिवर्तित व्यावसायिक प्रकरण क्र0 6671/59/अ-2/2018-19 दिनांक  
13.01.2018

भण्डारण की स्थिति :- अनुज्ञप्ति निरस्त

विद्युत सुविधा की स्थिति :- दिनांक 29.01.2020 को विद्युत विच्छेद किया गया तत्पश्चात  
मान0 कलेक्टर महोदय के पत्र क्र. 2020 दिनांक 18.02.2020 के तहत सिर्फ प्रकाश व्यवस्था  
हेतु दिनांक 13.03.2020 को विद्युत कनेक्शन जोड़ा गया।

उद्योग की स्थिति :- निरीक्षण के दौरान स्टोन क्रेशर इकाई संचालित पाई गयी गिट्टी ट्रको  
में लोड की जा रही थी।

जल स्रोत :- बोरवेल

वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की जानकारी :- स्टोन क्रेशर इकाई के उत्तर दिशा में  
बाउन्ड्रीवाल का निर्माण किया है, निरीक्षण के पूर्व संचालित एवं ट्रको में गिट्टी लोड करने  
हेतु खडे पाये गये।

वृक्षारोपण :- निरंक

अभिमत :- माननीय एन.जी.टी. के प्रकरण क्र0 739/2018 के पारित आदेश के परिपालन में  
स्थल निरीक्षण के दौरान पाया गया कि पर्यावरणीय दृष्टिकोण से स्थल उपयुक्त नहीं है। इस  
कारण आवेदन निरस्त किया गया है। किराये की भूमि पर संचालित है। निरंतर वायु प्रदूषण  
की शिकायत प्राप्त होती है तथा क्षेत्र का वातावरण प्रभावित हो रहा है, जिससे CRPC की  
धारा 133 की कार्यवाही किया जाना अनुशंसित है।

  
उपयंत्री  
म. उ. प्र. वि. को. 5

  
क्षेत्रीय अधिकारी  
म. उ. प्र. वि. को. 5  
शीवा

  
खनिज अधिकारी  
(क. उ. प्र. वि. को. 5, शीवा)  
निरीक्षण के कर्ता



क्षेत्रीय कार्यालय  
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
एच. आई.जी.190-191 नेहरू नगर रीवा  
(Tel & Fax 07662-230605, e-mail-ropcb-rewa@mp.gov.in)

कमांक/1037/क्षे.का./तक./प्रनिबो/2020  
प्रति,

रीवा, दिनांक 08/08/20


अनुविभागीय दण्डाधिकारी (राजस्व)  
अनुभाग हुजूर  
जिला रीवा (म.प्र.)

विषय- माननीय एन.जी.टी. ओए नं० 34/2020 (सी.जेड.) में पारित आदेश के अंतर्गत अवैध इकाईयों पर नियंत्रण हेतु सी.आर.पी.सी. की धारा 133 अंतर्गत कार्यवाही बावत्।

संदर्भ- इस कार्यालय का पत्र कमांक 1002 दिनांक 04.08.2020.

कृपया संदर्भित विषयांतर्गत लेख है कि ग्राम पंचायत बैजनाथ क्षेत्रांतर्गत ग्राम बैजनाथ हिनौती में अवैध रूप से संचालित स्टोन केशर इकाईयों द्वारा प्रदूषण नियंत्रण एवं पर्यावरणीय नियमों की अवहेलना किया जा रहा है। तत् संबंध में स्टोन केशर संचालकों को पर्यावरणीय दृष्टिकोण से स्थल उपयुक्त न होने के कारण निरीक्षण के दौरान एवं नोटिस के द्वारा निर्देशित किया गया है, उक्त स्थान से विस्थापन की कार्यवाही कर के नियमानुसार सम्मति प्राप्त कर संचालन करें, किन्तु आज दिनांक संचालन बंद नहीं किया गया है। स्थानीय निवासियों द्वारा निरंतर प्रदूषण से जनसमान्य का होने वाली दुष्प्रभाव की शिकायत आती रहती है।

अतः अनुरोध है, अनावेदक मे. सिद्धार्थ शुक्ला स्टोन केशर  
ग्राम-बैजनाथ, तह. हुजूर, जिला रीवा के विरुद्ध सी.आर.पी.सी. की धारा 133 के तहत कार्यवाही की जाये, चूंकि उक्त अनावेदक के द्वारा अवैध रूप से संचालित स्टोन केशर से आम जनता के दैनिक जीवन यापन में बाधा उत्पन्न हो रही है, अतः न्यायालय निवेदन है कि त्वरित रूप से अंतरिम तौर पर अनावेदक को उसके द्वारा केशर को अंतरिम रूप से बंद किये जाने का आदेश प्रसारित करने की दया की जाये, ताकि आम जनता को राहत मिल सके।  
संलग्न- उपरोक्तानुसार। (इकाई-बार)

  
क्षेत्रीय अधिकारी  
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
रीवा (म.प्र.)

निरीक्षण दिनांक :- 22.07.2020

निरीक्षण कर्ता :- संयुक्त दल

इकाई का नाम एवं पता :- में० सिद्धार्थ शुक्ला स्टोन क्रेशर ग्राम बैजनाथ तह. हुजूर जिला  
रीवा

भूमि स्वामी का नाम खसरा क्र. एवं रकबा :- श्री अमित कुमार पिता सत्यनारायण खसरा नं.  
137/2

उत्पाद एवं उत्पादन क्षमता :- स्टोन गिट्टी

लेटीटियूड एवं लांगीटियूड :- 24.309 N , 81.941 E

भूमि व्यपवर्तन :- परिवर्तन व्यावसायिक प्रकरण क्र. 13130101000090340002732 दिनांक 04.08.  
2019

भण्डारण की स्थिति :- खनिज नियमों के अन्तर्गत 45000.00 रु० का अर्थदण्ड अवैध भण्डारण  
पर खनिज विभाग द्वारा प्रस्तावित है।

विद्युत सुविधा की स्थिति :-

उद्योग की स्थिति :- निरीक्षण के दौरान पाया गया कि उद्योग द्वारा डग का निर्माण किया  
गया है प्लांट का निर्माण कार्य बंद है।

जल स्रोत :- बोरवेल


वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की जानकारी :- स्टोन क्रेशर तालाब के पास संचालित किया  
गया था 200 के.वही.ए. का जनरेटर लगा है वर्तमान में स्टोन क्रेशर बंद है।

वृक्षारोपण :- निरंक

अभिमत :- माननीय एन.जी.टी. के प्रकरण क्र० 739/2018 के पारित आदेश के परिपालन में  
स्थल निरीक्षण के दौरान पाया गया कि पर्यावरणीय दृष्टिकोण से स्थल उपयुक्त नहीं है। इस  
कारण आवेदन दिनांक 16.01.2020 को निरस्त किया गया है। यह इकाई प्राचीन हनुमान मंदिर  
व तालाब से लगभग 50 मी. की दूरी पर स्थापित/संचालित है। निरंतर वायु प्रदूषण की  
शिकायत प्राप्त होती है तथा क्षेत्र का वातावरण प्रभावित हो रहा है, जिससे CRPC की धारा  
133 की कार्यवाही किया जाना अनुशंसित है।

  
उपयंत्री

  
क्षेत्रीय अधिकारी

  
खनिज अधिकारी  
(काले जले में वायु प्रदूषण से  
रिक्ती शरण में जल है यत्र)



**क्षेत्रीय कार्यालय**  
**म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड**  
**एच. आई.जी.190-191 नेहरू नगर रीवा**  
**(Tel & Fax 07662-230605, e-mail-ropcb-rewa@mp.gov.in)**

कमांक / 1038 / क्षे.का. / तक. / प्रनिबो / 2020  
प्रति,

रीवा, दिनांक..8/8/20

अनुविभागीय दण्डाधिकारी (राजस्व)  
अनुभाग हुजूर  
जिला रीवा (म.प्र.)

**विषय—** माननीय एन.जी.टी. ओए नं० 34/2020 (सी.जेड.) में पारित आदेश के अंतर्गत अवैध इकाईयों पर नियंत्रण हेतु सी.आर.पी.सी. की धारा 133 अंतर्गत कार्यवाही बावत्।

**संदर्भ—** इस कार्यालय का पत्र कमांक 1002 दिनांक 04.08.2020.

कृपया संदर्भित विषयांतर्गत लेख है कि ग्राम पंचायत बैजनाथ क्षेत्रांतर्गत ग्राम बैजनाथ हिनौती में अवैध रूप से संचालित स्टोन केशर इकाईयों द्वारा प्रदूषण नियंत्रण एवं पर्यावरणीय नियमों की अवहेलना किया जा रहा है। तत् संबंध में स्टोन केशर संचालकों को पर्यावरणीय दृष्टिकोण से स्थल उपयुक्त न होने के कारण निरीक्षण के दौरान एवं नोटिस के द्वारा निर्देशित किया गया है, उक्त स्थान से विस्थापन की कार्यवाही कर के नियमानुसार सम्मति प्राप्त कर संचालन करें, किन्तु आज दिनांक संचालन बंद नहीं किया गया है। स्थानीय निवासियों द्वारा निरंतर प्रदूषण से जनसामान्य का होने वाली दुष्प्रभाव की शिकायते आती रहती है।

अतः अनुरोध है, अनावेदक श्री. पवन पाठक स्टोन केशर ग्राम-हिनौती  
तह. - हुजूर जिला-रीवा के विरुद्ध सी.आर.पी.सी. की धारा 133 के तहत कार्यवाही की जाये, चूंकि उक्त अनावेदक के द्वारा अवैध रूप से संचालित स्टोन केशर से आम जनता के दैनिक जीवन यापन में बाधा उत्पन्न हो रही है, अतः न्यायालय निवेदन है कि त्वरित रूप से अंतरिम तौर पर अनावेदक को उसके द्वारा केशर को अंतरिम रूप से बंद किये जाने का आदेश प्रसारित करने की दया की जाये, ताकि आम जनता को राहत मिल सके।

संलग्न— उपरोक्तानुसार। (इकाई—बार)

  
क्षेत्रीय अधिकारी  
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
रीवा (म.प्र.)

निरीक्षण दिनांक :- 22.07.2020

निरीक्षण कर्ता :- संयुक्त टीम

इकाई का नाम एवं पता :- में0 पवन पाठक स्टोन क्रेशर ग्राम हिनौती तह. हुजूर जिला रीवा

उत्पाद एवं उत्पादन क्षमता :- स्टोन गिट्टी

लेटीटियूड एवं लांगीटियूड :- 24.3015N , 81.1014E

भूमि व्यवर्तन :- परिवर्तित

भण्डारण की स्थिति :- खनिज नियमों के अन्तर्गत 235500.00 रु0 का अर्थदण्ड अवैध भण्डारण पर खनिज विभाग द्वारा प्रस्तावित है।

उद्योग की स्थिति :- निरीक्षण के दौरान पाया गया कि प्लांट चालू हालात में पाया गया एवं ट्रको में गिट्टी लोड की जा रही थी। निरीक्षण दल के पहुंचने के पूर्व प्लांट को बंद कर दिया गया था।

जल स्रोत :- बोरवेल

वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की जानकारी :- रोड की दिशा पश्चिम में बाउन्ड्रीवाल एवं उत्तर दिशा में भी बाउन्ड्रीवाल का निर्माण किया जा रहा है। छन्ने को कवर किया गया है, उत्पादन संबंधी मटेरियल परिसर में ट्रको में लोड होते पाया गया, निरीक्षण के दौरान प्लान्ट बंद था।

अभिमत :- माननीय एन.जी.टी. के प्रकरण क्र0 739/2018 के पारित आदेश के परिपालन में स्थल निरीक्षण के दौरान पाया गया कि पर्यावरणीय दृष्टिकोण से स्थल उपयुक्त नहीं है। इस कारण आवेदन गिरस्त किया गया है। निरंतर वायु प्रदूषण की शिकायत प्राप्त होती है तथा क्षेत्र का वातावरण प्रभावित हो रहा है, जिससे CRPC की धारा 133 की कार्यवाही किया जाना अनुशंसित है।

  
उपयंत्री  
म. प. सिंह को

  
क्षेत्रीय अधिकारी

  
खनिज अधिकारी  
(कलेक्टर, खनिज विभाग)  
- निरीक्षण सं. 34/2020



क्षेत्रीय कार्यालय  
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
एच. आई.जी.190-191 नेहरू नगर रीवा  
(Tel & Fax 07662-230605, e-mail-ropcb-rewa@mp.gov.in)

क्रमांक/ 1039 / क्षे.का./तक./ प्रनिबो/2020  
प्रति,

रीवा, दिनांक 2/8/20


अनुविभागीय दण्डाधिकारी (राजस्व)  
अनुभाग हुजूर  
जिला रीवा (म.प्र.)

विषय- माननीय एन.जी.टी. ओए नं० 34/2020 (सी.जेड.) में पारित आदेश के अंतर्गत अवैध इकाईयों पर नियंत्रण हेतु सी.आर.पी.सी. की धारा 133 अंतर्गत कार्यवाही बावत्।

संदर्भ- इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 1002 दिनांक 04.08.2020.

कृपया संदर्भित विषयांतर्गत लेख है कि ग्राम पंचायत बैजनाथ क्षेत्रांतर्गत ग्राम बैजनाथ हिनौती में अवैध रूप से संचालित स्टोन केशर इकाईयों द्वारा प्रदूषण नियंत्रण एवं पर्यावरणीय नियमों की अवहेलना किया जा रहा है। तत् संबंध में स्टोन केशर संचालकों को पर्यावरणीय दृष्टिकोण से स्थल उपयुक्त न होने के कारण निरीक्षण के दौरान एवं नोटिस के द्वारा निर्देशित किया गया है, उक्त स्थान से विस्थापन की कार्यवाही कर के नियमानुसार सम्मति प्राप्त कर संचालन करें, किन्तु आज दिनांक संचालन बंद नहीं किया गया है। स्थानीय निवासियों द्वारा निरंतर प्रदूषण से जनसामान्य का होने वाली दुष्प्रभाव की शिकायतें आती रहती है।

अतः अनुरोध है, अनावेदक गो.शामा स्थो.शेररा स्थो.करवा  
ग्राम हिनौती रू.प.हुजूर रीवा के विरुद्ध सी.आर.पी.सी. की धारा 133 के तहत कार्यवाही की जाये, चूंकि उक्त अनावेदक के द्वारा अवैध रूप से संचालित स्टोन केशर से आम जनता के दैनिक जीवन यापन में बाधा उत्पन्न हो रही है, अतः न्यायालय निवेदन है कि त्वरित रूप से अंतरिम तौर पर अनावेदक को उसके द्वारा केशर को अंतरिम रूप से बंद किये जाने का आदेश प्रसारित करने की दया की जाये, ताकि आम जनता को राहत मिल सके।  
संलग्न- उपरोक्तानुसार। (इकाई-बार)

  
क्षेत्रीय अधिकारी  
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
रीवा (म.प्र.)

निरीक्षण दिनांक :- 21.07.2020

निरीक्षण कर्ता :- संयुक्त टीम

इकाई का नाम एवं पता :- में0 रामा एसोसियेटेड स्टोन क्रेशर ग्राम हिनौती तह. हुजूर जिला  
रीवा

उत्पाद एवं उत्पादन क्षमता :- स्टोन गिट्टी

लेटीटियूड एवं लांगीटियूड :- 24.306 N , 81.950E

भण्डारण की स्थिति :- खनिज नियमों के अन्तर्गत 47000.00 रू0 का अर्धदण्ड अवैध भण्डारण पर खनिज विभाग द्वारा प्रस्तावित है।

उद्योग की स्थिति :- निरीक्षण के दौरान पाया गया कि प्लांट के दक्षिण, पूर्व एवं उत्तर दिशा में कृषि भूमि है प्लांट निर्माणाधीन है, प्लांट द्वारा प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित नहीं की गई है। पवन पाठक स्टोन क्रेशर से लगभग 100 मीटर पूर्व दिशा में स्थित है।

जल स्रोत :- बोरवेल

वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की जानकारी :- प्लांट द्वारा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित नहीं की गई है।

वृक्षारोपण :- निरंक

अभिमत :- माननीय एन.जी.टी. के प्रकरण क्र0 739/2018 के पारित आदेश के परिपालन में स्थल निरीक्षण के दौरान पाया गया कि पर्यावरणीय दृष्टिकोण से स्थल उपयुक्त नहीं है। इस कारण आवेदन निरस्त किया गया है। निरंतर वायु प्रदूषण की शिकायत प्राप्त होती है तथा क्षेत्र का वातावरण प्रभावित हो रहा है, जिससे CRPC की धारा 133 की कार्यवाही किया जाना अनुशंसित है।

  
उपयंत्री

  
क्षेत्रीय अधिकारी

  
खनिज अधिकारी  
(कृपया इसे द्वारा कृपया सुनाएं  
- निरीक्षण में उपस्थित -)



क्षेत्रीय कार्यालय  
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
एच. आई.जी.190-191 नेहरू नगर रीवा  
(Tel & Fax 07662-230605, e-mail-ropcb-rewa@mp.gov.in)

क्रमांक / 1040 / क्षे.का. / तक. / प्रनिबो / 2020  
प्रति,

रीवा, दिनांक 8/8/20

अनुविभागीय दण्डाधिकारी (राजस्व)  
अनुभाग हुजूर  
जिला रीवा (म.प्र.)

विषय- माननीय एन.जी.टी. ओए नं० 34/2020 (सी.जेड.) में पारित आदेश के अंतर्गत अवैध इकाईयों पर नियंत्रण हेतु सी.आर.पी.सी. की धारा 133 अंतर्गत कार्यवाही बावत्।

संदर्भ- इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 1002 दिनांक 04.08.2020.

कृपया संदर्भित विषयांतर्गत लेख है कि ग्राम पंचायत बैजनाथ क्षेत्रांतर्गत ग्राम बैजनाथ हिनौती में अवैध रूप से संचालित स्टोन केशर इकाईयों द्वारा प्रदूषण नियंत्रण एवं पर्यावरणीय नियमों की अवहेलना किया जा रहा है। तत् संबंध में स्टोन केशर संचालकों को पर्यावरणीय दृष्टिकोण से स्थल उपयुक्त न होने के कारण निरीक्षण के दौरान एवं नोटिस के द्वारा निर्देशित किया गया है, उक्त स्थान से विस्थापन की कार्यवाही कर के नियमानुसार सम्मति प्राप्त कर संचालन करें, किन्तु आज दिनांक संचालन बंद नहीं किया गया है। स्थानीय निवासियों द्वारा निरंतर प्रदूषण से जनसामान्य का होने वाली दुष्प्रभाव की शिकायते आती रहती है।

अतः अनुरोध है, अनावेदक मे.शिल्पी स्टोन केशर द्वारा शिल्पी रोड  
तह. हुजूर जिला रीवा के विरुद्ध सी.आर.पी.सी. की धारा 133 के तहत कार्यवाही की जाये, चूंकि उक्त अनावेदक के द्वारा अवैध रूप से संचालित स्टोन केशर से आम जनता के दैनिक जीवन यापन में बाधा उत्पन्न हो रही है, अतः न्यायालय निवेदन है कि त्वरित रूप से अंतरिम तौर पर अनावेदक को उसके द्वारा केशर को अंतरिम रूप से बंद किये जाने का आदेश प्रसारित करने की दया की जाये, ताकि आम जनता को राहत मिल सके।

संलग्न- उपरोक्तानुसार। (इकाई-बार)

  
क्षेत्रीय अधिकारी  
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
रीवा (म.प्र.)

- निरीक्षण प्रतिवेदन :-

निरीक्षण दिनांक :- 22.07.2020

निरीक्षण कर्ता :- संयुक्त टीम

इकाई का नाम एवं पता :- में0 शिल्पी स्टोन क्रेशर ग्राम खम्हरिया तह. हुजूर जिला रीवा

उत्पाद एवं उत्पादन क्षमता :- स्टोन गिट्टी

भूमि व्यपवर्तन :- परिवर्तित

भण्डारण की स्थिति :- अनुज्ञप्ति निरस्त

विद्युत सुविधा की स्थिति :- दिनांक 29.01.2020 को विद्युत विच्छेद किया गया तत्पश्चात मान0 कलेक्टर महोदय के पत्र क्र. 2020 दिनांक 18.02.2020 के तहत सिर्फ प्रकाश व्यवस्था हेतु दिनांक 13.03.2020 को विद्युत कनेक्सन जोड़ा गया।

उद्योग की स्थिति :- में0 अल्ट्राटेक माइनिंग लीज के एरिया में संचालित है एवं निरीक्षण के दौरान बंद पाया गया।

जल स्रोत :- बोरवेल

वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की जानकारी :- छत्ते को कव्हर किया गया है पश्चिम दिशा में बाउन्ड्रीवाल का निर्माण किया गया है।

वृक्षारोपण :- निरंक

अभिमत :- में0 अल्ट्राटेक माइनिंग लीज के एरिया में संचालित है । निरंतर वायु प्रदूषण की शिकायत प्राप्त होती है तथा क्षेत्र का वातावरण प्रभावित हो रहा है, जिससे CRPC की धारा 133 की कार्यवाही किया जाना अनुशांसित है।

  
उपयंत्री  
म. उ. उ. नि. को.

  
क्षेत्रीय अधिकारी  
म. उ. उ. नि. को.  
रीवा

  
खनिज अधिकारी :-  
(कलेक्टर महोदय के पत्र क्र. 2020 दिनांक 18.02.2020 के तहत सिर्फ प्रकाश व्यवस्था हेतु दिनांक 13.03.2020 को विद्युत कनेक्सन जोड़ा गया।)



## क्षेत्रीय कार्यालय

म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

एच.आई.जी.190-191 नेहरू नगर रीवा (म.प्र.)

Tel / Fax : (07662) 230605 E-mail : rorewa\_pcb@rediffmail.com

97

क्रमांक /  
प्रति,

1623 / क्षे.का. / प्रनिबो / 2019

रीवा, दिनांक 11/09/19

महाप्रबंधक

जिला उद्योग एवं व्यापार केन्द्र रीवा (म.प्र.)

**विषय :-** जिले में बोर्ड की बगैर जल/वायु सम्मति प्राप्त किए बगैर स्थापित हो रहे स्टोन क्रेशरों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही किए जाने के संबंध में।

**संदर्भ :-**

1. मान० कलेक्टर महोदय जिला रीवा का पत्र क्र. 4267 दिनांक 14.06.2019
2. क्षेत्र का समय-समय पर किए गए निरीक्षण
3. दिनांक 03.09.2019 को सम्पन्न टास्क फोर्स की बैठक में दिए गए निर्देश।

कृपया संदर्भित विषयान्तर्गत लेख है कि निरीक्षण के दौरान एवं मान० कलेक्टर महोदय रीवा के पत्र के आधार पर पाया गया कि जिले में विभिन्न जगहों में बोर्ड की जल/वायु सम्मति प्राप्त किए बगैर जल एवं वायु प्रदूषणकारी इकाईयाँ अवैध रूप से विस्थापित होकर पर्यावरण एवं आम जन मानस में प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है। उक्त इकाईयाँ द्वारा उद्योग आधार का पंजीयन के आधार पर अन्य विभागों में आवेदन कर व्यापारिक गतिविधियाँ प्रारंभ कर ली जाती है ऐसी इकाईयाँ के द्वारा शासन को राजस्व एवं पर्यावरणीय प्रभावों में नुकसान पहुँचाया जा रहा है जिस पर गतिरोध लगाया जाना अत्यंत आवश्यक है।

अतः आपसे अनुरोध है कि ऐसी इकाईयाँ के अवैध रूप से स्थापित/संचालन करने में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कर की गई कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत कराने का कष्ट करें जिससे पर्यावरणीय एवं आम जन मानस में विपरीत असर न हो।

पृ.क्रमांक /  
प्रतिलिपि,

1624 / क्षे.का / तक. / प्रनिबो / 2019

(डॉ. आर.एस. परिहार)

क्षेत्रीय अधिकारी

रीवा, दिनांक 11/09/19

1. कलेक्टर महोदय जिला रीवा की ओर कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रीवा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. सदस्य सचिव महोदय म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर कृपया सूचनार्थ प्रेषित।

(डॉ. आर.एस. परिहार)

क्षेत्रीय अधिकारी

म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

रीवा (म.प्र.)



## क्षेत्रीय कार्यालय

म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

एच.आई.जी.190-191 नेहरू नगर रीवा (म.प्र.)

Tel / Fax : (07662) 230605 E-mail : rorewa\_pcb@rediffmail.com

कमांक / 2041 / क्षे.का. / प्रनिबो / 2019  
प्रति,

रीवा, दिनांक 05/12/19

श्री भास्कर प्रसाद मिश्रा  
पिता श्री समयलाल मिश्रा  
ग्राम वैजनाथ पोस्ट भोलगढ़ तह0 हुजूर  
जिला रीवा (म.प्र.)

**विषय :-** आवासीय परिक्षेत्र में अपनी निजी भूमि को अवैध रूप से व्यापारिक/औद्योगिक इकाई स्थापित करने हेतु किराए में देकर जल/वायु प्रदूषण एवं पर्यावरणीय नियमों का अल्लंघन करने के संबंध में।

**संदर्भ :-**

1. बोर्ड कार्यालय द्वारा दिनांक 02.08.2019 एवं 13.08.2019 को किया स्थल निरीक्षण।
2. इस कार्यालय का पत्र क्र. 1454 दिनांक 22.08.2019
3. कलेक्टर रीवा द्वारा गठित समिति का निरीक्षण दिनांक 25 एवं 26.11.2019

कृपया संदर्भित विषयान्तर्गत लेख है कि निरीक्षण के दौरान पाया गया कि आपके द्वारा निजी भूमि (कृषि कार्य भूमि) का डायवर्सन व्यापारिक कराकर उक्त भूमि को कई स्टोन क्रेशर इकाईयों की स्थापना के लिए किराए में दे दी गई है, जो कि आबादी से अत्यधिक नजदीक है। आपके द्वारा किए गए किराए नामा के आधार पर कई स्टोन क्रेशर इकाईयों उक्त भूमि पर अवैध रूप से स्थापित एवं संचालित है, जो कि बोर्ड द्वारा जल/वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियमों के तहत आवश्यक सम्मति प्राप्त किए बगैर स्थापित होकर उक्त नियम एवं पर्यावरणीय संरक्षण अधिनियमों का खुला उल्लंघन कर रहे है, जिससे आपकी प्रमुख सहभागिता प्रदर्शित है। कृपया स्मरण हो कि पर्यावरण संरक्षण करने का उत्तरदायित्व संवैधानिक व्यवस्था अन्तर्गत प्रत्येक नागरिक का है, उक्त का उल्लंघन करना एवं उल्लंघन कराने में सहयोग देना, दोनो की सहभागिता मानकर समान दोषी मानते हुए कार्यवाही का प्रावधान है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि ऐसी इकाईयों को पर्यावरण संरक्षण हित में बोर्ड के नियमों तथा मान0 एन.जी.टी. द्वारा प्रकरण क्र. OA 739/2018 में पारित आदेश का पूर्णतः पालन कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराए, परन्तु आपके द्वारा कोई सार्थक कार्यवाही व प्रतिउत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। आपकी मौन स्वीकृत मानते हुए नियमों एवं वर्णित प्रावधानों के अनुसार आपके विरुद्ध न्यायालयीन कार्यवाही की जावेगी जिसकी सम्पूर्ण जवाबदेही आपकी स्वयं की होगी। कृपया सूचित हो एवं 07 दिवस के अंदर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

पृ.क्र./2042 / क्षे.का. / प्रनिबो / 2019  
प्रतिलिपि:-

1. कलेक्टर महादेय, जिला रीवा की ओर कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रीवा की ओर सूचनार्थ।
3. एस.डी.एम. हूजूर जिला रीवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. खनिज अधिकारी जिला रीवा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. अधीक्षण यंत्री म.प्र.पू.क्षे. विद्युत वितरण कम्पनी रीवा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
6. विधि अधिकारी म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(डॉ. आर.एस. परिहार)  
क्षेत्रीय अधिकारी  
रीवा, दिनांक 05/12/19

(डॉ. आर.एस. परिहार)  
क्षेत्रीय अधिकारी  
म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
रीवा (म.प्र.)



क्षेत्रीय कार्यालय  
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
एच. आई.जी.190-191 नेहरू नगर रीवा  
(Tel & Fax 07662-230605, e-mail-ropcb-rewa@mp.gov.in)

क्रमांक / 113 / क्षे.का./तक./ प्रनिबो/2020  
प्रति,

रीवा, दिनांक...22/11/2020

अधीक्षण यंत्री  
म.प्र.पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी रीवा  
जिला रीवा (म.प्र.)

विषय:- अवैध रूप से संचालित स्टोन केशरो को बिना म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सम्मति प्राप्त किये ही विद्युत कनेक्सन प्रदाय किये जाने के संबंध में।  
संदर्भ- इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 1807 दिनांक 18.10.2019

उपरोक्त बिषयांतर्गत एवं संदर्भित पत्र के परिपेक्ष्य में लेख है कि संचालिको द्वारा कलेक्टर महोदय रीवा को पत्र क्रमांक 2038 दिनांक 27.11.2019 के माध्यम से जानकारी दी गयी है कि स्टोन केशर संचालको द्वारा विद्युत कनेक्सन हेतु रु. 5 लाख से 6 लाख जमा करके विद्युत कनेक्शन लेकर स्टोन केशर संचालित किये जा रहे है, जो कि निम्नलिखित है :-

1. में.शरदा स्टोन केशर (प्रो.श्री प्रभात सिंह) ग्राम बैजनाथ तह हुजूर जिला रीवा (म.प्र.)
2. में.कसर स्टोन केशर (प्रो.श्री अमित सिंह सादव) ग्राम बैजनाथ तह हुजूर जिला रीवा (म.प्र.)
3. में रामप्रेम स्टोन केशर(प्रो.श्री अनुज पाण्डेय) ग्राम बैजनाथ तह हुजूर जिला रीवा (म.प्र.)
4. में.काव्या स्टोन केशर(प्रो.श्री विनोद पाण्डेय) ग्राम बैजनाथ तह हुजूर जिला रीवा (म.प्र.)
5. में.वृन्दावन स्टोन केशर(प्रो.श्री अनुज पाण्डेय) ग्राम बैजनाथ तह हुजूर जिला रीवा (म.प्र.)
6. में.न्यू सहारा स्टोन केशर(प्रो.श्री विजय त्रिपाठी) ग्राम बैजनाथ तह हुजूर जिला रीवा (म.प्र.)
7. में. वाई.एन. स्टोन केशर(प्रो.श्री प्रभात शुक्ला) ग्राम बैजनाथ तह हुजूर जिला रीवा (म.प्र.)
8. में सिद्धार्थ स्टोन केशर (प्रो.श्री सिद्धार्थ शुक्ला) ग्राम बैजनाथ तह हुजूर जिला रीवा (म.प्र.)
9. में श्याम स्टोन केशर ग्राम मरहा तह हुजूर जिला रीवा (म.प्र.)
10. में.सम्राट इन्फ्रा स्टोन केशर ग्राम बैजनाथ तह हुजूर जिला रीवा (म.प्र.)
11. में.सम्राट स्टोन केशर ग्राम बैजनाथ तह हुजूर जिला रीवा (म.प्र.)
12. में.साई स्टोन केशर ग्राम बैजनाथ तह हुजूर जिला रीवा (म.प्र.)
13. में.न्यू बंजरंग स्टोन केशर ग्राम बैजनाथ तह हुजूर जिला रीवा (म.प्र.)
14. में.चाण्डी मिनिरल्स (स्टोन केशर) ग्राम बैजनाथ तह हुजूर जिला रीवा (म.प्र.)
15. में.शिव स्टोन केशर ग्राम बैजनाथ तह हुजूर जिला रीवा (म.प्र.)
16. में.कोबरा टारमिक स्टोन केशर ग्राम बैजनाथ तह हुजूर जिला रीवा (म.प्र.)
17. में.सहारा स्टोन केशर ग्राम बैजनाथ तह हुजूर जिला रीवा (म.प्र.)
18. में.विककीस्टोन केशर ग्राम बैजनाथ तह हुजूर जिला रीवा (म.प्र.)
19. में.जय हनुमान स्टोन केशर ग्राम बैजनाथ तह हुजूर जिला रीवा (म.प्र.)
20. में.नरेन्द्र सिंह स्टोन केशर ग्राम खम्हरिया तह हुजूर जिला रीवा (म.प्र.)

उपरोक्त स्टोन केशरो को म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा संचालन सम्मति जारी नहीं की गयी है। उक्त स्टोन केशरो द्वारा यदि किसी प्रकार का म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जांच किये गये किसी प्रकार के दस्तावेज संलग्न किये गये तो, अविलंब छायाप्रति उपलब्ध कराया जावे। इन सभी स्टोन केशरो की सूची पूर्व में भी आपको सौपी जा चुकी है। जिसके तहत विद्युत विच्छेदन भी किया गया था। किन्तु खेदजनक बिषय है कि पुनः कनेक्शन प्रदान किया गया है।

तत्संबंध में पुनः विदित हो कि इन स्टोन केशरो का संचालन अबैध है। अतः पुनः विद्युत कनेक्शन कटवाकर इस कार्यालय को अविलंब सूचित करे, जिससे मान्नीय एन.जी.टी. को जानकारी उपलब्ध करायी जा सके।

Ch

क्षेत्रीय अधिकारी

म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड रीवा

रीवा, दिनांक.....

कमांक / 114 / क्षे.का. / तक. / प्रनिबो / 2020  
प्रतिलिपि :- सदस्य सचिव म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल की ओर कृपया सूचनार्थ ।

Ch

क्षेत्रीय अधिकारी

म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड रीवा



क्षेत्रीय कार्यालय  
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
एच.आई.जी.190-191 नेहरू नगर रीवा (म.प्र.)  
Tel / Fax : (07662) 230605 E-mail : rorewa\_pcb@rediffmail.com

क्रमांक / 1654 / क्षे.का. / प्रनिबो / 2019  
प्रति,

रीवा, दिनांक 17/9/19

एस.डी.एम.  
तहसील हुजूर जिला - रीवा (म.प्र.)

विषय :- स्टोन क्रेशर इकाइयों की स्थापना हेतु औद्योगिक उपयोग की डायवर्सन करने तथा बिना अनुमति अवैध रूप से स्थापित किये जा रहे स्टोन क्रेशर इकाइयों में नियंत्रण करने बावत्।

संदर्भ :-  
1. माननीय एन.जी.टी. प्रकरण क्र. ओ.ए. 739/18 में पारित निर्णय।  
2. समय-समय पर क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान पायी गयी स्थितियों।

कृपया संदर्भित विषयान्तर्गत लेख है कि तहसील हुजूर क्षेत्रान्तर्गत वैजनाथ, सुमेदा, सकरतट, हेनौत, नरौरा, सोनरा भोलगढ खम्हरिया, कौआढान में निरंतर नये-नये स्टोन क्रेशर की स्थापना (निर्माण) करवा किया जाना पाया गया है। कई स्टोन क्रेशर इकाइयों किराये की जमीन जिनके भू-स्वामी द्वारा कृषि भूमि का व्यावसायिक उपयोग में डायवर्सन कराकर उक्त भूमियों में अवैध रूप से स्टोन क्रेशर स्थापित कराकर अपनी भूमि कई वर्षों की समयावधि के लिये किराये में दी गयी। ऐसे स्टोन क्रेशरों द्वारा ग्राम पंचायत की एन.ओ.सी. भी प्राप्त की जा चुकी है। ऐसे स्टोन क्रेशरों द्वारा जल/वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियमों एवं पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 तथा माननीय एन.जी.टी. द्वारा पारित आदेश/निर्णय का खुला उल्लंघन किया जा रहा है, साथ ही ऐसे जगहों में अवैध रूप से छोटे-छोटे चाय पान की दुकान एवं आवास भी निर्मित किये जा रहे हैं।

अतएव अनुरोध है कि पर्यावरण (संरक्षण) हित में इस तरह की गतिविधियों में तत्काल नियंत्रण किया जावे एवं ऐसी कृषि भूमि जो आबादी स्कूल, आगनवाड़ी, औषधालय, नदी, तालाब, एवं सड़क (एन.एच./एस.एच.) व मंदिरों के समीप 500 मीटर की दूरी से कम न हो उन्हें ही अनुज्ञा एवं औद्योगिक प्रयोजन हेतु भू-परिवर्तन किया जाय, अन्यथा निर्मित विषम परिस्थिति की जिम्मेदारी इस कार्यालय की नहीं होगी, कृपया प्रशासनिक एवं विधिक कार्यवाही की जाकर, अवगत कराने का कष्ट करे। जिससे माननीय एन.जी.टी. न्यायालय के आदेश के परिपालन में समुचित जानकारी भेजी जा सके।

पु.क्रमांक / 1655 / क्षे.का / तक. / प्रनिबो / 2019  
प्रतिलिपि,

(डॉ. आर.एस. परिहार)  
क्षेत्रीय अधिकारी  
रीवा, दिनांक 17.9.19

1. आयुक्त महोदय, रीवा संभाग जिला रीवा की ओर कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
2. कलेक्टर महोदय, जिला रीवा की ओर कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
3. पुलिस अधीक्षक जिला रीवा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जिला रीवा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. खनिज अधिकारी जिला खनिज विभाग रीवा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
6. सदस्य सचिव महोदय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल की ओर कृपया सूचनार्थ।

(डॉ. आर.एस. परिहार)  
क्षेत्रीय अधिकारी  
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
रीवा (म.प्र.)

कार्यालय कनिष्ठ अभियंता म०प्र०पू०क्षे०वि०वि०कं०लि० केन्द्र चोरहटा रीवा

कार्या०/कनि०यं०/चो० २८५

दिनांक २९/०१/२०

प्रति,

श्रीमान् सहायक अभियंता  
म०प्र०पू०क्षे०वि०वि०कं०लि०  
उपसभाग आर०ई०एस० रीवा

विषय :- विभिन्न हाई वैल्यू निम्न दाव स्टोन केशर उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटने एवं जोड़ने संबंधित ।

-----00-----

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है, कि श्रीमान् एस० डी० एम० महोदय हुजूर, प्रदूषण अधिकारी, माइनिंग अधिकारी एवं सहायक अभियंता विद्युत विभाग की उपस्थित में दिनांक-29.01.2020 को पत्र के साथ संलग्न सूची वाले कनेक्शन काँट दिये गये थे, जिन्हे बाद में प्रकाश व्यवस्था हेतु, श्रीमान् कलेक्टर महोदय रीवा के आदेश क्रमांक-2020 दिनांक-18.02.2020 के तहत दुबारा जोड़ दिये गये है । आपके द्वारा दी गई सूची में से केवल पत्र के साथ संलग्न उपभोक्ताओं के ही कनेक्शन विभाग से जारी है ।

उचित सूचना श्रीमान् जी को प्रेषित है ।

संलग्न :-1 काटे एवं जोड़े गये कनेक्शन की सूची ।

2 प्रकाश व्यवस्था हेतु जोड़े गये कनेक्शनधारी उपभोक्ताओं को केशर

सनंचालित ना करने हेतु इस कार्यालय द्वारा जारी पत्र की छाया प्रति ।

कनिष्ठ अभियंता

म०प्र०पू०क्षे०वि०वि०कं०लि० चोरहटा

दिनांक.....

कं/कं./यं./चोरहटा

प्रतिलिपि :-

1- श्रीमान् कार्यपालन अभियंता(संचा०/संधा०) म०प्र०पू०क्षे०वि०वि०कं०लि० पश्चिम संभाग रीवा की ओर सूचनार्थ ।

Sd

कनिष्ठ अभियंता

म०प्र०पू०क्षे०वि०वि०कं०लि० चोरहटा

चोरहटा वितरण केन्द्रान्तर्गत काटे एवं जोडे गये कनेक्शनो की सूची  
दिनांक... २९/०३/२०

1.	5348051123695	सम्राट स्टोन केशर	बैजनाथ	150 HP
2.	5348051123993	न्यू सहारा स्टोन केशर	बैजनाथ	100 HP
3.	5348051137773	शिल्पी स्टोन केशर	खम्हारिया	149 HP
4.	5348051138182	सहारा स्टोन केशर	बैजनाथ	85 HP
5.	5348051139137	वृन्दावन स्टोन केशर	बैजनाथ	150 HP
6.	5348051139393	बाई०एन० स्टोन केशर	बैजनाथ	85 HP
7.	5348051141375	केशर स्टोन केशर	बैजनाथ	120 HP
8.	5348051142392	माँ शारदा स्टोन केशर	बैजनाथ	150 HP
9.	5348051142781	श्री रामप्रेम स्टोन केशर	बैजनाथ	150 HP
10.	5348051156147	काव्या स्टोन केशर	बैजनाथ	150 HP



कनिष्ठ अभियंता

म०प्र०पू०क्षे०वि०वि०क०लि०चोरहटा

प्रति

प्रकाश व्यवस्था हेतु श्रुती अनुसार

संभारित स्थान क्लेशर

विषय:- क्लेशर स्थलों में प्रकाश व्यवस्था प्रदान  
 किये जाने विषयक।

सन्दर्भ:- कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रीवा  
 का पत्र क्रमांक 2020 दिनांक 18/02/20


उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि कार्यालय  
 श्रीमान कलेक्टर भवेदय (खनिज शाखा)  
 जिला-रीवा के आदेश क्रमांक 2020 दिनांक  
 18/02/20 के परिपालन में आपके क्लेशर  
 में प्रकाश व्यवस्था बहाल करने हेतु  
 विद्युत खालाई जोड़ी गयी है। आदि आपके  
 द्वारा प्रकाश व्यवस्था के अनिश्चित क्लेशर  
 संचालन करने पाया गया तो आपके  
 विरुद्ध कम्पनी नियमानुसार अनुशासनानुसार  
 कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी जिसकी  
 सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी स्वयं होगी।

प्रति लिपि :- 110707 दिनांक 13-3-2020

Junior Engineer  
 P.K.V.V. Co. Ltd. Chornhat

श्रीमान कार्यालय यंत्री (श्री/सं/प्र) मंत्रालय प्रौद्योगिकी विभाग प्रौद्योगिकी विभाग प्रौद्योगिकी विभाग  
 वि० सं० लि० परिक्रम संभाग रीवा

श्रीमान सहायक यंत्री मंत्रालय प्रौद्योगिकी विभाग प्रौद्योगिकी विभाग प्रौद्योगिकी विभाग  
 वि० सं० लि० उपरिभाग (REU) रीवा



Shalendra

Junior Engineer  
 P.K.V.V. Co. Ltd. Chornhat

विधायकित प्रकरण में उल्लेखित स्टोन क्रेशर इकाइयों की अवस्थिति एवं कार्यवाही का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	क्रेशर इकाई का नाम एवं पता	जी.पी.एस. क्वार्टिनेट	खनिज नियमों के अंतर्गत की गई कार्यवाही (अर्थदण्ड प्रस्तावित राशि)	रिमार्क
1	मै० सहारा स्टोन क्रेशर प्रो० श्री विजेन्द्र सिंह ग्राम बैजनाथ पोस्ट भोलगढ़ तह. हुजूर जिला रीवा	24.3034 N 81.112 E	270000.00	आबादी क्षेत्र से 70 मी० की दूरी पर स्थापित है।
2	मै० न्यू सहारा स्टोन क्रेशर श्री विजय कुमार त्रिपाठी पार्टनर ग्राम बैजनाथ पोस्ट भोलगढ़ तह. हुजूर जिला रीवा	24.3013 N 81.1113 E	180000.00	आबादी क्षेत्र से 225 मी० की दूरी पर स्थापित है।
3	मै० कसर स्टोन क्रेशर प्रो० श्री अमित सिंह यादव ग्राम बैजनाथ पोस्ट भोलगढ़ तह. हुजूर जिला रीवा	24.3018 N 81.1112 E	240000.00	आबादी क्षेत्र से 190 मी० की दूरी पर स्थापित है।
4	मै० राम प्रेम स्टोन क्रेशर प्रो० अम्बुज पाण्डेय ग्राम बैजनाथ पोस्ट भोलगढ़ तह. हुजूर जिला रीवा	24.3018 N 81.1215 E	240000.00	आबादी क्षेत्र से 200 मी० की दूरी पर स्थापित है।
5	मै० माँ शारदा स्टोन क्रेशर प्रो० श्री विरेन्द्र बहादुर सिंह ग्राम बैजनाथ पोस्ट भोलगढ़ तह. हुजूर जिला रीवा	24.3017 N 81.1118 E	165000.00	आबादी क्षेत्र से 350 मी० की दूरी पर एवं क्लस्टर जोन में स्थापित है।
6	मै० शुक्ला स्टोन क्रेशर प्रो० श्री सिद्धार्थ शुक्ला ग्राम बैजनाथ पोस्ट भोलगढ़ तह. हुजूर जिला रीवा	24.3015 N 81.1714 E	क्रेशर यूनिट विस्थापित	आबादी क्षेत्र से 320 मी० की दूरी पर है। निर्माण कार्य स्थाई रूप से बंद है।
7	मै० सिंह तिवारी स्टोन क्रेशर प्रो० श्री कगल सिंह तिवारी ग्राम बैजनाथ पोस्ट भोलगढ़ तह. हुजूर जिला रीवा	24.3013 N 81.1135 E	अप्रारम्भ	स्थापना/निर्माण कार्य बंद कर दिया गया है।
8	मै० पुनीत तिवारी स्टोन प्रो० श्री पुनीत तिवारी ग्राम बैजनाथ पोस्ट भोलगढ़ तह. हुजूर जिला रीवा	24.3021 N 81.1042 E	अप्रारम्भ	आबादी से 200 मी० की दूरी पर निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं है।

6

9	मे० किरण कृपा स्टोन क्रेशर प्रो० श्रीमती संगीता शर्मा ग्राम वैजनाथ पोस्ट भोलगढ तह. हुजूर जिला रीवा		अप्रारम्भ	स्थापना / निर्माण काट रथाई रूप से पूर्णत. बंद कर दिया गया है।
10	मे० वाई.एन. स्टोन क्रेशर प्रो० श्री प्रभात शुक्ला ग्राम वैजनाथ पोस्ट भोलगढ तह. हुजूर जिला रीवा	24.3017 N 81.1048	210000.00	आवादी क्षेत्र से 200 मी० एवं शा० मा० शा० से 320 मी० की दूरी एवं क्लस्टर जोन में है।
11	मे० वृन्दावन स्टोन क्रेशर प्रो० श्री शीवेन्द्र सिंह पटेल ग्राम वैजनाथ पोस्ट भोलगढ तह. हुजूर जिला रीवा	24.3014 N 81.1041 E	240000.00	आवादी क्षेत्र से 220 मी० एवं विद्यालय से 330 मी० की दूरी एवं क्लस्टर जोन में है।
12	मे० काव्या स्टोन क्रेशर प्रो० श्री विनोद पाण्डेय ग्राम वैजनाथ पोस्ट भोलगढ तह. हुजूर जिला रीवा	24.3030 N 81.1122 E	120000.00	प्राचीन देवी मंदिर से लगभग 250 मी० क्लस्टर जोन में है।
13	मे० सम्राट स्टोन क्रेशर प्रो० श्री उमेश कुशवाहा ग्राम वैजनाथ पोस्ट भोलगढ तह. हुजूर जिला रीवा	24.3018 N 81.1029	अनुज्ञप्ति निरस्त	प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग से 57 मी० की दूरी पर स्थापित है।
14	मे० सिद्धार्थ शुक्ला स्टोन क्रेशर प्रो० सिद्धार्थ शुक्ला ग्राम वैजनाथ पोस्ट भोलगढ तह. हुजूर जिला रीवा	24.309 N 81.941 E	45000.00	तालाब एवं प्राचीन हनुमान मंदिर से 50 मी० की दूरी पर स्थापित है। डी.जी. रस्ता से
15	मे० अम्बुज स्टोन क्रेशर प्रो० श्री अम्बुजा त्रिपाठी ग्राम वैजनाथ पोस्ट भोलगढ तह. हुजूर जिला रीवा	24.3011 N 81.938 E	अप्रारम्भ	तालाब एवं मंदिर से 150 मी० की दूरी पर निर्माणाधीन है।
16	मे० पवन पाठक स्टोन क्रेशर प्रो० पवन पाठक ग्राम हिनौती पोस्ट भोलगढ तह. हुजूर जिला रीवा	24.3015 N 81.1014 E	235500.00	आवादी से 450 एवं तालाब मंदिर से 180 मी० की दूरी पर स्थापित है।
17	मे० रामा एसोसियेट स्टोन क्रेशर प्रो० मुकेश त्रिपाठी ग्राम वैजनाथ पोस्ट भोलगढ तह. हुजूर जिला रीवा	24.308 N 81.950 E	47000.00	आवादी से लगभग 450 मी० तालाब एवं मंदिर से 280 मी० पर स्थापित है।
18	मे० शिल्पी स्टोन क्रेशर प्रो० नरेन्द्र सिंह ग्राम खम्हरिया पोस्ट भोलगढ तह. हुजूर जिला रीवा		अनुज्ञप्ति निरस्त	आवादी से लगभग 800 मी० की दूरी एवं नवीन निर्मित मंदिर से लगभग 100 मी० की दूरी पर स्थापित है।

प्रचलित कार्यवाहियों का विवरण :-

उपरोक्त सभी स्टोन क्रेशर इकाई प्रथमतः ग्राम पंचायत की ग्राम राभा से अनाधित प्रमाण पत्र व भूमि व्यवर्तन वाणिज्यिक (डायवर्सन) की भूमि को किराए में अनुबंध कर विद्युत विभाग से विद्युत कनेक्शन प्राप्त कर बिना बोर्ड की सम्मति प्राप्त किए स्थापित हुए हैं। तत्पश्चात बोर्ड की जल/वायु सम्मति प्राप्त हेतु सशुल्क आनलाइन आवेदन किए गए जिसे बोर्ड की गाइड लाइन 2004 एवं मान0 एन.जी.टी. द्वारा प्रकरण क्र. 739/2018 में पारित निर्णय के अनुरूप स्थल उपयुक्त न होने से सभी का आवेदन निरस्त किया गया है।

वर्तमान में जिला टास्क फोर्स की बैठक दिनांक 17.07.2020 को ऐसे अवैध क्रेशर संचालित करने वाले क्रेशर धारको पर सी.आर.पी.सी एक्ट की धारा 133 तथा जल/वायु अधिनियम में निहित प्रावधानों के अनुरूप कार्यवाही किए जाने का निर्णय लिया गया है, कार्यवाही विवरण का पत्र संलग्न है (संलग्नक क्र. 1)। सयुक्त निरीक्षण के आधार पर ऐसी इकाइयों के विरुद्ध सी.आर.पी.सी एक्ट की धारा 133 के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्यवाही हेतु पदार्थ नियंत्रण बोर्ड के पत्र क्रमांक 1002 दिनांक 04.08.2020 द्वारा अनुशसित कर अनुविभागीय दंडाधिकारी हुजूर जिला रीवा को प्रेषित किया है। (संलग्नक क्र. - 2)

उपरोक्तानुसार वर्तमान में प्रकरणाधीन 22 स्टोन क्रेशर इकाइयों की सूची में से सिर्फ 14 स्टोन क्रेशर इकाइयों ही स्थापित है। जिनका उच्च क्षमता दाब विद्युत विच्छेद किया जाकर विद्युत मंडल एवं जिला स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा प्रकरणाधीन क्षेत्रों की रातत निगरानी रखी जा रही है।



उपयंत्री  
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
जिला रीवा (म.प्र.)



क्षेत्रीय अधिकारी  
म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
जिला रीवा (म.प्र.)



प्रमारी अधिकारी (खनिज)  
जिला रीवा (म.प्र.)







शाखा ..... 7/5 .....  
 क्रमांक ..... 60 .....  
 विषय ..... मानिटा (ग) आदि



मध्य प्रदेश  
 प्रदूषण  
 नियंत्रण बोर्ड

गाय. लेजनाथ से लगभग 10 स्थान  
 केर श्राव मे ले स्थापित ले कुद फोन  
 डार से रसायनिक कावाक 500 की सेमी  
 कम उरी पर ले. जब सनी रसेले डार  
 पूरक प्रमना पर निचालेन रसेले प्रक वाक  
 का बलक करो की तरह लेगा तो  
 विषय 10 - 278. 241. 83 तक पाये जा  
 सकते ले जो कल ड निजा/नो के रसेले  
 प्रकवाक सिध ले. सके ले अतः निचालेन लेन  
 डार मे एक विशेष वाक उ उषा नित्रण  
 चालेन (वाकिल किलेन जना का प्रथम ले। केले  
 पर कुद निवास फोन डार स्थापित लेने के बाद  
 अतः सनीप निरिन किये गये ले जिसे मदा के  
 500 की - 321 वा माप 305 परा बले ले रहा ले  
 अतः निचालेन वा पूरक वाक उ उषा नित्रण मापक  
 निचालेन किलेन जना का प्रथम ले

15.6.74  
 550

सह-सचिव साय  
 उपस्थित रहे मर Report  
 कि का वाकीन से  
 13/6



REGIONAL LABORATORY  
M.P. POLLUTION CONTROL BOARD  
HIG-190-191 NEHRU NAGAR COLONY REWA (M.P.)  
(Tel & Fax 07662-230605, e-mail-[rorewa\\_pcb@rediffmail.com](mailto:rorewa_pcb@rediffmail.com))

112

Name of Industry:- Village-Bajinath, Distt.Rewa

S.No.-126

Bill No.

Date of Sampling – 01.06.2019.

Sample Collected by: Mr M.P. Tiwari, J.E., Mr. Dinesh Shukla L.A. Rewa

Reference :- On complain basis

1. AMBIENT AIR MONITORING RESULT

Station No. 1. Near Shri. Shankar Pal's house, village Bajinath (Apprx. 150mtrs. from Sahara Stone crusher in west direction)

S.No.	Characteristics	Unit	Result-1	Result-2	Result-3	Result-4
1.	Respirable Particulate Matter (P.M.10)	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	281.83	-	-	-
2.	Particulate Matter (PM2.5)	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	-	-	-	-
2.	Sulfur-Di Oxide	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	-	-	-	-
3.	Nitrogen Oxide	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	-	-	-	-
4.	Carbon Mono Oxide	ppm	-	-	-	-
5.	Noise	dB(A)	-	-	-	-

1.  - Indicates that value exceed the permissible limits. Limit for PM10=100 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

2. Compared with M.P.P.C.B. Standard.

3. Comments :- 1. During monitoring weather was clear.

2. Wind direction E-W.

Field monitoring done  
by B. Shukla

Report Prepared by- Jr. Scientist

Checked  
Scientist

Laboratory Incharge

Regional Lab. MPPCB, Rewa (M.P.)



REGIONAL LABORATORY  
M.P. POLLUTION CONTROL BOARD  
HIG 190-191 NEHRU NAGAR COLONY, REWA (M.P.)  
(Tel & Fax 07662-230605, e-mail-rorewa\_pcb@rediffmail.com)

Name of Industry:- Village-Bajjnath, Distt.Rewa

S.No.-127

Bill No.

Date of Sampling – 01.06.2019.

Sample Collected by: Mr.M.P.Tiwari, J.E., Mr. Dinesh Shukla L.A. Rewa

Reference :- On complain basis

### 1. AMBIENT AIR MONITORING RESULT

Station No. 1. Near Shri Kishan Prajapati's house, village Bajjnath (Apprx. 200mtrs. from V.R. Civicon Hot Mix Plant/ crusher & other crushers in west direction)

S.No.	Characteristics	Unit	Result-1	Result-2	Result-3	Result-4
1.	Respirable Particulate Matter (P.M.10)	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	278.75	-	-	-
2.	Particulate Matter (PM2.5)	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	-	-	-	-
2.	Sulfur-Di Oxide	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	-	-	-	-
3.	Nitrogen Oxide	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	-	-	-	-
4.	Carbon Mono Oxide	ppm	-	-	-	-
5.	Noise	dB(A)	-	-	-	-


1.  - Indicates that value exceed the permissible limits. Limit for PM10=100 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

2. Compared with M.P.P.C.B. Standard.

3. Comments :- 1. During monitoring weather was clear.

2. Wind direction E-W.  
Field monitoring done  
by B. Shukla

Report Prepared by-  Jr. Scientist

Checked   
Scientist

  
Laboratory Incharge  
Regional Lab. MPPCB, Rewa (M.P.)



**REGIONAL LABORATORY**  
**M.P. POLLUTION CONTROL BOARD**  
HIG 190-191 NEHRU NAGAR COLONY, REWA (M.P.)  
(Tel & Fax 07662-230605, e-mail-rorewa\_pcb@rediffmail.com)

114

Name of Industry:- Village-Baijnath, Distt. Rewa

S.No.-128

Bill No.

Date of Sampling – 01.06.2019.

Sample Collected by: Mr. M.P. Tiwari, J.E., Mr. Dinesh Shukla L:A. Rewa

Reference :- On complain basis

**1. AMBIENT AIR MONITORING RESULT**

Station No. 1. Near Shri Ashish Tiwari's house, village Baijnath (Apprx. 300mtrs. from Sunita Stone crusher in South- west direction)

S.No.	Characteristics	Unit	Result-1	Result-2	Result-3	Result-4
1.	Respirable Particulate Matter (P.M.10)	µg/m <sup>3</sup>	241.86	-	-	-
2.	Particulate Matter (PM2.5)	µg/m <sup>3</sup>	-	-	-	-
2.	Sulfur-Di Oxide	µg/m <sup>3</sup>	-	-	-	-
3.	Nitrogen Oxide	µg/m <sup>3</sup>	-	-	-	-
4.	Carbon Mono Oxide	ppm	-	-	-	-
5.	Noise	dB(A)	-	-	-	-

1.  - Indicates that value exceed the permissible limits. Limit for PM10=100µg/m<sup>3</sup>

2. Compared with M.P.P.C.B. Standard.

3. Comments :- 1. During monitoring weather was clear.

2. Wind direction E-W.

Field Monitoring done by  
D. Shukla

Report Prepared by- Jr. Scientist

Checked  
Scientist

Laboratory Incharge

Regional Lab. MPPCB, Rewa (M.P.)

**न्यायालय अनुविभागीय दण्डाधिकारी, अनुभाग हुजूर, जिला रीवा (म.प्र.)**

क्रमांक/एसडीएम/एच/2020/ 1281

रीवा, दिनांक- 8/9/20

//नोटिस//

नोटिस बनाम

श्री. उक्त व्यक्ति एतद्वारा चलाए जा रहे हैं।

(1) क्षेत्रीय अधिकारी म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड रीवा

आवेदक

बनाम

श्री. उक्त व्यक्ति एतद्वारा चलाए जा रहे हैं।

अनावेदक

(कार्यवाही अन्तर्गत धारा-133 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1873)

- (1) क्षेत्रीय अधिकारी म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड रीवा द्वारा आपके विरुद्ध शिकायती पत्र धारा-133 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत प्रस्तुत कर अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम रिवा में अवैध स्टोन क्रेशर संचालित किया जा रहा है, जिसके कारण ग्राम एवं अन्य आम जन के बीच प्रदूषण फैल रहा है व शांत वातावरण भी प्रभावित हो रहा है तथा क्रेशर संचालन बन्द कराने का निवेदन किया गया है। प्रदूषण विभाग द्वारा प्रस्तुत उक्त रिपोर्ट से पाया जाता है कि आपके द्वारा अवैध क्रेशर संचालित कर लोक बाधा उत्पन्न की गई है, अतः दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 133(1)(ख) के तहत आपको सशर्त प्रारंभिक आदेश दिया जाता है तथा आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप उक्त लोक बाधा स्वयं हटा लें अथवा दिनांक 16/9/20 को इस न्यायालय में उपस्थित होकर अपना जबाव पेश करें कि क्यों न उक्त आदेश को आगे प्रवर्तित किया जावे।
- (2) मामला लोक हित का होने के कारण न्याय हित में इस न्यायालय द्वारा आपके द्वारा संचालित किए जा रहे उक्त स्टोन क्रेशर के संचालन को अंतरिम रूप से बंद किए जाने का भी व्यादेश दिया गया है अतः इस न्यायालय के व्यादेश का पालन भी किया जावे एवं क्रेशर संचालन कार्य तत्काल प्रभाव से बन्द रखा जावे।

दिनांक 8/9/20

पृ क्रमांक/एसडीएम/एच/2020/

1281

प्रतिलिपि:-

01. थाना प्रभारी, थाना चोरहटा रीवा। नोटिस की तामीली कराकर तामीली रिपोर्ट पेश करें।

अनुविभागीय दण्डाधिकारी  
(अनुभाग हुजूर, जिला रीवा (म.प्र.)  
रीवा, दिनांक- 8/9/20

अनुविभागीय दण्डाधिकारी  
(अनुभाग हुजूर, जिला रीवा (म.प्र.)  
रीवा, दिनांक- 8/9/20

**न्यायालय अनुविभागीय दण्डाधिकारी, अनुभाग हुजूर, जिला रीवा (म.प्र.)**

क्रमांक/एसडीएम/एच/2020/ 1282

रीवा, दिनांक- 8/9/20

//नोटिस//

नोटिस बनाम श्री. सपर स्टेन क्रेशर ठेका

(1) क्षेत्रीय अधिकारी म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड रीवा ..... आवेदक

बनाम श्री. सपर स्टेन क्रेशर ठेका ..... अनावेदक

**(कार्यवाही अन्तर्गत धारा-133 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1873)**

(1) क्षेत्रीय अधिकारी म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड रीवा द्वारा आपके विरुद्ध शिकायती पत्र धारा 133 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत प्रस्तुत कर अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम में अवैध स्टेन क्रेशर संचालित किया जा रहा है, जिसके कारण ग्राम एवं अन्य आम जन के बीच प्रदूषण फैल रहा है व शांत वातावरण भी प्रभावित हो रहा है तथा क्रेशर संचालन बन्द कराने का निवेदन किया गया है। प्रदूषण विभाग द्वारा प्रस्तुत उक्त रिपोर्ट से पाया जाता है कि आपके द्वारा अवैध क्रेशर संचालित कर लोक बाधा उत्पन्न की गई है, अतः दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-133(1)(ख) के तहत आपको सशर्त प्रारंभिक आदेश दिया जाता है तथा आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप उक्त लोक बाधा स्वयं हटा लें अथवा दिनांक 16/9/20 को इस न्यायालय में उपस्थित होकर अपना जबाव पेश करें कि क्यों न उक्त आदेश को आगे प्रवर्तित किया जावे।


(2) मामला लोक हित का होने के कारण न्याय हित में इस न्यायालय द्वारा आपके द्वारा संचालित किए जा रहे उक्त स्टेन क्रेशर के संचालन को अंतरिम रूप से बंद किए जाने का भी व्यादेश दिया गया है अतः इस न्यायालय के व्यादेश का पालन भी किया जावे एवं क्रेशर संचालन कार्य तत्काल प्रभाव से बन्द रखा जावे।

दिनांक- 8/9/20

पु. क्रमांक/एसडीएम/एच/2020/ 1282  
प्रतिलिपि:-

अनुविभागीय दण्डाधिकारी  
अनुभाग हुजूर, जिला रीवा (म.प्र.)  
रीवा, दिनांक- 8/9/20

01. थाना प्रभारी, थाना चौरहटा रीवा। नोटिस की तामीली कराकर तामीली रिपोर्ट पेश करें।



अनुविभागीय दण्डाधिकारी  
अनुभाग हुजूर, जिला रीवा (म.प्र.)  
रीवा, दिनांक- 8/9/20

न्यायालय अनुविभागीय दण्डाधिकारी, अनुभाग हुजूर, जिला रीवा (म.प्र.)  
क्रमांक/एसडीएम/एच/2020/ 1283 //नोटिस// रीवा, दिनांक- 14/9/20

नोटिस बनाम में- श्री. लालू चंद्र शर्मा

(1) क्षेत्रीय अधिकारी म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड रीवा ..... आवेदक

बनाम

में- श्री. लालू चंद्र शर्मा ..... अनावेदक

(कार्यवाही अन्तर्गत धारा-133 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1873)

- (1) क्षेत्रीय अधिकारी म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड रीवा द्वारा आपके विरुद्ध शिकायती पत्र धारा-133 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत प्रस्तुत कर अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम ..... में अवैध स्टोन क्रेशर संचालित किया जा रहा है, जिसके कारण ग्राम एवं अन्य आम जन के बीच प्रदूषण फैल रहा है व शांत वातावरण भी प्रभावित हो रहा है तथा क्रेशर संचालन बन्द कराने का निवेदन किया गया है। प्रदूषण विभाग द्वारा प्रस्तुत उक्त रिपोर्ट से पाया जाता है कि आपके द्वारा अवैध क्रेशर संचालित कर लोक बाधा उत्पन्न की गई है, अतः दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-133(1)(ख) के तहत आपको सशर्त प्रारंभिक आदेश दिया जाता है तथा आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप उक्त लोक बाधा स्वयं हटा लें अथवा दिनांक 14/9/20 को इस न्यायालय में उपस्थित होकर अपना जबाव पेश करें कि क्यों न उक्त आदेश को आगे प्रवर्तित किया जावे।
- (2) मामला लोक हित का होने के कारण न्याय हित में इस न्यायालय द्वारा आपके द्वारा संचालित किए जा रहे उक्त स्टोन क्रेशर के संचालन को अंतरिम रूप से बंद किए जाने का भी व्यादेश दिया गया है अतः इस न्यायालय के व्यादेश का पालन भी किया जावे एवं क्रेशर संचालन कार्य तत्काल प्रभाव से बन्द रखा जावे।

प. दिनांक- 14/9/20

पु क्रमांक/एसडीएम/एच/2020/ 1283  
प्रतिलिपि:-

01. थाना प्रभारी, थाना चोरहटा रीवा। नोटिस की तामीली कराकर तामीली रिपोर्ट पेश करें।



अनुविभागीय दण्डाधिकारी  
अनुभाग हुजूर, जिला रीवा (म.प्र.)  
रीवा, दिनांक- 14/9/20

अनुविभागीय दण्डाधिकारी  
अनुभाग हुजूर, जिला रीवा (म.प्र.)  
Jabalpur, Jabalpur (M.P.)

**न्यायालय अनुविभागीय दण्डाधिकारी, अनुभाग हुजूर, जिला रीवा (म.प्र.)**

क्रमांक/एसडीएम/एच/2020/ 1285

रीवा, दिनांक-8/9/20

//नोटिस//

नोटिस बनाम

पं. सुन्दर लाल बेगम

(1) क्षेत्रीय अधिकारी म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड रीवा ..... आवेदक

बनाम

पं. सुन्दर लाल बेगम

..... अनावेदक

(कार्यवाही अन्तर्गत धारा-133 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1873)

- (1) क्षेत्रीय अधिकारी म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड रीवा द्वारा आपके विरुद्ध शिकायती पत्र धारा-133 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत प्रस्तुत कर अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम ..... में अवैध स्टोन क्रेशर संचालित किया जा रहा है, जिसके कारण ग्राम एवं अन्य आम जन के बीच प्रदूषण फैल रहा है व शांत वातावरण भी प्रभावित हो रहा है तथा क्रेशर संचालन बन्द कराने का निवेदन किया गया है। प्रदूषण विभाग द्वारा प्रस्तुत उक्त रिपोर्ट से पाया जाता है कि आपके द्वारा अवैध क्रेशर संचालित कर लोक बाधा उत्पन्न की गई है, अतः दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-133(1)(ख) के तहत आपको सशर्त प्रारंभिक आदेश दिया जाता है तथा आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप उक्त लोक बाधा स्वयं हटा लें अथवा दिनांक 14/9/20 को इस न्यायालय में उपस्थित होकर अपना जबाव पेश करें कि क्यों न उक्त आदेश को आगे प्रवर्तित किया जावे।
- (2) मामला लोक हित का होने के कारण न्याय हित में इस न्यायालय द्वारा आपके द्वारा संचालित किए जा रहे उक्त स्टोन क्रेशर के संचालन को अंतरिम रूप से बंद किए जाने का भी व्यादेश दिया गया है, अतः इस न्यायालय के व्यादेश का पालन भी किया जावे एवं क्रेशर संचालन कार्य तत्काल प्रभाव से बन्द रखा जावे।

पं. दिनांक-14/9/20

पृ. क्रमांक/एसडीएम/एच/2020/ 1285

प्रतिलिपि:-

01. थाना प्रभारी, थाना चोरहटा रीवा। नोटिस की तामीली कराकर तामीली रिपोर्ट पेश करें।



अनुविभागीय दण्डाधिकारी  
अनुभाग हुजूर, जिला रीवा (म.प्र.)

रीवा, दिनांक-8/9/20

अनुविभागीय दण्डाधिकारी  
(अनुभाग हुजूर, जिला रीवा (म.प्र.))

**न्यायालय अनुविभागीय दण्डाधिकारी, अनुभाग हुजूर, जिला रीवा (म.प्र.)**

क्रमांक/एसडीएम/एच/2020/ 1286

रीवा, दिनांक- 14/9/20

//नोटिस//

नोटिस बनाम

म. लक्ष्मण एच. के. शर्मा

(1) क्षेत्रीय अधिकारी म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड रीवा

आवेदक

बनाम

म. लक्ष्मण एच. के. शर्मा

अनावेदक

(कार्यवाही अन्तर्गत धारा-133 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1873)

- (1) क्षेत्रीय अधिकारी म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड रीवा द्वारा आपके विरुद्ध शिकायती पत्र धारा-133 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत प्रस्तुत कर अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम ..... में अवैध स्टोन क्रेशर संचालित किया जा रहा है, जिसके कारण ग्राम एवं अन्य आम जन के बीच प्रदूषण फैल रहा है व शांत वातावरण भी प्रभावित हो रहा है तथा क्रेशर संचालन बन्द कराने का निवेदन किया गया है। प्रदूषण विभाग द्वारा प्रस्तुत उक्त रिपोर्ट से पाया जाता है कि आपके द्वारा अवैध क्रेशर संचालित कर लोक बाधा उत्पन्न की गई है, अतः दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-133(1)(ख) के तहत आपको सशर्त प्रारंभिक आदेश दिया जाता है तथा आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप उक्त लोक बाधा स्वयं हटा लें अथवा दिनांक 14/9/20 को इस न्यायालय में उपस्थित होकर अपना जबाव पेश करें कि क्यों न उक्त आदेश को आगे प्रवर्तित किया जावे।
- (2) मामला लोक हित का होने के कारण न्याय हित में इस न्यायालय द्वारा आपके द्वारा संचालित किए रहे उक्त स्टोन क्रेशर के संचालन को अंतरिम रूप से बंद किए जाने का भी व्यादेश दिया गया है, अतः इस न्यायालय के व्यादेश का पालन भी किया जावे एवं क्रेशर संचालन कार्य तत्काल प्रभाव से बन्द रखा जावे।

दिनांक 14/9/20

प. क्रमांक/एसडीएम/एच/2020/ 1286

प्रतिलिपि:-

01. थाना प्रभारी, थाना चोरहटा रीवा। नोटिस की तामीली कराकर तामीली रिपोर्ट पेश करें।



अनुविभागीय दण्डाधिकारी  
अनुभाग हुजूर, जिला रीवा (म.प्र.)

रीवा, दिनांक- 14/9/20

अनुविभागीय दण्डाधिकारी  
अनुभाग हुजूर, जिला रीवा (म.प्र.)

**न्यायालय अनुविभागीय दण्डाधिकारी, अनुभाग हुजूर, जिला रीवा (म.प्र.)**

क्रमांक/एसडीएम/एच/2020/

128)

//नोटिस//

रीवा, दिनांक- 19/12

नोटिस-बनाम श्री. विजय शंकर शर्मा

(1) क्षेत्रीय अधिकारी म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड रीवा ..... आवेदक

बनाम श्री. विजय शंकर शर्मा अनावेदक

(कार्यवाही अन्तर्गत धारा-133 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1873)

- (1) क्षेत्रीय अधिकारी म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड रीवा द्वारा आपके विरुद्ध शिकायती पत्र धारा-133 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत प्रस्तुत कर अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम वमहा में अवैध स्टोन क्रेशर संचालित किया जा रहा है, जिसके कारण ग्राम एवं अन्य आम जन के बीच प्रदूषण फैल रहा है व शांत वातावरण भी प्रभावित हो रहा है तथा क्रेशर संचालन बन्द कराने का निवेदन किया गया है। प्रदूषण विभाग द्वारा प्रस्तुत उक्त रिपोर्ट से पाया जाता है कि आपके द्वारा अवैध क्रेशर संचालित कर लोक बाधा उत्पन्न की गई है अतः दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-133(1)(ख) के तहत आपको सशर्त प्रारंभिक आदेश दिया जाता है तथा आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप उक्त लोक बाधा स्वयं हटा लें अथवा दिनांक 16/12/20 को इस न्यायालय में उपस्थित होकर अपना जबाब पेश करें कि क्यों न उक्त आदेश को आगे प्रवर्तित किया जावे।
- (2) मामला लोक हित का होने के कारण न्याय हित में इस न्यायालय द्वारा आपके द्वारा संचालित किए जा रहे उक्त स्टोन क्रेशर के संचालन को अंतरिम रूप से बंद किए जाने का भी व्यादेश दिया गया है अतः इस न्यायालय के व्यादेश का पालन भी किया जावे एवं क्रेशर संचालन कार्य तत्काल प्रभाव से बन्द रखा जावे।

दिनांक 16/12/20

प. क्रमांक/एसडीएम/एच/2020/ 128)

प्रतिलिपि-

01. थाना प्रभारी, थाना चोरहटा रीवा। नोटिस की तामीली कराकर तामीली रिपोर्ट पेश करें।



अनुविभागीय दण्डाधिकारी  
अनुभाग हुजूर, जिला रीवा (म.प्र.)  
Sub Divisional Magistrate  
Huzur, Rewa (M.P.)

अनुविभागीय दण्डाधिकारी  
अनुभाग हुजूर, जिला रीवा (म.प्र.)

न्यायालय अनुविभागीय दण्डाधिकारी, अनुभाग हजूर, जिला रीवा (म.प्र.)

क्रमांक/एसडीएम/एच/2020/

1288

//नोटिस//

रीवा, दिनांक- 21/9/20

नोटिस बनाम

श्री ० विहारी कुन्ना स्टोन केशर वैजाल चोरहटा

(1) क्षेत्रीय अधिकारी म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड रीवा

आवेदक

बनाम

श्री ० विहारी कुन्ना स्टोन केशर वैजाल

अनावेदक

(कार्यवाही अन्तर्गत धारा-133 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1873)

- (1) क्षेत्रीय अधिकारी म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड रीवा द्वारा आपके विरुद्ध शिकायती पत्र धारा-133 दण्ड प्रक्रिया-संहिता के तहत प्रस्तुत कर अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम श्री ० विहारी कुन्ना में अवैध स्टोन केशर संचालित किया जा रहा है, जिसके कारण ग्राम एवं अन्य आम जन के बीच प्रदूषण फैल रहा है व शांत वातावरण भी प्रभावित हो रहा है तथा केशर संचालन बन्द कराने का निवेदन किया गया है। प्रदूषण विभाग द्वारा प्रस्तुत उक्त रिपोर्ट से पाया जाता है कि आपके द्वारा अवैध केशर संचालित कर लोक बाधा उत्पन्न की गई है, अतः दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-133(1)(ख) के तहत आपको सशर्त प्रारंभिक आदेश दिया जाता है तथा आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप उक्त लोक बाधा स्वयं हटा लें अथवा दिनांक 16/9/20 को इस न्यायालय में उपस्थित होकर अपना जबाव पेश करें कि क्यों न उक्त आदेश को आगे प्रवर्तित किया जावे।
- (2) मामला लोक हित का होने के कारण न्याय हित में इस न्यायालय द्वारा आपके द्वारा संचालित किए जा रहे उक्त स्टोन केशर के संचालन को अंतरिम रूप से बंद किए जाने का भी व्यादेश दिया गया है अतः इस न्यायालय के व्यादेश का पालन भी किया जावे एवं केशर संचालन कार्य तत्काल प्रभाव से बन्द रखा जावे।

दिनांक- 16/9/20

पु क्रमांक/एसडीएम/एच/2020/ 1288

प्रतिलिपि:-

01. थाना प्रभारी, थाना चोरहटा रीवा। नोटिस की तामीली कराकर तामीली रिपोर्ट पेश करें।



अनुविभागीय दण्डाधिकारी  
अनुभाग हजूर, जिला रीवा (म.प्र.)

रीवा, दिनांक- 21/9/20

अनुविभागीय दण्डाधिकारी

अनुभाग हजूर, जिला रीवा (म.प्र.)  
Jabalpur (M.P.)

न्यायालय अनुविभागीय दण्डाधिकारी, अनुभाग हुजूर, जिला रीवा (म.प्र.)

क्रमांक/एसडीएम/एच/2020/

1317

//नोटिस//

रीवा, दिनांक

9/9/20

नोटिस बनाम

श्री. केशव लाल केशर

(1) क्षेत्रीय अधिकारी म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड रीवा

आवेदक

श्री. केशव लाल केशर

अनावेदक

(कार्यवाही अन्तर्गत धारा-133 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973)

1) क्षेत्रीय अधिकारी म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड रीवा द्वारा आपके विरुद्ध शिकायती पत्र धारा-133 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत प्रस्तुत कर अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम में अवैध स्टोन केशर संचालित किया जा रहा है, जिसके कारण ग्राम एवं अन्य आम जन के बीच प्रदूषण फैल रहा है व श्वेत वातावरण भी प्रभावित हो रहा है तथा केशर संचालन बन्द कराने का निवेदन किया गया है। प्रदूषण विभाग द्वारा प्रस्तुत उक्त रिपोर्ट से पाया जाता है कि आपके द्वारा अवैध केशर संचालित कर लोक बाधा उत्पन्न की गई है, अतः दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-133(1)(ख) के तहत आपको सशर्त प्रारंभिक आदेश दिया जाता है तथा आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप उक्त लोक बाधा स्वयं हटा लें अथवा दिनांक 2/9/20 को इस न्यायालय में उपस्थित होकर अपना जवाब पेश करें कि क्यों न उक्त आदेश को आगे प्रवर्तित किया जावे।

(2) मामला लोक हित का होने के कारण न्याय हित में इस न्यायालय द्वारा आपके द्वारा संचालित किए जा रहे उक्त स्टोन केशर के संचालन को अंतरिम रूप से बंद किए जाने का भी आदेश दिया गया है, अतः इस न्यायालय के आदेश का पालन भी किया जाये एवं केशर संचालन कार्य तत्काल प्रभाव से बन्द रखा जावे।

दिनांक

अनुविभागीय दण्डाधिकारी  
अनुभाग हुजूर, जिला रीवा (म.प्र.)  
रीवा, दिनांक

क्रमांक/एसडीएम/एच/2020/

1314

9/9/20

प्रतिलिपि

कोषी, धाना प्रभारी, धाना चोरहटा रीवा। नोटिस की तामीली कराकर तामीली रिपोर्ट पेश करें।

अनुविभागीय दण्डाधिकारी  
अनुभाग हुजूर, जिला रीवा (म.प्र.)

न्यायालय अनुविभागीय दण्डाधिकारी, अनुभाग हुजूर, जिला रीवा (म.प्र.)

सं. क्र. एसडीएम/एच/2020/

133 //नोटिस//

रीवा, दिनांक 21/9/20

नोटिस बनाव

म.प्र. हडाए एंड डेप्युटी

1) क्षेत्रीय अधिकारी म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड रीवा

अवेदक

बनाम

म.प्र. हडाए एंड डेप्युटी

अन्वयेदक

(कार्यवाही अन्तर्गत धारा-133 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973)

- (1) क्षेत्रीय अधिकारी म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड रीवा द्वारा आपके विरुद्ध शिकायती पत्र धारा-133 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत प्रस्तुत कर अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम में अवैध स्टोन केशर संचालित किया जा रहा है, जिसके कारण ग्राम एवं अन्य आम जन के बीच प्रदूषण फैल रहा है व शानि वातावरण भी प्रभावित हो रहा है तथा केशर संचालन बन्द कराने का निवेदन किया गया है। प्रदूषण विभाग द्वारा प्रस्तुत उक्त रिपोर्ट से पता चलता है कि आपके द्वारा अवैध केशर संचालित का लोक बाधा उत्पन्न की गई है, अतः दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-133(1)(ख) के तहत आपको सख्त प्रारंभिक आदेश दिया जाता है तथा आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप उक्त लोक बाधा स्वयं हटा लें अथवा दिनांक 21/9/20 को इस न्यायालय में उपस्थित होकर अपना जबाब पेश करें कि क्यों न उक्त आदेश को आगे प्रवर्तित किया जावे।
- (2) मामला लोक हित का होने के कारण न्याय हित में इस न्यायालय द्वारा आपके द्वारा संचालित किए जा रहे उक्त स्टोन केशर के संचालन को अंतरिम रूप से बंद किए जाने का भी आदेश दिया गया है, अतः इस न्यायालय के आदेश का पालन भी किया जावे एवं केशर संचालन कार्य तत्काल प्रभाव से बन्द रखा जावे।

दिनांक 21/9/20

अनुविभागीय दण्डाधिकारी  
अनुभाग हुजूर, जिला रीवा (म.प्र.)  
रीवा, दिनांक 21/9/20

सं. क्र. एसडीएम/एच/2020/ 133

प्रतिनिधि

01. धाना प्रभारी, धाना चौरहटा रीवा। नोटिस की तामीली कराकर तामीली रिपोर्ट पेश करें।

अनुविभागीय दण्डाधिकारी  
अनुभाग हुजूर, जिला रीवा (म.प्र.)

न्यायालय अनुविभागीय दण्डाधिकारी, अनुभाग हुजूर, जिला रीवा (म.प्र.)

क्रमांक/एसडीएम/एच/2020/

D/S 1/पोस्टिंग

रीवा, दिनांक 9/1/20

नोटिस बनाव मे. दलगा स्टोन केसर वैजनाथ

(1) क्षेत्रीय अधिकारी म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड रीवा भागदर

व्यक्त मे. दलगा स्टोन केसर वैजनाथ अनावेदक (कार्यवाही अन्तर्गत धारा-133 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973)

(1) क्षेत्रीय अधिकारी म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड रीवा द्वारा आपके विरुद्ध शिकायती पत्र द्वारा 13 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत प्रस्तुत कर अदागत कराया गया है कि आपके द्वारा घाम में अविश स्टोन केसर संचालित किया जा रहा है, जिसके कारण घाम एवं अन्य आम जन के बीच प्रदूषण फैल रहा है अ.शालित संचालन भी प्रभावित हो रहा है तथा केसर संचालन कार्य अ.शालित निवेदन किया गया है। प्रदूषण नियंत्रण द्वारा प्रस्तुत उक्त रिपोर्ट से पता चलता है कि आपके द्वारा अविश केसर संचालित कर शालित तथा उत्पन्न की गई हैं, अतः दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 133(1)(ख) के तहत आपकी प्रतीक आदेश दिया जाता है तथा आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप उक्त शोक ब्यापक कार्य बंद कर ले अतः दिनांक 21/1/20 को इस न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष पेश करें कि तब ही उक्त आदेश को आगे प्रवर्तित किया जावे।

(2) मामला शोक हित का होनी के कारण न्याय हित में इस न्यायालय द्वारा आपके द्वारा संचालित किए गए रहे उक्त स्टोन केसर के संचालन को अंतरिम रूप से बंद किए जाने का भी आदेश दिया गया है अतः इस न्यायालय के आदेश का पालन भी किया जावे एवं केसर संचालन कार्य तत्काल अ.शालित बन्द रखा जावे।

दिनांक-

क्रमांक/एसडीएम/एच/2020/

1315

अनुविभागीय दण्डाधिकारी अनुभाग हुजूर, जिला रीवा (म.प्र.) रीवा, दिनांक 9/1/20



यान्त्रिक प्रभारी, यान्त्रिक शोध रीवा नोटिस नही तामीली करकर तामीली रिपोर्ट पेश करे।

अनुविभागीय दण्डाधिकारी अनुभाग हुजूर, जिला रीवा (म.प्र.)

न्यायालय अनुविभागीय दण्डाधिकारी, अनुभाग हुज़ूर, जिला रीवा (म.प्र.)

क्रमांक/एसडीएम/एच/2020/

1313 //नोटिस//

दिनांक 21/9/20

नोटिस बानाम

म.प्र. ६०६९९ एच डी के.एस. सिन्हा

क्षेत्रीय अधिकारी म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड रीवा

अन्वेषक

बानाम

म.प्र. ६०६९९ एच डी के.एस. सिन्हा

अन्वेषक

(कार्यावाही अन्तर्गत धारा-133 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973)

(1) क्षेत्रीय अधिकारी म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड रीवा द्वारा आपके विरुद्ध शिकायती पत्र धारा-133 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत प्रस्तुत कर अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम अरुण में अवैध स्टोन केशर संचालित किया जा रहा है, जिसके कारण ग्राम एवं अन्य आम जन के बीच प्रदूषण फैल रहा है व शानि वातावरण भी प्रभावित हो रहा है तथा केशर संचालन बन्द करने का निर्देशन किया गया है। प्रदूषण विभाग द्वारा प्रस्तुत उक्त रिपोर्ट से पता चलता है कि आपके द्वारा अवैध केशर संचालित का लोक बाधा उत्पन्न की गई है, अतः दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-133(1)(ख) के तहत आपको सख्त प्रारंभिक आदेश दिया जाता है तथा आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप उक्त लोक बाधा खत्म हटा लें अथवा दिनांक 21/9/20 को इस न्यायालय में उपस्थित होकर अपना जबाब पेश करें कि क्यों न उक्त आदेश को अंगे प्रवर्तित किया जावे।

(2) मामला लोक हित का होने के कारण न्याय हित में इस न्यायालय द्वारा आपके द्वारा संचालित किए जा रहे उक्त स्टोन केशर के संचालन को अंतरिम रूप से बंद किए जाने का भी आदेश दिया गया है, अतः इस न्यायालय के आदेश का पालन भी किया जावे एवं केशर संचालन कार्य तत्काल प्रभाव से बन्द रखा जावे।

दिनांक 21/9/20

अनुविभागीय दण्डाधिकारी  
अनुभाग हुज़ूर, जिला रीवा (म.प्र.)  
रीवा, दिनांक 21/9/20

पु. क्रमांक/एसडीएम/एच/2020/ 1313

प्रतिनिधि

01. थाना प्रभारी, थाना चौरहटा रीवा। नोटिस की सामीली कराकर तामीली रिपोर्ट पेश करें।

अनुविभागीय दण्डाधिकारी  
अनुभाग हुज़ूर, जिला रीवा (म.प्र.)

न्यायालय अनुविभागीय दण्डाधिकारी, अनुभाग हुजूर, जिला रीवा (म.प्र.)  
क्रमांक/एसडीएम/एच/2020/ 1312 रीवा दिनांक 9/9/20

नोटिस बनाम श्री. वसि. ल. लोड हेबर वैजणप

(1) क्षेत्रीय अधिकारी म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड रीवा  
बनाम श्री. वसि. ल. लोड हेबर वैजणप  
(कार्यवाही अन्तर्गत धारा-133 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1972)

(1) क्षेत्रीय अधिकारी म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड रीवा द्वारा आपके विरुद्ध शिकायती पत्र क्रमांक 133 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत प्रस्तुत कर अवज्ञा कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम अ.प्र.119 में अवैध स्टोन क्वेशर संचालित किया जा रहा है, जिसके कारण ग्राम एवं अन्य आम जन के बीच प्रदूषण फैल रहा है व शांति का तावरण भी प्रभावित हो रहा है तथा क्वेशर संचालन बन्द कराने का निवेदन किया गया है। प्रदूषण विभाग द्वारा प्रस्तुत उक्त रिपोर्ट से पता चलता है कि आपके द्वारा अवैध क्वेशर संचालित कर लोक बाधा उत्पन्न की गई है, अतः दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 133(1)(ख) के तहत आपको सरात प्रारंभिक आदेश दिया जाता है तथा आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप उक्त लोक बाधा स्वयं हटा लें अथवा दिनांक 2/9/20 को इस न्यायालय में उपस्थित होकर अपना जबाब पेश करें कि क्यों न उक्त आदेश को अंगे प्रवर्तित किया जावे।

(2) मामला लोक हित बन होने के कारण न्याय हित में इस न्यायालय द्वारा आपके द्वारा संचालित किए जा रहे उक्त स्टोन क्वेशर के संचालन को अंतरिम रूप से बंद किए जाने का भी आदेश दिया गया है अतः इस न्यायालय के आदेश का पालन भी किया जावे एवं क्वेशर संचालन कार्य तत्काल प्रभाव से बन्द रखा जावे।

दिनांक 2/9/20

क्रमांक/एसडीएम/एच/2020/ 1312

सहायक न्यायाधीश

01, थाना प्रभारी, थाना चोरहटा रीवा। नोटिस की तामीली कराकर तामीली रिपोर्ट पेश करें।



अनुविभागीय दण्डाधिकारी  
अनुभाग हुजूर, जिला रीवा (म.प्र.)  
रीवा, दिनांक 9/9/20  
अनुविभागीय दण्डाधिकारी  
अनुभाग हुजूर, जिला रीवा (म.प्र.)

न्यायालय अनुविभागीय दण्डाधिकारी, अनुभाग हुजूर, जिला रीवा (म.प्र.)

क्रमांक/एसडीएम/एच/2020/

1311

//नोटिस//

रीवा दिनांक 9/9/20

नोटिस बनाम

श्री. मां शाहू एड इरु बैंगल

(1) क्षेत्रीय अधिकारी म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड रीवा आदेशक

बनाम

श्री. मां शाहू एड इरु बैंगल

अन्वेषक

(कार्यवाही अन्तर्गत धारा-133 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973)

- (1) क्षेत्रीय अधिकारी म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड रीवा द्वारा आपके विरुद्ध शिकायती पर धारा 133 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत प्रस्तुत कर अन्वेषण कराया गया है कि आपके द्वारा ग्राम में अवैध स्टोन क्वेशर संचालित किया जा रहा है, जिसके कारण ग्राम एवं अन्य आम जन का बीच प्रदूषण फैल रहा है व शाल वातावरण भी प्रभावित हो रहा है तथा क्वेशर संचालन बन्द कराने का निवेदन किया गया है। प्रदूषण विभाग द्वारा प्रस्तुत उक्त रिपोर्ट से पाया जाता है कि आपके द्वारा अवैध क्वेशर संचालित कर लोक बाधा उत्पन्न की गई है। अतः दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 133(1)(ख) के तहत आपको सशर्त प्रारंभिक आदेश दिया जाता है तथा आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप उक्त लोक बाधा स्वयं हटा लें अथवा दिनांक 21/9/20 को इस न्यायालय में उपस्थित होकर अपना जबाब पेश करें कि क्यों न उक्त आदेश को आगे प्रवर्तित किया जावे।
- (2) मामला लोक हित का होने के कारण न्याय हित में इस न्यायालय द्वारा आपके द्वारा संचालित किए जा रहे उक्त स्टोन क्वेशर के संचालन को अंतरिम रूप से बन्द किए जाने का भी ब्यादेश दिया गया है अतः इस न्यायालय के ब्यादेश का पालन भी किया जावे एवं क्वेशर संचालन कार्य तत्काल प्रभाव से बन्द रखा जावे।

दिनांक

*[Handwritten Signature]*

अनुविभागीय दण्डाधिकारी  
अनुभाग हुजूर, जिला रीवा (म.प्र.)

रीवा दिनांक - 9/9/20

पु क्रमांक/एसडीएम/एच/2020/

1311

प्रतिलिपि

01. थाना प्रभारी, थाना चोरहटा रीवा। नोटिस की तामीली कराकर तामीली रिपोर्ट पेश करें।



अनुविभागीय दण्डाधिकारी  
अनुभाग हुजूर, जिला रीवा (म.प्र.)